कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत एकमात्र कृषि साप्ताहिक

Registered Postal Regn. No.MP/Bhopal/143/2025-27 RNI No. 1832/57
डाक प्रेषण का दिन - सोमवार, मंगलवार

कृषक जगत

राष्ट्रीय कृषि अखबार
भोपाल–जयपुर–रायपुर ISSN -0970-8650

संस्थापित 1946 भोपाल प्रकाशन – सोमवार 20 जुलाई 2026 वर्ष–80 अंक – 47 मूल्य रु. 12/– कुल पृष्ठ – 24 www.krishakjagat.org पृष्ठ –1

खरीफ
विशेषांक

'खेती को लाभकारी और किसान को आत्मनिर्भर बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।'
– डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, म.प्र.

इस अंक में

- सोयाबीन की खेती बोवनी से लेकर कटाई तक
- भारत में सोयाबीन के लिए अनुशंसित खरपतवारनाशक
- धान की सीधी बुआई तकनीक
- हरित क्रांति से विकसित भारत तक
- खेत से बाजार तक 10 लाख कृषि-एमएसएमई ...

कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25 लाख पाठकों का एक मात्र साप्ताहिक अखबार

Saffire
GROW TOGETHER
मिकाशा
फुर्तीला वार,
अब बच न पाए खरपतवार!
सही है
सोयाबीन का खरपतवारनाशक
600 मि.ली./एकड़
FOMESAFEN 12% + QUIZALOFOP ETHYL 3% SC
Mikhasha
मिकाशा
Herbicide
आइये बढ़ें
सबके साथ, एक साथ

Coromandel
FUTURE POSITIVE
GROMOR
ग्रोमोर नैनो डीएपी
किसान प्रगति स्कीम
ग्रोमोर नैनो डीएपी के साथ, खेती बने आसान, प्रगति पाए किसान।
GROMOR nano DAP
MADE IN INDIA
FUEL VOUCHER
भाग लेने के लिए दिशा निर्देश
स्मार्ट फ़ोन से दुकान में प्रस्तुत QR कोड को स्कैन करें और
रिटेलर कोड सहित अपनी जानकारी भरें।
कृपया ध्यान दें दुकानदार से ग्रोमोर नैनो डीएपी की खरीदारी का बिल लेना न भूलें,
एवं बिल को संभाल कर रखें, इनाम लेते वक़्त यह बिल प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

कृषक जगत राष्ट्रीय कृषि अखबार भोपाल-जयपुर-रायपुर
द्वारा प्रकाशित फसल पुस्तक श्रृंखला
60/- जैविक खेती समृद्ध कृषक
40/- भण्डारण के वैज्ञानिक तरीके
60/- एकीकृत कीट प्रबंधन
60/- मधुमक्खी पालन
60/- जायद फसलें
50/- सरसों
70/- मसाला फसलें
90/- सदाबहार खेती
60 चना
60/- मृदा उर्वरता मैनुअल
60/- खेती के उन्नत तरीके (खरीफ फसल)
60/- खेती के उन्नत तरीके (रबी फसलें)
70/- सोयाबीन अनुसंधान तकनीक
50/- बाजरा की वैज्ञानित खेती
60/- रबी तिलहनी फसलें अलसी, कुसुम
60/- मसूर, मटर एवं मोठ की उत्पादन तकनीक
50/- लघु धान्य फसलों की उत्पादन तकनीक
60/- कौशल विकास दिग्दर्शिका
60/- गेहूं उत्पादन तकनीक
60/- एकीकृत पोध पोषक तत्व प्रबंधन
60/- पौध संरक्षण (खरीफ-रबी फसल सहित)
नाम .... ग्राम ....
पोस्ट .... तह. .... जिला.............
फोन/मोबा. ....कुल राशि.........................
ऑर्डर की गई प्रतियों की संख्या/संलग्न ड्रॉफ्ट नं. ....
मनी ऑर्डर क्र. .... वी.पी. भेजें।
नोट : कृपया ड्राफ्ट या मनीऑर्डर कृषक जगत भोपाल के नाम नीचे लिखे पते पर भेजें
प्रधान कार्यालय : 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल-462011
फोन: 0755-4248100,2554864, मो. : 9826255861
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास इंदौर
मो. : 09826021837

agross
सर्वोत्तम
मृदा एवं बीज उपचार
मैक्स ट्राइको
agross
बनिए संतुलित किसान
मैक्स ट्राईको
MAXXTRICHO
TRICHODERMA VIRIDE 1.5% WP + PSEUDOMONAS FLUOROSCENS 1% WP
1 Kg
प्रयोग की विधि
बीज उपचार
छिड़काव
डोज: 10 ग्राम/किलो बीज
अधिक जानकारी के लिए स्कैन करें
+91 9730057300

किसानों के लिए कैबिनेट के बड़े फैसले

मूंग खरीद के लिए 1,587 करोड़ रुपये की गारंटी

भोपाल (कृषक जगत)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों और सिंचाई से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों का उद्देश्य किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना और मूंग खरीद प्रक्रिया को मजबूत बनाना है।

सरकार ने रबी वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर लक्ष्य से अधिक खरीदी गई मूंग के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए 1,587 करोड़ रुपये की नि:शुल्क सरकारी गारंटी देने का फैसला किया है। इससे खरीद एजेंसियों को बैंकों से वित्तीय सहायता मिलती रहेगी और किसानों को मूंग का भुगतान समय पर करने में सुविधा होगी।

कुण्डलिया सिंचाई परियोजना जारी रहेगी

राजगढ़ और आगर-मालवा जिले के किसानों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना को अगले पांच वर्षों (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031) तक जारी रखने के लिए 245.45 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

इस परियोजना के माध्यम से 1.39 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के विस्तार से किसानों को समय पर पानी मिलेगा, जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और खेती अधिक लाभदायक बनेगी।

सरकार का कहना है कि इन फैसलों से खेती को अधिक सुरक्षित, लाभकारी और टिकाऊ बनाने में मदद मिलेगी।

किसानों के लिए इसका क्या लाभ होगा?

- सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा।
- राजगढ़ और आगर-मालवा के हजारों किसानों को नियमित सिंचाई का लाभ मिलेगा।
- समर्थन मूल्य पर खरीदी गई मूंग के भुगतान की व्यवस्था और मजबूत होगी।
- किसानों को अपनी उपज बेचने और भुगतान प्राप्त करने में अधिक भरोसा मिलेगा।

मानसून की सुस्त चाल से खरीफ फसलों पर बढ़ी चिंता, अगले 7-10 दिन होंगे निर्णायक

भोपाल (कृषक जगत विशेष)। मध्य प्रदेश में 9 से 15 जुलाई के बीच मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से खरीफ फसलों को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस अवधि में प्रदेश में सामान्य 67.8 मिमी के मुकाबले केवल 18.2 मिमी वर्षा हुई, जो 73 प्रतिशत कम है। हालांकि 1 जून से 15 जुलाई तक संचयी वर्षा सामान्य से केवल 11 प्रतिशत कम रहने के कारण समय पर हुई शुरुआती बारिश ने खरीफ बुवाई को सुरक्षित बनाए रखा है।

जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के प्रारंभ में हुई अच्छी वर्षा से प्रदेश में सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द, मूंग तथा कपास की बुवाई लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन पिछले सप्ताह वर्षा का लंबा अंतराल फसलों की प्रारंभिक बढ़वार के लिए चुनौती बन सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि अगले 7 से 10 दिनों में अच्छी वर्षा नहीं होती है तो हल्की एवं मध्यम भूमि वाले क्षेत्रों में मिट्टी की नमी तेजी से घटेगी, जिसका सबसे अधिक असर सोयाबीन, धान और मक्का पर पड़ेगा।

सोयाबीन इस समय अंकुरण एवं प्रारंभिक वृद्धि की अवस्था में है, इसलिए नमी की कमी से पौधों की बढ़वार, पौध संख्या, खरपतवार नियंत्रण तथा उर्वरक प्रबंधन प्रभावित हो सकता है। धान उत्पादक क्षेत्रों में रोपाई कार्य धीमा पड़ सकता है, जबकि मक्का में प्रारंभिक वृद्धि प्रभावित होने की आशंका है। उड़द, मूंग एवं तिल जैसी दलहनी-तिलहनी फसलें अल्पकालिक सूखे को सहन कर सकती हैं, लेकिन लंबे शुष्क दौर से उत्पादन घट सकता है।

पूर्वी मध्य प्रदेश में पिछले सप्ताह 66 प्रतिशत तथा पूरे मौसम में अब तक 24 प्रतिशत वर्षा की कमी दर्ज की गई है। रीवा, मैहर, नरसिंहपुर, मंडला, शहडोल, सिंगरौली, कटनी और जबलपुर जैसे जिलों में स्थिति अधिक चिंताजनक है। इसके विपरीत पश्चिमी मध्य प्रदेश में साप्ताहिक वर्षा 80 प्रतिशत कम रहने के बावजूद मौसम की शुरुआत से अब तक वर्षा सामान्य से 2 प्रतिशत अधिक है, जिससे इंदौर, देवास, सीहोर, उज्जैन, हरदा, भोपाल, बुरहानपुर और आगर-मालवा सहित कई जिलों में फसलों को पर्याप्त नमी मिल रही है।

सबसे अधिक मौसमी वर्षा घाटा अलीराजपुर (-76%), रीवा (-58%), मैहर (-57%), नर्मदापुरम् (-42%), नरसिंहपुर (-41%), मंडला (-36%), शहडोल (-35%) और सिंगरौली (-35%) में दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि खरीफ बुवाई फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन अब पूरे सीजन की सफलता आने वाले 7-10 दिनों में मानसून की सक्रियता पर निर्भर करेगी। यदि शीघ्र अच्छी वर्षा नहीं हुई तो विशेष रूप से कम वर्षा वाले जिलों में सोयाबीन, मक्का और धान की प्रारंभिक बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक **विजय कुमार बोन्द्रिया** द्वारा 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल से प्रकाशित एवं कृषक जगत 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, भोपाल (मध्य प्रदेश) से मुद्रित, **सम्पादक : सुनील गंगराड़े,** फोन : 0755-4248100, **हेल्पलाईन :** 6262166222, E-mail-info@krishakjagat.org इस अंक का मूल्य रु. 12/- वार्षिक शुल्क रु. 600/-.भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय का पंजीयन क्रमांक 1832/57

आईसीएआर के 98 वर्ष पूरे

2025-26 में विकसित कीं 386 उन्नत फसल किस्में : श्री शिवराज सिंह

नई दिल्ली (कृषक जगत)। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने अपना 98वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर परिषद ने बीते एक वर्ष की वैज्ञानिक उपलब्धियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए जलवायु-अनुकूल कृषि, अनुसंधान आधारित नवाचार और किसानों तक तकनीक की तेज़ पहुँच को अपनी प्राथमिकता बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्ष 2025-26 के दौरान आईसीएआर ने 44 फसलों की 386 उन्नत किस्में विकसित की हैं, जिनमें 94 प्रतिशत किस्में जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील (क्लाइमेट रेजिलिएंट) हैं, जबकि 29 किस्में जैव-सुदृढ़ (बायोफोर्टिफाइड) हैं।

उन्होंने कहा कि हर वर्ष 16 जुलाई को मनाया जाने वाला आईसीएआर स्थापना दिवस वर्ष 1928 में परिषद की स्थापना की याद दिलाता है। पिछले 98 वर्षों में आईसीएआर ने कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार सेवाओं को मजबूत करने के साथ-साथ देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री **श्री राजीव रंजन सिंह** ने कहा कि कृषि अनुसंधान का लाभ तेजी से किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों तक पहुँचाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका और मजबूत की जानी चाहिए।

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री **श्री भागीरथ चौधरी, श्री रामनाथ ठाकुर** तथा मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री **प्रो. एस.पी. सिंह बघेल** ने भी विज्ञान आधारित कृषि, प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य, जलवायु-अनुकूल तकनीकों, सूक्ष्म सिंचाई, नैनो उर्वरकों, मत्स्य पालन और आधुनिक पशुधन प्रौद्योगिकियों को विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।

कार्यक्रम में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) के सचिव एवं आईसीएआर के महानिदेशक **डॉ. एम.एल. जाट** ने वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि फसल, बागवानी, पशुधन और मत्स्य क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि से देश को लगभग 1.70 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक मूल्य प्राप्त हुआ, जबकि कृषि अनुसंधान का योगदान लगभग 55 हजार करोड़ रुपये आंका गया है।

तकनीकों का लाभ 5 करोड़ किसानों तक पहुंचा

उन्होंने बताया कि आईसीएआर की वैज्ञानिक तकनीकों का लाभ लगभग एक करोड़ किसानों तक सीधे और पाँच करोड़ से अधिक किसानों तक मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचा। इसी अवधि में परिषद ने 18 अंतरराष्ट्रीय समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर वैश्विक कृषि अनुसंधान सहयोग को भी मजबूत किया।

स्थापना दिवस के अवसर पर आईसीएआर ने 43 नई उन्नत फसल किस्में, 17 अत्याधुनिक कृषि तकनीकें और 14 प्रकाशनों का लोकार्पण किया।

कृषि अनुसंधान को किसानों तक तेजी से पहुँचाने और तकनीकों के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईसीएआर ने 51 उद्योग भागीदारों के साथ 72 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए।

नीति में स्थिरता ही कृषि की असली ताकत

बार-बार के प्रतिबंध और तदर्थ फैसले किसानों, निवेश और बाजार-तीनों के लिए चुनौती

(निमिष गंगराड़े)

भारत की कृषि व्यवस्था केवल खेतों तक सीमित नहीं है। यह उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वित्त, निर्यात और उपभोक्ता बाजार तक फैली एक जटिल आर्थिक श्रृंखला है। इस श्रृंखला की मजबूती केवल अच्छी पैदावार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ऐसी नीतियों पर भी निर्भर करती है जो स्थिर, पारदर्शी और पूर्वानुमेय हों। दुर्भाग्य से हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र में बार-बार लिए गए तदर्थ निर्णयों ने इस भरोसे को कमजोर किया है। निर्यात पर अचानक रोक, आयात शुल्क में अप्रत्याशित बदलाव और मूल्य नियंत्रण जैसे कदम तत्काल राहत तो दे सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में कृषि अर्थव्यवस्था को अस्थिर बना देते हैं।

किसान की योजना और सरकार के अचानक फैसले

किसान किसी भी फसल की बुवाई तात्कालिक परिस्थितियों को देखकर नहीं करता। वह मौसम, लागत, संभावित बाजार मूल्य और सरकारी नीतियों का आकलन कर पूरे वर्ष की रणनीति बनाता है। ऐसे में यदि कटाई के समय निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जाए या आयात को अचानक सस्ता कर दिया जाए, तो बाजार का संतुलन बिगड़ जाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान किसान को होता है, जिसकी आय घटती है और भविष्य की फसल योजना भी प्रभावित होती है। कृषि में अनिश्चितता का सबसे बड़ा बोझ अंतत: उसी व्यक्ति पर पड़ता है, जो सबसे अधिक जोखिम उठाता है।

निवेश और उद्योग का डगमगाता विश्वास

नीतिगत अस्थिरता का प्रभाव केवल किसानों तक सीमित नहीं रहता। चावल, दाल, तिलहन, मसाले और अन्य कृषि उत्पादों से जुड़े प्रसंस्करण

उद्योग, निर्यातक, भंडारण कंपनियां और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उद्यमी दीर्घकालिक निवेश करते हैं। जब नियम बार-बार बदलते हैं, तो निवेश का माहौल कमजोर पड़ता है। नई तकनीक, आधुनिक गोदाम, मूल्य संवर्धन और निर्यात अवसंरचना में निवेश की गति धीमी हो जाती है। इसका सीधा असर कृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पर पड़ता है।

वैश्विक बाजार में भरोसे की परीक्षा

आज विश्व खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की विश्वसनीयता को सबसे अधिक महत्व देता है। भारत यदि कृषि निर्यात में अग्रणी भूमिका निभाना चाहता है, तो उसे अपने व्यापारिक साझेदारों के बीच एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता की छवि बनानी होगी। बार-बार लगाए जाने वाले निर्यात प्रतिबंध और अचानक नीति परिवर्तन इस भरोसे को कमजोर करते हैं। वैश्विक बाजार में केवल उत्पादन क्षमता नहीं, बल्कि नीति की निरंतरता भी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त का आधार बनती है।

तकनीक समाधान है, लेकिन स्थिर नीति उसकी शर्त

कृषि क्षेत्र तेजी से डिजिटल तकनीकों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डेटा विश्लेषण और स्मार्ट बाजार प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है। ये तकनीकें बेहतर निर्णय लेने, जोखिम का आकलन करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। लेकिन यदि नीतियां लगातार बदलती रहें, तो सबसे आधुनिक तकनीक भी निवेशकों और किसानों की अनिश्चितता दूर नहीं कर सकती। तकनीकी प्रगति तभी सार्थक होगी, जब उसके साथ नीति का स्थायित्व भी जुड़ा हो।

एफपीओ: संभावनाएं बड़ी, लेकिन नीति का साथ जरूरी

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) छोटे और सीमांत किसानों को बाजार से बेहतर ढंग से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। सामूहिक विपणन, बेहतर मोलभाव और आधुनिक कृषि सेवाओं तक पहुंच के लिए एफपीओ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन उनकी सफलता केवल गठन से नहीं, बल्कि स्पष्ट नीतियों, सरल नियमों और प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। यदि नीति का वातावरण अनिश्चित रहेगा, तो एफपीओ भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

हरित क्रांति के बाद अब बाजार क्रांति की जरूरत

हरित क्रांति का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना था, और भारत ने उसमें उल्लेखनीय सफलता हासिल की। आज चुनौती अलग है। अब आवश्यकता केवल अधिक उत्पादन की नहीं, बल्कि ऐसा बाजार तैयार करने की है, जहां किसान को उसकी उपज का उचित और अनुमानित मूल्य मिले। उत्पादन, प्रसंस्करण, निर्यात और बाजार-इन सभी के बीच संतुलन स्थापित किए बिना कृषि को टिकाऊ लाभकारी व्यवसाय नहीं बनाया जा सकता।

भरोसेमंद नीति ही कृषि सुधारों की आधारशिला

भारतीय कृषि का भविष्य नई घोषणाओं से नहीं, बल्कि नीति की विश्वसनीयता से तय होगा। किसानों, उद्योग, निवेशकों और वैश्विक बाजार-सभी को यह विश्वास होना चाहिए कि नियम बार-बार नहीं बदलेंगे और निर्णय व्यापक परामर्श के बाद लिए जाएंगे। कृषि क्षेत्र में स्थिरता केवल निवेश को आकर्षित नहीं करती, बल्कि किसानों का आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। यदि भारत को कृषि महाशक्ति बनने का लक्ष्य हासिल करना है, तो उसे अल्पकालिक हस्तक्षेपों से आगे बढ़कर दीर्घकालिक, पारदर्शी और पूर्वानुमेय कृषि नीति अपनानी होगी। यही कृषि की स्थायी समृद्धि और किसान की आर्थिक सुरक्षा का सबसे मजबूत आधार है।

प्रदेश के कपास किसानों को 18 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर मिलेंगे

कपास उत्पादकता मिशन से बढ़ेगी पैदावार, गुणवत्ता और आमदनी

(अतुल सक्सेना)

भोपाल (कृषक जगत)। केंद्र सरकार ने देश के कपास क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 5,659.22 करोड़ रुपये के कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन प्रधानमंत्री के '5-एफ विजन' (फार्म टू फाइबर टू फैक्टरी टू फैशन टू फॉरेन) के अनुरूप लागू किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा लाभ मध्य प्रदेश सहित कपास उत्पादक राज्यों के किसानों को मिलेगा। इस मिशन के तहत मध्य प्रदेश के लिए इस वर्ष 2026-27 में 39 करोड़ 51 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं इस राशि से प्रदेश के कपास उत्पादक 9 जिलों के 40,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा। साथ ही प्रदेश के किसानों को प्रदर्शन की विभिन्न तकनीकों के लए 7500 से 18500 रुपये प्रति हेक्टेयर तक की सहायता दी जाएगी।

किसानों को क्या मिलेगा

मिशन के तहत किसानों को अधिक उपज देने वाले, जलवायु अनुकूल और कीट-प्रतिरोधी बीज उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही उच्च घनत्व रोपण प्रणाली (एचडीपीएस), कम अंतराल पर रोपण, एकीकृत कपास प्रबंधन जैसी आधुनिक खेती की तकनीकों का विस्तार किया जाएगा, जिससे कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। इसके लिए प्रदेश के किसानों को प्रदर्शन की विभिन्न तकनीकों के लिए 7500 से 18500 रुपये प्रति हेक्टेयर तक तथा आईपीएम एवं आईएनएम के लिए 2500 रुपए प्रति हेक्टेयर तक की सहायता दी जाएगी। साथ ही किसानों को नई तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

कपास उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास

देश में यह मिशन कृषि तथा वस्त्र मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण में 14 राज्यों के 140 जिलों में आधुनिक तकनीकों का विस्तार किया जाएगा और लगभग 2,000 जिनिंग एवं प्रसंस्करण इकाइयों को विकसित करने की योजना है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक देश में कपास की उत्पादकता को 440 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करना तथा कुल उत्पादन को 498 लाख गांठ तक पहुंचाना है। इस मिशन से देशभर के लगभग 32 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के कपास उत्पादक किसानों के लिए यह योजना बेहतर उत्पादन, उच्च गुणवत्ता, उचित मूल्य और बढ़ी हुई आय का नया अवसर लेकर आयी है।

मिशन एक नजर में

- **5659.22 करोड़ का बजट (वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक**
- **प्रारंभिक चरण में 14 राज्यों के 140 जिले शामिल**
- **2000 जिनिंग एवं प्रसंस्करण इकाइयों को विकसित करने की योजना**
- **2031 तक कपास उत्पादकता 440 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर से 755 कि.ग्रा./हेक्टेयर करने का लक्ष्य**

प्रदेश के 9 जिलों में मिशन लागू

यह मिशन प्रदेश के कपास उत्पादक 9 जिलों खरगोन, धार, बड़वानी, खंडवा ,अलीराजपुर, पाढुंर्णा, झाबुआ, रतलाम एवं बुरहानपुर में लागू किया जा रहा है, जिसमें कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नई तकनीकों की जानकारी, आधुनिक खेती के तरीके और फसल प्रबंधन पर विशेष अभियान चलाए जाएंगे ताकि किसान वैज्ञानिक खेती अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकें।

किसान 31 जुलाई तक कराएं फसलों का बीमा

भोपाल (कृषक जगत)। प्रदेश में इस वर्ष अल नीनो का प्रभाव एवं अनियमित तथा कम वर्षा के कारण फसल बीमा का उपयोग किसानों के लिए आवश्यक हो गया है। खरीफ 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना गत दिनों जारी कर दी गई है। प्रदेश में जिलों को 11 क्लस्टर में बांटा गया है तथा खरीफ की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अऋणी किसान अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोकसेवा केन्द्र एवं निर्धारित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से करवा सकते हैं। ऋणी किसानों का बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से किया जाएगा।

अधिसूचना के अनुसार बीमित फसलों में **जिला स्तर पर-** उड़द एवं मूंग, **बीमा इकाई-1 स्तर पर-** ज्वार, कोदो, कुटकी, मूंगफली, तिल व कपास तथा **बीमा इकाई-2 स्तर पर-** धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का, बाजरा व अरहर शामिल है। खरीफ मौसम में सभी अनाज, दलहन, तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का मात्र अधिकतम 2% किसानों द्वारा देय है तथा कपास फसल के लिए अधिकतम 5% प्रीमियम देय है।

राज्य में खरीफ 2025 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चयनित 4 कम्पनियों को क्लस्टर के मुताबिक जिलों का आवंटन दिया गया है। **इन कम्पनियों में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस, एस.बी.आई. जनरल एवं एचडीएफसी एर्गो शामिल है।**

अधिसूचना के मुताबिक 11 क्लस्टरों में से 6 क्लस्टरों में आवंटित 37 जिले एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को दिए गए हैं, जिसमें मंदसौर, नीमच, रतलाम, आगर-मालवा, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, अशोकनगर, भिण्ड, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, राजगढ़, श्योपुर, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिण्डोरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, शहडोल, उमरिया, छतरपुर, दमोह, निवाड़ी, पन्ना, रीवा, सतना, सीधी, सागर, सिंगरौली एवं टीकमगढ़ शामिल हैं। इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस को केवल उज्जैन, जिला तथा एचडीएफसी एर्गो को 7 जिले अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खण्डवा एवं खरगोन आवंटित किए गए हैं। तीन क्लस्टरों के 7 जिले एसबीआई जनरल कंपनी को दिए गए हैं इसमें देवास, इंदौर, रायसेन, विदिशा, बैतूल, हरदा एवं होशंगाबाद शामिल हैं।

प्रदेश में अब तक 115 लाख हेक्टेयर में हुई खरीफ बुवाई

सोयाबीन की बोनी लक्ष्य के विरुद्ध 95 फीसदी पूरी

(विशेष प्रतिनिधि)

भोपाल (कृषक जगत)। प्रदेश में कमजोर मानसून के चलते बुवाई की गति गत वर्ष की तुलना में पिछड़ गई है। अब तक लगभग 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बोनी कर ली गई है जो लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 76.9 फीसदी है। गत वर्ष इस अवधि में फसल की बुवाई 116.20 लाख हेक्टेयर में हुई थी। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में लगभग 1 लाख हेक्टेयर बुवाई में कमी आई है। वहीं सोयाबीन की बोनी बढ़ी है तथा धान की बुवाई में कम क्षेत्र में हुई है।

कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में खरीफ फसलों का सामान्य क्षेत्र 145.98 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष 150.45 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध 17 जुलाई तक 115.76 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है। जबकि गत वर्ष समान अवधि में 116.20 लाख हे. में बुवाई कर ली गई थी।

प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसल सोयाबीन की बोनी अब तक 51.38 लाख हेक्टेयर में कर ली गई है जबकि 54.09 लाख हेक्टेयर लक्ष्य रखा गया है। गत वर्ष इस अवधि में 50.30 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई थी। दूसरी प्रमुख फसल धान की बोनी अब तक 15.71 लाख हेक्टेयर में हुई है जबकि लक्ष्य 39.63 लाख हेक्टेयर रखा गया है और गत वर्ष अब तक 19.81 लाख हेक्टेयर में बोनी हो गई थी। इसी प्रकार अन्य प्रमुख फसलों में अब तक मक्का की बुवाई 24.76 लाख हेक्टेयर में हुई है जो लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 89.9 प्रतिशत है। गत वर्ष भी मक्के की बोनी समान अवधि में 23.67 लाख हेक्टेयर में हुई थी। वहीं अब तक तुअर 1.67 लाख हेक्टेयर, उड़द 5.47 लाख हेक्टेयर एवं कपास 5.63 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। राज्य में अब तक कुल अनाज फसलें 73.40 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 44.80 लाख हेक्टेयर में तथा तिलहनी फसलें 63.06 लाख हे. लक्ष्य के विरुद्ध 57.73 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। दलहनी फसलें 8.27 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 7.60 लाख हेक्टेयर में बोई गई है।

प्रदेश में बुवाई स्थिति

17 जुलाई 2026 तक (लाख हे. में)

फसल	लक्ष्य	बुवाई
धान	39.63	15.71
ज्वार	0.85	0.41
मक्का	27.53	24.76
बाजरा	3.81	3.55
कोदो	1.57	0.37
अरहर	2.17	1.67
उड़द	5.31	5.47
मूंग	0.79	0.46
सोयाबीन	54.09	51.38
मूंगफली	6.17	4.75
तिल	2.44	1.60
रामतिल	0.36	0.01
कपास	5.72	5.63

कृषक जगत
संस्थापक : स्व. माणिकचन्द बोन्द्रिया - स्व. सुरेशचन्द्र गंगराड़े

अमृत जगत

जो अपने पेट का गुलाम है,
वे ईश्वर की पूजा कभी नहीं कर सकता। - शेखसादी

खरीफ में अंतरवर्तीय फसल से बढ़ाएं आमदनी

भारतीय कृषि मानसून की दासी है उसके बुने तानों-बानों पर ही उसे चलना है जैसा उसका बजाना वैसा ही कृषि को गाना है यह बात सर्वविदित है। खरीफ, रबी का आईना है जैसे-जैसे खरीफ फसलों की बुवाई साज संभाल से रबी पर भी असर होता है। 65 प्रतिशत आबादी की आर्थिक स्थिति की रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली कृषि का विशेषकर खरीफ फसलों का अस्तित्व चुनौती पूर्ण है। वैसे तो पिछले कुछ वर्षों से मानसून की लुका-छिपी का खेल चल रहा है। सबसे अधिक क्षेत्र में लगने वाली सोयाबीन जिसे वर्तमान की कृषि का प्रमुख आधार माना गया है, लगभग 60 लाख हेक्टर में बुआई की जाती है। इतने बड़े क्षेत्र के लिये कोई नई फसल की सिफारिश और उसके बीज की व्यवस्था असम्भव ही होगा। इस वर्ष के मौसम को देखते हुए अधिक से अधिक क्षेत्र में अंतरवर्तीय फसलों का विस्तार किया जाना विवेक पूर्ण कदम होगा। सोयाबीन के साथ अरहर, तिल, मूंग, उड़द की अंतरवर्तीय फसलें सफलता से ली जा सकती हैं, साथ ही कपास का क्षेत्र भी बढ़ाया जाकर उसके साथ ही खाली कतारों के बीच अंतरवर्तीय फसल लगाकर एक इकाई क्षेत्र से

अधिक उत्पादन लेकर अधिक धन कमाया जा सकता है। ध्यान रहे अंतरवर्तीय फसलों के लिये उर्वरक की मात्रा अलग से डाली जाये ताकि पोषक तत्वों के लिये संघर्ष नहीं हो पाये। अनुसंधानकर्ताओं का यह भी मानना है कि इस वर्ष ज्वार, मक्का, तिल, बाजरा तथा ग्वार का रकबा बढ़ाया जा सकता है। ज्वार, बाजरा तथा ग्वार की उत्पादन क्षमता तो पोषक तत्वों के भरपूर उपयोग कर बढ़ाई जा सकती है। दूसरी सबसे बड़ी जरूरत होगी जल, जिसके बिना जीवन दुर्लभ हो गया के बूंद-बूंद की हिफाजत के उपाय किये जायें। अतिरिक्त जल संरक्षण के विषय में भी गंभीरता से तैयारी करनी होगी ताकि आने वाले रबी सीजन में मुश्किलों का सामना नहीं होने पाये। सोयाबीन की बुआई मेढ़ पद्धति से करें। अन्य फसलों के रखरखाव की ओर भी ध्यान रखा जाये। कम अवधि की सोयाबीन, धान लगाकर रबी की कुंडली पर यथा संभव सामन्जस्य बनाया जा सके। कम लागत की तकनीकी का अंगीकरण जितने अधिक क्षेत्र में होगा उतनी ही अधिक सुरक्षित हमारी फसलें भी होंगी। आईये मानसून की चुनौतियों के लिये उपलब्ध तकनीकी का विस्तार करके सफलता से सामना किया जा सके।

मध्यप्रदेश में नई मत्स्य नीति की असली कसौटी

• राज कुमार सिन्हा

मध्यप्रदेश में हाल ही में अपनी नई एकीकृत मत्स्य नीति 2026 लागू कर मत्स्य क्षेत्र में 'ब्लू इकानामी' के एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में विगत 6 जुलाई को जबेदी अल कुवैत की अग्रणी कंपनी और कामदार्स केयर इंदौर के बीच मत्स्य पालन के लिये 7 हजार 430 करोड़ रुपये का अनुबंध संपादित हुआ। इस निवेश से इंदिरा सागर, बरगी बाणसागर और बारना जलाशय में केज कल्चर सहित बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।

इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि एकिकृत मत्स्योद्योग नीति 2026 के तहत गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय विस्तार दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश में लगभग 15 से 16 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मत्स्य व्यवसाय से जुड़े माने जाते हैं। अधिकांश मछुआरे गरीबी रेखा या उसके आसपास जीवन यापन करते हैं। बाजार का नियंत्रण ठेकेदारों या मध्यस्थों के पास होने से मछुआरों को वास्तविक लाभ कम मिलता है। जलाशयों को ठेकेदार या बाहरी व्यक्तियों को दिया जाता है। छोटे मछुआरे अधिकार विहीन और ठेकेदारों के अंदर मजदूर बन कर रह जाते हैं। जलाशय के नीलामी में स्थानीय मछुआरा की सहकारी समिति भाग ही नहीं ले पाता है। क्योंकि लीज की दरें बहुत अधिक होती है, प्रक्रियाएं जटिल और सरकारी अधिकारी एवं ठेकेदार के बीच गठजोड़ के कारण गरीब समूह भाग भी नहीं ले पाते। बड़े संविदाकार और मत्स्य विभाग के नियम छोटे मछुआरों को ठेका पद्धति में शामिल होने की संभावना को सीमित करता है।

बाज़ार में दलालों पर निर्भरता, उचित मूल्य का अभाव और मत्स्य भंडारण या कोल्ड चेन न होने से मछली तुरंत बेचनी पड़ती है जो शोषण का मुख्य कारण है। अधिकांश मछुआरे दुर्घटना, मौसम, बाजार से नुकसान में सुरक्षा रहित रहते हैं।

मध्यप्रदेश सरकार ने अपने पिछले 2008 की मछुआरा नीति में बदलाव करते हुए 2026 की नई मछुआरा नीति घोषित किया है। मध्यप्रदेश की 2008 की मछुआरा नीति और 2026 की नई एकीकृत मत्स्य नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देते हैं। 2008 की नीति मुख्यतः जलाशयों के पट्टा प्रबंधन और पारंपरिक मत्स्य पालन पर केंद्रित थी, जबकि 2026 की नीति आधुनिक तकनीक, उत्पादन वृद्धि, निजी निवेश और व्यावसायिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देने वाली नीति के रूप में सामने आई है।

2008 की नीति में मुख्य जोर तालाबों और जलाशयों के पट्टों के वितरण तथा मछुआ सहकारी समितियों की भूमिका पर था। जिला पंचायतों को जलाशय प्रबंधन का अधिकार दिया गया था। 2026 की नीति में मत्स्य क्षेत्र को 'एग्री-बिजनेस' और 'ब्लू इकॉनमी' के रूप में विकसित करने पर जोर है। इसमें उत्पादन बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और निर्यात क्षमता बढ़ाने की दिशा दिखाई देती है। केज कल्चर का बड़ा विस्तार है जबकि 2008 की नीति में पारंपरिक तालाब आधारित मछली पालन प्रमुख था।

2026 की नीति में बड़े पैमाने पर 'केज कल्चर' को बढ़ावा दिया जा रहा है और लगभग एक लाख फिश केज स्थापित करने की योजना बताई गई है। इससे बड़े जलाशयों में औद्योगिक स्तर पर मछली उत्पादन संभव होगा। पुरानी नीति में सहकारी समितियों और स्थानीय मछुआरों की भूमिका अधिक थी। नई नीति में निजी कंपनियों, निवेशकों और आधुनिक एक्वाकल्चर मॉडल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे मत्स्य पालन का कॉर्पोरेटकरण बढ़ने की संभावना ज्यादा है।

2008 की नीति में तकनीकी पहल सीमित थीं। जबकि 2026 नीति में आधुनिक हैचरी,रिसर्च सेंटर,एकीकृत एक्वा पार्क,फिश फीड, बायोफ्लॉक, डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया है। 2008 नीति का उद्देश्य पारंपरिक मछुआ समुदाय की आजीविका सुरक्षा था। प्राकृतिक आपदा होने पर पट्टा राशि में राहत जैसी व्यवस्था भी थी।

2026 नीति में उत्पादन दोगुना करने और राजस्व बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिखाई देता है। हालांकि सरकार इसे 'मछुआ समृद्धि' से जोड़ रही है। 2008 में जलाशय स्थानीय सहकारी समितियों के नियंत्रण में अधिक थे। 2026 के मत्स्य नीति में बड़े जलाशयों के व्यावसायिक उपयोग, केज कल्चर और अनुबंध आधारित मत्स्य पालन के कारण स्थानीय मछुआरों की पारंपरिक पहुंच सीमित होने की आशंका है।

नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने इस वर्ष के बजट में मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में 412 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान किया है। मध्यप्रदेश की 2026 की एकीकृत मत्स्य नीति राज्य के मत्स्य क्षेत्र को पारंपरिक आजीविका आधारित व्यवस्था से निकालकर 'ब्लू इकॉनमी' और निवेश आधारित व्यावसायिक मॉडल की ओर ले जाती दिखाई देती है।

मध्यप्रदेश ने नई एकीकृत मत्स्य नीति-2026 और हजारों करोड़ रुपये के निवेश के साथ 'ब्लू इकॉनामी' की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। लेकिन उत्पादन और निवेश केंद्रित इस मॉडल के बीच पारंपरिक मछुआरों के अधिकार, आजीविका, सहकारी व्यवस्था और जलाशयों की पारिस्थितिकी को लेकर गंभीर सवाल भी सामने खड़े हो रहे हैं।

सरकार उत्पादन वृद्धि, आधुनिक तकनीक, केज कल्चर, निजी निवेश और निर्यात क्षमता को बढ़ाने को विकास का आधार मान रही है। इससे मत्स्य उत्पादन और राजस्व में वृद्धि की संभावनाएं अवश्य बनती हैं, लेकिन इसके साथ कई गंभीर सामाजिक और पारिस्थितिक प्रश्न भी उभर रहे हैं।नई नीति के कारण जलाशयों पर कॉर्पोरेट और ठेकेदार आधारित नियंत्रण बढ़ने, छोटे मछुआरों की पारंपरिक पहुंच सीमित होने तथा सहकारी समितियों की भूमिका कमजोर पड़ने की आशंका है। यदि नीति निर्माण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी, पारदर्शी पट्टा व्यवस्था, उचित बाजार संरचना, कोल्ड चेन, बीमा सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन को केंद्र में नहीं रखा गया, तो 'नीली क्रांति' का लाभ सीमित समूहों तक सिमट सकता है और पारंपरिक मछुआ समुदाय हाशिए पर चले जाएंगे। महिलाओं की भूमिका मछली प्रसंस्करण और विपणन में महत्वपूर्ण होने के बावजूद निर्णय प्रक्रिया और संस्थागत प्रतिनिधित्व में उनकी भागीदारी सीमित रहती है। मध्यप्रदेश कि राज्य मत्स्य महासंघ द्वारा 7 बड़े और 19 मझौले मिलाकर कुल 26 जलाशयों का नियंत्रण किया जाता है। जिसका कुल क्षेत्रफल 2.29 लाख हेक्टेयर है। जिला पंचायतों के 79 और ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत 3484 तालाब हैं। प्रदेश में 3.56 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र (जिसमें राज्य मत्स्य महासंघ के 26 जलाशय, पोखर और तालाब शामिल है) है, इसमें से 3.49 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र में मछली पालन किया जाता है।विधानसभा में पुछे गए सवाल के जबाब अनुसार मध्यप्रदेश के विभिन्न जलाशयों एवं तालाबों से विगत तीन वित्तीय वर्षो में 2019-20 में 3340.00, 2020-21 में 4538.197 और 2021-22 में 5381.00 मेट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ था।

बरगी जलाशय में सिवनी, मंडला और जबलपुर जिले के 54 प्राथमिक मछुआरा सहकारी समिति मत्स्याखेट कार्य करती है। परन्तु विगत पांच वर्षों से जलाशय में मत्स्य उत्पादन में भारी गिरावट के कारण सैकड़ों मछुआरे रोजगार के लिए पलायन को बाध्य होते हैं। मछुआरे काम की तलाश में बाणसागर जलाशय शहडोल, माचागोरा जलाशय छिंदवाड़ा और भीमगढ़ जलाशय सिवनी निकल जाते हैं।जहां ठेकेदार बहुत ही कम दरों पर मत्स्याखेट करा कर मछुआरों का आर्थिक शोषण करता है। जबकि 90 के दशक में मध्यप्रदेश के बरगी और तवा जलाशय में मत्स्याखेट का चर्चीत सहकारी मॉडल देश के महत्वपूर्ण सामुदायिक मत्स्य प्रबंधन प्रयोगों में माना जाता है।

नर्मदा नदी पर निर्मित इस विशाल जलाशय ने विस्थापन और आजीविका संकट के बीच स्थानीय मछुआ समुदायों को रोजगार का एक बड़ा आधार प्रदान किया। विशेष रूप से प्राथमिक मछुआ सहकारी समितियों के माध्यम से जलाशय आधारित मत्स्य उत्पादन और विपणन का जो ढांचा विकसित हुआ, उसने हजारों परिवारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया। इस मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें मछुआरों को केवल मजदूर नहीं बल्कि संसाधन प्रबंधन का सहभागी माना गया। सहकारी समितियां मत्स्य बीज संचयन, मत्स्याखेट, उत्पादन प्रबंधन और विपणन जैसे कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती थीं। इससे स्थानीय स्तर पर सामूहिक स्वामित्व और आर्थिक भागीदारी की भावना विकसित हुई। आज जब नई मत्स्य नीतियों में केज कल्चर, निजी निवेश और व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तब बरगी और तवा जलाशय का अनुभव यह संकेत देता है कि विकास का मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसमें उत्पादन वृद्धि के साथ स्थानीय मछुआरों के अधिकार, रोजगार और जलाशयों की पारिस्थितिकी भी सुरक्षित रहे।

मध्यप्रदेश के पारम्परिक मछुआरे राज्य की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण भागीदार हैं, लेकिन उनकी आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक वंचना और संसाधनों पर घटते अधिकार गंभीर चिंता का विषय हैं। समावेशी नीतियों, संसाधनों पर न्यायपूर्ण अधिकार और आजीविका सुदृढ़ीकरण के माध्यम से ही उनके जीवन स्तर में स्थायी सुधार संभव है। **(सप्रेस)**

सोयाबीन की खेती बोवनी से लेकर कटाई तक

● डॉ. एम. के. श्रीवास्तव ● डॉ. पवन कुमार अमृते
● डॉ. संजय सिंह ● डॉ. अजय जैसवाल
● डॉ. प्रतीक कुमार ● डॉ. अमित कुमार
अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक

सोयाबीन मध्यप्रदेश में खरीफ मौसम में बहुत अधिक क्षेत्र (लगभग 53 लाख हे.) में उगाई जाती है जिसमें 90 प्रतिशत मालवा का क्षेत्र आच्छादित होता है। वर्तमान में सोयाबीन उत्पादन को सीमित करने वाली कुछ प्रमुख समस्यायें हैं जिसके कारण उत्पादन एवं उत्पादकता में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है एवं किसान भाइयों को आर्थिक क्षति उठाना पड़ रही है।

इन समस्यायों में:

● चारकोल जड़ सड़न, पीला मोजैक एवं फली झुलसन।

● नए कीटों का प्रकोप जिसमें तने की मक्खी व चक्रभृंग (तना छेदक कीट), अर्ध कुन्डलक इल्ली, कम्बल कीट, तम्बाखू की इल्ली, अलसी की इल्ली, चने की फली छेदक (पत्ती भक्षक कीट), एवं सफेद मक्खी।

● भूमि में आवश्यक मुख्य तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों का असंतुलन।

● भूमि में कार्बनिक पदार्थ की कमी।

● समुचित जल प्रबंध का अभाव एवं अवर्षा की स्थिति में सिंचाई साधनों की कमी।

● खरपतवार की समस्या।

● मौसम की प्रतिकूलता जिसमें महत्वपूर्ण अवस्था में लम्बा सूखा, पकने की अवस्था में वर्षा का होना, जल भराव आदि।

ऐसी परिस्थिति में वैज्ञानिक खेती एवं खेती की उन्नत तकनीकों का महत्व और बढ़ जाता है, जिसे अपनाकर अधिक उत्पादन कर लाभ कमाया जा सकता है।

भूमि का चयन एवं तैयारी

● सोयाबीन अम्लीय क्षारीय तथा रेतीली भूमि को छोड़कर हर प्रकार की मिट्टी में पैदा होती है।

● सोयाबीन की खेती उन खेतों में ही करें जहां जलभराव की समस्या तथा बीमारियों से ग्रसित खेत न हो।

● रबी फसल की कटाई के तुरंत बाद गर्मी में गहरी जुताई करें। ग्रीष्म कालीन गहरी जुताई के बाद 15-30 दिवस खेत खाली छोड़ने पर जमीन के नीचे आश्रय पाने वाले कीटों एवं भूमि जनित बीमारियों के अवशेष नष्ट हो जाते हैं तथा भूमि की जलधारण क्षमता एवं दशा में सुधार होता है।

● गोबर की खाद, कम्पोस्ट या वर्मी कम्पोस्ट तथा सिंगल सुपर फास्फेट को खेत में समान रूप से छिड़कने के बाद बोनी के लिए जुताई करना श्रेष्कर है।

● खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाये एवं खरपतवार नष्ट हो जायें इस प्रकार जुताई करें।

● बुआई के पूर्व खेत के निचले हिस्से में प्रति 20 मीटर अंतराल पर जल निकास नाली का निर्माण अवश्य करें जिससे अधिक वर्षा की दशा में पानी का निकास आसानी से हो सके एवं अवर्षा की दशा में सिंचाई उपलब्ध करा सकें।

बुवाई का समय

● सोयाबीन की बुवाई जून के अंतिम सप्ताह से (4-5 इंच या 80 से 100 मिली मी. वर्षा होने पर) से जुलाई के प्रथम सप्ताह के बीच उत्तम परिणाम देती है।

● इसमें परिस्थितिवश कुछ दिन आगे पीछे होना कोई विशेष प्रभाव नहीं डालता। मानसून में देरी होने पर जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हों बुवाई समय से ही करें।

जातियों का चयन

● सोयाबीन की जातियों का चुनाव उस क्षेत्र में वर्षा का औसत एवं भूमि के प्रकार को ध्यान में रखकर अर्थात् क्षेत्रीय अनुकूलता के आधार पर ही करें।

● औसत से कम वर्षा एवं हल्की से मध्यम भूमि वाले क्षेत्रों में शीध्र पकने वाली जातियाँ एवं औसत से अधिक वर्षा वाले एवं मध्यम से भारी भूमि वाले क्षेत्रों में मध्यम अवधि की जातियाँ लगाना उचित है।

उबम बीज व बीज दर

● सोयाबीन की सामान्य बीज दर 60-80 कि. ग्रा. प्रति हेक्टेयर निर्धारित हैं।

● जब बीज छोटे हों या ज्यादा फैलने वाली प्रजाति हो तो 60-70 कि. ग्रा. एवं बड़ा बीज हो तथा कम फैलने वाली प्रजाति हो तो 70-80 कि. ग्रा. प्रति हेक्टेयर बीज का प्रयोग करें।

● सोयाबीन बीज की अंकुरण क्षमता 70 प्रतिशत से अधिक हो एवं अनुवांशिक रूप से पूर्णतया शुद्ध हो वही बीज प्रयोग करें।

बीजोपचार

विभिन्न रोगों से फसल को सुरक्षित करने हेतु बीजोपचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक हैं। इसके लिए FIR के नाम से क्रम बनाया गया हैं जिसमें क्रमानुसार फफूंदनाशक (F), कीटनाशक (I) एवं अंत में जीवाणु कल्चर (R) को अपनायें।

बीजोपचार नहीं करने से पौधे विजाते हैं तथा पौध संख्या कम हो जाने से उत्पादन में हानि होती है। अतः यह सलाह है कि कृषकगण बोवनी से पहले सोयाबीन बीज को अनुशंसित फफूंदनाशक जैसे-

● एजोक्सीस्ट्रोबिन 2.5%+थायेफिनेट मिथाईल 11.25%+ थायामिथोक्सम 25% एम.एस. (10 मि.ली./किग्रा. बीज) या पेनफ्लूफेन+ ट्रायफ्लोक्सिस्ट्रोबीन 38 एफ.एस. 1 ग्रा./किग्रा. बीज या फ्लुैसापयौसाड 333 एफ.एस. (1 मि.ली./कि.ग्रा. बीज) या कार्बोक्सिन 37.5%+ थायरम 37.5% (3 ग्रा./किग्रा. बीज) या कार्बेन्डाजिम 25% मेन्कोजेब 50% डब्ल्यू.एस. (3 ग्रा./कि.ग्रा. बीज) अथवा जैविक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा विरिडी (8-10 ग्राम प्रति कि.ग्रा. बीज) से उपचारित करें। या ट्राइकोडर्मा हर्जियानम नामक जैविक फफूंदनाशक की 5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से भी उपचारित कर सकते हैं, इससे बीज एवं मृदा जनित रोगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

● जहाँ पर तना मक्खी, सफेद मक्खी एवं पीला मोजैक की समस्या ज्यादा हो वहाँ पर थायामेथोक्जाम 30 एफ.एस. नामक कीटनाशक दवा से 10 मि.ली/किलो बीज की दर से बीज उपचारित कर सकते हैं।

(अगले पृष्ठ पर जारी)

मध्य क्षेत्र हेतु उर्वरकों की अनुशंसा

क्षेत्र	एन:पी:के:एस (कि.ग्रा./हे.)	उर्वरकों के स्त्रोत एवं मात्रा
मध्य क्षेत्र	25:60:40:20	56 कि.ग्रा. यूरिया, 375 कि.ग्रा. सुपर फास्फेट एवं 67 कि.ग्रा. म्यूरेट ऑफ पोटाश

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड भाग, राजस्थान, गुजरात, उत्तर-पश्चिमी महाराष्ट्र में योयाबीन फसल के लिए अनुशंसित पोषक तत्वों (25:60:40:20 कि.ग्रा./हे. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश व सल्फर) की पूर्ति निम्न में से किसी भी एक प्रकार के उर्वरक स्त्रोतों से की जा सकती है।

● यूरिया 56 कि.ग्रा..375 कि.ग्रा. सुपर फास्फेट, 67 कि.ग्रा. म्यूरेट ऑफ पोटाश अथवा डी.ए.पी. 125 कि.ग्रा. , म्यूरेट ऑफ पोटाश 67 कि.ग्रा. , बेन्टोनेट सल्फर 25 कि.ग्रा./हे. अथवा मिश्रित उर्वरक 12:32:16/200 कि.ग्रा..25 कि.ग्रा. बेन्टोनेट सल्फर

उर्वरक एवं खाद

● भूमि की भौतिक दशा एवं गुणों को बनाये रखने तथा उत्पादन वृद्धि हेतु के लिए 5-10 टन गोबर की खाद या कम्पोस्ट या 5 टन फसलों का बारीक किया हुआ कचरा या भूसा और 5 टन कम्पोस्ट प्रति हेक्टेयर का उपयोग अच्छा परिणाम देता है ।

● जहाँ पर मिट्टी परीक्षण के उपरान्त जिंक एवं बोरान तत्व की कमी पाई जाये, वहाँ 7.5 कि.ग्रा. प्रति दो वर्ष के अंतराल पर जिंक एवं 1.0-1.5 कि.ग्रा. बोरान प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना लाभकारी है।

● फास्फोरस की पूरी मात्रा सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में देने पर गंधक पूर्ति हो जाती है या जिप्सम 2-2.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपयोग करने से भी गंधक की कमी पूरी हो जाती है।

बुवाई का तरीका

● सोयाबीन की बुवाई करते समय कतार से कतार की दूरी 30-45 से.मी. हो।

● कम ऊँचाई वाली तथा कम फैलने वाली जातियों को 30 से.मी. की कतार से कतार की दूरी पर बोयें।

● अधिक फैलने वाली मध्यम से अधिक ऊँचाई जातियों को 45 से.मी. की कतार से कतार की दूरी पर बोयें।

● पौधे से पौधे की दूरी 6-8 से. मी. रखें।

● बुवाई का कार्य मेढ़ - नाली एवं चौड़ी पट्टी - नाली विधि से करने से सोयाबीन की पैदावार में वृद्धि पायी गयी है एवं नमी संरक्षण तथा जल निकास में भी यह विधियां अत्यंत प्रभावी पायी गई है।

● विपरीत परिस्थितियों में बुवाई दुफन, तिफन या सीड ड्रिल से कर सकते हैं। बुवाई के समय जमीन में उचित नमी आवश्यक है।

● बीज जमीन में 2.5 से 3 से. मी. गहराई पर बोयें।

अंकुरण के बाद फसल की सुरक्षा

बुवाई के तीसरे दिन से दो सप्ताह तक अंकुरित नवजात पौधों को पक्षियों से बचाना बहुत आवश्यक है। सोयाबीन की फसल में प्रारंभ से ही कुछ कीट एवं बीमारियों का प्रकोप शुरू हो जाता है अतः इन पर निगरानी रखना अत्यंत आवश्यक है।

पौधों की प्रति हेक्टेयर संख्या

● सोयाबीन में अधिक फैलने वाली जातियों की 3 से 4 लाख के आसपास पौध संख्या एवं कम फैलने वाली जातियों की 4 से 6 लाख पौध संख्या प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है।

● वांछित पौध संख्या अधिक होने पर फसल के ढहने की सम्भावना रहती है एवं फूल तथा फल्लियाँ प्रकाश के आभाव में सड़ जाती हैं तथा कीट नियंत्रण के लिए कीट नाशकों का छिड़काव भी असरकारक नहीं होता है।

जल प्रबंध

● सोयाबीन में यदि उचित जल प्रबंध नहीं है, तो जो भी आदान दिया जाता है उसका समुचित उपयोग पौधों द्वारा नहीं हो पाता है। इसके साथ ही जड़ सड़न, झुलसन जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है एवं नींदा नियंत्रण कठिन हो जाता है जिसके फलस्वरूप, पौधों का विकास सीमित हो जाता है, एवं उत्पादन में भारी गिरावट आ जाती है।

● सामान्य तरीके से बुवाई के बाद 20-20 मीटर की दूरी पर ढाल के अनुरूप जल निकास नालियाँ अवश्य बनायें, जिससे अधिक वर्षा की स्थिति में जलभराव की स्थिति पैदा न हो एवं आवश्यकतानुसार सिंचाई भी दी जा सके।

● मेढ़-नाली विधि एवं चौड़ी पट्टी-नाली विधि की बुवाई, जल निकास में भी प्रभावी पायी गयी हैं।

● यदि एक सप्ताह से ज्यादा वर्षा का अन्तराल हो जाये तो सिंचाई की सुविधा होने पर हल्की सिंचाई इन्हीं नालियों के माध्यम से करें। उचित जल प्रबंध से सोयाबीन की पैदावार में वृद्धि होती है।

लाभकारी अंतरवर्तीय फसलें

● सोयाबीन+मक्का (चार कतारः दो कतार)
● सोयाबीन+अरहर (चार कतारः दो कतार)
● सोयाबीन+ज्वार (चार कतारः दो कतार)
● सोयाबीन+कपास (चार कतारः एक कतार)

लाभकारी फसल चक्रः

सोयाबीन-गेहूँ, सोयाबीन-अलसी, सोयाबीन-चना, सोयाबीन-आर्केल मटर

कटाई, गहाई एवं भंडारण

● सोयाबीन की कटाई हँसिया या मशीन से की जाती है।

● फसल की कटाई तब करें जब 95 प्रतिशत फलियां भूरी पड़ जायें और पत्तियाँ झड़ जायें।

● अधिक देरी से कटाई करने पर चटकने की संभावना रहती है। बीज वाली फसल की कटाई कम्बाईन से न करें।

● यदि कटाई के समय वर्षा की संभावना हो तो कटाई रोक दें। फसल के गट्ठों को दो तीन दिन तक खेत में सूखने के बाद खलिहान में ले जायें।

● गहाई थ्रेसर मशीन से करने के लिये सूखी हुई फसल की गंजियाँ बना लें। थ्रेसर की की गति 300-500 आर.पी.एम. एवं पंखे की गति 1400-1500 आर.पी.एम. रखें।

● ट्रैक्टर से गहाई के लिए खलिहान में फसल की मोटी परत बिछा दें और सूखने के लिए छोड़ दें। जब फल्लियां चटकने लगें तब नये टायर वाले ट्रैक्टर से धीमी गति गहाई करें।

● गहाई हो जाने पर तेज हवा में या पंखों से उडावनी कर बीजों को डंठल एवं भूसा से अलग करें। बीज को पुनः धूप में 2 से 3 दिनों तक सुखाकर एवं छानकर भंडारण सूखे एवं ठंडे स्थानों में कोठियों एवं बोरों में करें।

● भण्डारण के लिए बीज में 9 प्रतिशत के आस पास नमी सर्वथा उपयुक्त है। बीजों को साफ-सुथरी बोरियों में भरें। बोरियों की सिलाई के बाद उन्हें 6 बोरियों तक की छल्ली लगायें।

सोयाबीन की उन्नत खेती हेतु सुझाव

● सोयाबीन की खेती उपयुक्त जमीन में ही करें।

● ग्रीष्म कालीन गहरी जुताई करें।

● मृदा परीक्षण कर प्रमुख एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा का पता लगायें तदानुसार उर्वरक डालें।

● 5 टन प्रति हे. के हिसाब से गोबर खाद या कम्पोस्ट या 5 टन बारीक कचरा और 5 टन कम्पोस्ट का उपयोग करें।

● खेत में जल निकास,सिंचाई की व्यवस्था करें।

● हल्की से मध्यम भूमि में कम अवधि की तथा मध्यम से भारी भूमि में मध्यम अवधि की किस्में लगायें।

● एक से अधिक किस्मों को लगायें।

● बोनी हेतु स्वस्थ, सुडौल, साफएवं 70 प्रतिशत से अधिक अंकुरण क्षमता वाला बीज प्रयोग करें।

● बीज दर 60-80 किलोग्राम प्रति हे. ।

● आवश्यक पौध संख्या 4-6 लाख प्रति हे. के मध्य रखें।

● नींदा, रोग एवं कीट व्याधियों का सही समय पर, सही दवा तथा सही विधि द्वारा नियंत्रण करें।

● फसल कटाई समय से करें।

● सोयाबीन के साथ अरहर, मक्का, ज्वार, कोदो, कुटकी की अंतरवर्तीय फसल लगायें।

● उचित फसल चक्र अपनायें।

म.प्र. के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों हेतु सोयाबीन की उपयुक्त प्रजातियाँ

क्र.	कृषि जलवायु क्षेत्र	जिले	उपयुक्त प्रजातियां
1.	छत्तीसगढ़ का मैदान	बालाघाट तथा वारासिवनी	जे.एस. 335, जे.एस.93-05, जे.एस. 95-60, जे.एस. जे.एस.20-34, जे.एस. 20-98,जे.एस. 20-116, जे.एस. 21-72
2.	छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र	सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, कोरिया, मन्द्रेगढ़, सूरजपुर, अम्बिकापुर	जे.एस. 335,जे.एस. 20-116, जे.एस. 21-72, आर.एस.सी. 10-46, आर.एस.सी. 10-71
3.	कैमोर का पठार तथा सतपुड़ा की पहाड़ियां	जबलपुर, कटनी, पन्ना, सतना, रीवां, सीधी, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, सिवनी	जे.एस. 335, जे.एस.93-05,जे.एस. 22-12, जे.एस. 22-16 जे.एस. 20-34, जे.एस.21-72 जे.एस. 20-69, जे.एस. 20-98, जे.एस. 20-116, जे. एस.21-72, जे.एस. 23-03, जे.एस. 23-09
4.	विन्ध्या पठार	भोपाल, सीहोर, विदिशा, सागर, दमोह, रायसेन	जे.एस. 335,जे .एस. 22-12, जे .एस. 22-16 जे. एस.20-34, जे.एस. 21-72 जे.एस. 20-69, जे.एस.20-98, जे.एस. 20-116, एन.आर.सी. 157, एन.आर.सी. 130, एन.आर.सी. 150, एन.आर.सी. 152, एन.आर.सी. 138, एन.आर.सी. 132, जे.एस. 23-03, जे.एस. 23-09
5.	मध्य नर्मदा घाटी	नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा	जे.एस. 335, जे .एस. 22-12, जे. एस. 20-34, जे. एस. 21-72, जे .एस. 22-16, जे.एस. 20-69, जे.एस.20-98, जे.एस. 20-116, जे.एस. 23-03, जे.एस. 23-09
6.	गिर्द क्षेत्र	ग्वालियर, भिन्ड, मुरैना, शिवपुरी, गुना	जे. एस. 20-34, जे .एस. 22-12, जे.एस. 22-16, जे.एस.21-72, जे. एस. 20-69, जे.एस.20-98,एन.आर.सी.132, आर.वी.एस. 2001-4,आर.वी.एस.24, आर.वी.एस.एम. 2011-35, जे.एस. 23-03, जे.एस. 23-09
7.	बुंदेलखंड क्षेत्र	छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया	जे.एस. 335, जे .एस. 22-12, जे .एस. 22-16, जे.एस.21-72,जे.एस. 20-34, जे.एस. 20-69, जे.एस. 20-98, जे.एस. 20-116, आर.वी.एस.एम. 2011-35, जे.एस. 23-03, जे.एस. 23-09
8.	सतपुड़ा का पठार	छिंदवाड़ा, बैतूल	जे.एस. 335, जे .एस. 22-12, जे .एस. 22-16, जे. एस. 21-72, एन.आर.सी. 157, एन.आर.सी.130, एन.आर.सी. 150, एन.आर.सी. 152, एन.आर.सी. 138, एन.आर.सी. 132 जे.एस 20-34, जे.एस. 20-29,जे.एस.20-69,जे.एस.20-98, जे.एस.20-116,आर.वी.एस.76, आर.वी.एस.एम. 2011-35, जे.एस. 23-03, जे.एस. 23-09
9.	मालवा का पठार	मंदसौर,रतलाम, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, देवास तथा धार का कुछ क्षेत्र	जे.एस. 335,जे .एस. 22-12, जे .एस. 22-16, जे. एस. 21-72, जे.एस 95-60, जे .एस 20-34, जे. एस. 20-29, आर.वी.एस. 76, एन.आर.सी. 157, एन.आर.सी. 130, एन.आर.सी. 150, एन.आर.सी. 152, एन.आर.सी. 138, एन.आर.सी. 132, आर.वी.एस. 2001-4, आर.वी.एस. 24, आर.वी.एस. 18, जे.एस. 20-116, जे.एस.20-94, आर.वी.एस.एम. 2011-35, जे.एस. 23-03, जेएस 23-09
10.	निमाड़ घाटी	खंडवा, खरगोन, बड़वानी	जे.एस. 335, जे .एस. 22-12, जे .एस. 22-6, जे. एस. 21-72, जे.एस. 95-60, जे.एस.20-34, जे. एस. 20-29, एन.आर.सी. 157, एन.आर.सी.130, एन.आर.सी. 150, एन.आर.सी. 152, एन.आर.सी. 138, एन.आर.सी. 132, आर.वी.एस. 2001-4, आर.वी.एस. 24, आर.वी.एस. 18, आर.वी.एस. 76, जे.एस. 20-116 जे.एस.20-94, आर.वी.एस.एम. 2011-35, जेएस 23-03, जेएस 23-09
11.	झाबुआ की पहाड़ियाँ	झाबुआ तथा धार का कुछ क्षेत्र	जे.एस. 22-12, जे .एस. 22-16, जे. एस. 21-72, एन.आर.सी. 130, आर.वी.एस. 18, जे.एस.20-34, एन.आर.सी. 132, जे.एस. 23-03, जे.एस. 23-09

भारत में सोयाबीन के लिए अनुशंसित खरपतवारनाशक - संपूर्ण सूची

कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, बुवाई के बाद शुरुआती 40 से 45 दिन सोयाबीन की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधि होती है। यदि इस दौरान खेत में खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण नहीं किया जाए, तो वे नमी, पोषक तत्व, सूर्य के प्रकाश और स्थान के लिए फसल से तीव्र प्रतिस्पर्धा करते हैं। परिणामस्वरूप उत्पादन में 30 से 80 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। एक बार यदि प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार फसल पर हावी हो जाएं, तो बाद में किए गए नियंत्रण उपाय भी अक्सर उस नुकसान की पूरी भरपाई नहीं कर पाते।

इसी कारण आधुनिक सोयाबीन उत्पादन में खरपतवार नियंत्रण को अब केवल एक बार किए जाने वाले छिड़काव के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे बुवाई पूर्व (PPI), बुवाई के तुरंत बाद (PE) तथा फसल उगने के बाद (PoE) तीन चरणों में विभाजित वैज्ञानिक रणनीति के रूप में अपनाया जा रहा है।

भारत में सोयाबीन आज केवल एक तिलहनी फसल नहीं रह गई है, बल्कि खाद्य तेल उद्योग, पशु आहार तथा कृषि निर्यात की दृष्टि से भी इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तथा अन्य राज्यों में लाखों किसान इसकी खेती करते हैं। बेहतर किस्मों, उन्नत कृषि यंत्रों और वैज्ञानिक पोषक तत्व प्रबंधन के बावजूद खरपतवार आज भी सोयाबीन उत्पादन के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक हैं।

इसी उद्देश्य से आईसीएआर-राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान (NSRI), इंदौर ने केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (CIB) के 31 मार्च 2026 तक के लेबल दावों के आधार पर सोयाबीन के लिए अनुशंसित खरपतवारनाशकों की नवीनतम सूची जारी की है। यह सूची किसानों को विभिन्न परिस्थितियों, खरपतवारों की प्रकृति तथा फसल की अवस्थानुसार उपयुक्त विकल्प उपलब्ध कराती है।

संस्थान किसानों को यह भी सलाह देता है कि खरपतवारनाशकों के प्रभावी उपयोग के लिए पर्याप्त पानी का प्रयोग किया जाए। नैपसैक स्प्रेयर से प्रति हेक्टेयर 450-500 लीटर तथा पावर स्प्रेयर से लगभग 120 लीटर पानी का उपयोग करें। वहीं, खड़ी फसल में छिड़काव के लिए फ्लड जेट या फ्लैट फैन नोजल का उपयोग बेहतर परिणाम देता है।

तीन चरणों में तैयार होती है प्रभावी खरपतवार नियंत्रण रणनीति

राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ने खरपतवारनाशकों को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है-

बुवाई पूर्व मिट्टी में मिलाए जाने वाले (Pre-Plant Incorporation – PPI)

बुवाई के तुरंत बाद उपयोग होने वाले (Pre-Emergence – PE)

फसल उगने के बाद उपयोग होने वाले (Post-Emergence – PoE)

इन तीनों चरणों का उद्देश्य अलग-अलग है, लेकिन इनका अंतिम लक्ष्य एक ही है-फसल को शुरुआती प्रतिस्पर्धा से मुक्त रखते हुए अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करना।

बुवाई पूर्व उपयोग किए जाने वाले खरपतवारनाशकों का उद्देश्य खरपतवारों के अंकुरण से पहले ही उन्हें नियंत्रित करना होता है। इन्हें मिट्टी में अच्छी तरह मिलाया जाता है ताकि सक्रिय तत्व खरपतवारों के अंकुरण क्षेत्र तक पहुंच सके। जिन खेतों में हर वर्ष खरपतवारों का अधिक प्रकोप रहता है या देर से बुवाई की जा रही हो, वहां यह तकनीक विशेष रूप से उपयोगी मानी जाती है।

वहीं, प्री-इमर्जेंस (PE) खरपतवारनाशक बुवाई के तुरंत बाद छिड़के जाते हैं। ये मिट्टी की ऊपरी सतह पर एक रासायनिक परत बना देते हैं, जिससे अंकुरित होने वाले खरपतवार प्रारंभिक अवस्था में ही नष्ट हो जाते हैं। इनकी प्रभावशीलता काफी हद तक मिट्टी में उपलब्ध नमी पर निर्भर करती है। यदि छिड़काव के बाद पर्याप्त वर्षा या सिंचाई उपलब्ध हो जाए, तो परिणाम कहीं अधिक बेहतर मिलता है।

पिछले कुछ वर्षों में प्री-इमर्जेंस खरपतवारनाशकों के विकल्पों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहले जहां किसानों के पास मुख्य रूप से पेन्डीमेथालिन या मेट्रिब्यूजिन जैसे सीमित विकल्प थे, वहीं अब पाइरोक्सासल्फोन, सल्फेन्ट्राजोन, डायक्लोसुलम और फ्लूमिऑक्साजिन जैसे नए सक्रिय तत्व उपलब्ध हैं। इनके अलावा कई प्रीमिक्स उत्पाद भी बाजार में उपलब्ध हैं, जो एक साथ घास कुल, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों और कुछ अन्य कठिन खरपतवारों पर प्रभावी नियंत्रण प्रदान करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि विभिन्न मोड ऑफ एक्शन वाले खरपतवारनाशकों का उपयोग खरपतवारों में प्रतिरोधक क्षमता (Herbicide Resistance) विकसित होने की संभावना को भी कम करता है। यही कारण है कि आधुनिक खरपतवार प्रबंधन केवल एक ही रसायन पर निर्भर रहने के बजाय विभिन्न सक्रिय तत्वों के वैज्ञानिक उपयोग पर बल देता है।

(अगले पृष्ठ पर जारी)

सोयाबीन में बुवाई पूर्व (PPI) एवं बुवाई के तुरंत बाद (PE) उपयोग हेतु अनुशंसित खरपतवारनाशक

उपयोग का समय	रासायनिक नाम/फॉर्मुलेशन	मात्रा प्रति हेक्टेयर
बुवाई पूर्व (PPI)	डायक्लोसुलम 0.9% + पेन्डीमेथालिन 35% SE (22.5 + 875 ग्राम सक्रिय तत्व/हे.)	2.51 लीटर
	पेन्डीमेथालिन + इमेजेथापायर	2.5-3.0 लीटर
	फ्लूक्लोरालिन 45 EC	2.22-3.33 लीटर
बुवाई के तुरंत बाद (PE)	पाइरोक्सासल्फोन 63.75%+डायक्लोसुलम 13% WG	200 ग्राम
	मेटोलाक्लोर 35.98% + सल्फेन्ट्राजोन 11.51% EC	2.50 लीटर
	डायक्लोसुलम 0.9%+पेन्डीमेथालिन 35% SE	2.51 लीटर
	डायक्लोसुलम 84 WDG	26-30 ग्राम
	सल्फेन्ट्राजोन 39.6 SC	0.75 लीटर
	क्लोमाजोन 50 EC	1.50-2.00 लीटर
	पेन्डीमेथालिन 30 EC	2.50-3.30 लीटर
	पेन्डीमेथालिन 38.7 CS	1.50-1.75 कि.ग्रा.
	फ्लूमिऑक्साजिन 50 SC	0.25 लीटर
	मेट्रिब्यूजिन 70 WP	0.75-1.00 कि.ग्रा.
	सल्फेन्ट्राजोन + क्लोमाजोन	1.25 लीटर
	पाइरोक्सासल्फोन 85 WG	150 ग्राम
	मेटोलाक्लोर 50 EC	2.00 लीटर

स्रोत: आईसीएआर-राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (CIB) के 31 मार्च 2026 तक के लेबल दावों के अनुसार।

KRISHAK JAGAT'S
GLOBAL AGRICULTURE
FOOD SECURITY WITH SUSTAINABILITY
Subscribe to Global Agriculture Magazine and Get Into The Leadership Mindset
Get Access to Exclusive Articles from
Chief Executives, Bureaucrats, Strategic Marketers, Researchers and Economists.

Subscriber Benefits
- A physical copy of Global Agriculture Magazine every month.
- Segment-wise crafted newsletter with exclusive articles, interviews, case studies, and research findings.
- First-hand information on all the global agriculture events and discounts on participation.
- Copy of keynote addresses and presentations of agriculture-related events on your e-mail address.

SCAN TO KNOW MORE

समेकित विधि - खरपतवार पर काबू पाने के लिए एक साथ अपनाएं कई उपाय

राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान स्पष्ट रूप से यह भी सलाह देता है कि खरपतवारनाशकों को अकेले समाधान नहीं माना जाना चाहिए। समय पर बुवाई, अच्छी भूमि तैयारी, आवश्यकतानुसार कल्टीवेटर का उपयोग, फसल चक्र अपनाना तथा आवश्यकता पड़ने पर यांत्रिक या हाथ से निराई जैसे उपाय भी खरपतवार हटाने का अभिन्न हिस्सा हैं।

आज भारतीय किसानों के पास खरपतवार नियंत्रण के लिए पहले की तुलना में कहीं अधिक वैज्ञानिक विकल्प उपलब्ध हैं। लेकिन किसी भी खरपतवारनाशक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका चयन खेत में मौजूद खरपतवारों की प्रकृति, फसल की अवस्था और सिफारिश मात्रा के अनुसार किया गया है या नहीं।

आईसीएआर-राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की नवीनतम अनुशंसाएँ स्पष्ट संकेत देती हैं कि यदि किसान सही समय पर सही खरपतवारनाशक का चयन करें, अनुशंसित मात्रा में उसका उपयोग करें तथा समेकित खरपतवार प्रबंधन की रणनीति अपनाएँ, तो न केवल शुरुआती खरपतवार प्रतिस्पर्धा को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है, बल्कि सोयाबीन की उत्पादकता और लाभप्रदता में भी उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है।

फसल उगने के बाद खरपतवार नियंत्रण की भूमिका

यद्यपि बुवाई पूर्व (PPI) और बुवाई के तुरंत बाद (PE) उपयोग किए जाने वाले खरपतवारनाशक शुरुआती खरपतवारों पर प्रभावी नियंत्रण करते हैं, फिर भी वर्षा की अनियमितता, देर से अंकुरण या मिश्रित खरपतवारों के कारण कई बार कुछ खरपतवार बच जाते हैं। ऐसे में पोस्ट-इमर्जेंस (PoE) खरपतवारनाशक किसानों को स्थिति के अनुसार डालने का अवसर देते हैं।

राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के अनुसार, इन खरपतवारनाशकों का छिड़काव खरपतवारों की शुरुआती अवस्था में करना सबसे अधिक प्रभावी होता है। बड़े हो चुके खरपतवारों पर इनकी क्षमता कम हो सकती है। इसलिए समय पर छिड़काव, सिफारिश की गई मात्रा का पालन और पर्याप्त पानी के साथ फ्लड जेट या फ्लैट फैन नोजल का उपयोग बेहतर परिणाम देता है।

इसके साथ ही संस्थान किसानों को सलाह देता है कि केवल रासायनिक नियंत्रण पर निर्भर रहने के बजाय फसल चक्र, समय पर बुवाई, यांत्रिक निराई-गुड़ाई तथा विभिन्न तरीकों से सटीक काम करने वाले खरपतवारनाशकों का क्रमवार उपयोग अपनाया जाए। इससे खरपतवारों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने की संभावना कम होती है और लम्बे समय तक खरपतवार प्रबंधन प्रभावी बना रहता है।

सोयाबीन में फसल उगने के बाद (Post-Emergence – PoE) उपयोग हेतु अनुशंसित खरपतवारनाशक

रासायनिक नाम / फॉर्मुलेशन	मात्रा प्रति हेक्टेयर
(A) बुवाई के 10-12 दिन बाद	
क्लोरीम्यूरॉन एथाइल 25 WP + सर्फेक्टेंट	36 ग्राम
बेंटाजोन 48 SL	2.00 लीटर
(B) बुवाई के 15-20 दिन बाद	
क्लेथोडिम 13% EC (12% w/v EC)	1000 मि.ली.
इमेजेथापायर 10 SL	1.00 लीटर
इमेजेथापायर 70 WG + सर्फेक्टेंट	100 ग्राम
क्विज़ालोफॉप एथाइल 5 EC	0.75-1.00 लीटर
क्विज़ालोफॉप-पी-एथाइल 10 EC	375-450 मि.ली.
फेनॉक्सीप्रॉप-पी-एथाइल 9.3 EC	1.11 लीटर
क्विज़ालोफॉप-पी-टेफ्यूरिल 4.41 EC	0.75-1.00 लीटर
फ्लूएज़ीफॉप-पी-ब्यूटाइल 13.4 EC	1.00-2.00 लीटर
हेलॉक्सीफॉप-आर-मेथाइल 10.5 EC	1.00-1.25 लीटर
प्रोपाक्विज़ाफॉप 10 EC	0.50-0.75 लीटर
क्लेथोडिम 25 EC	0.50-0.70 लीटर
फ्लूथियासेट मिथाइल 10.3 EC	125 मि.ली.
(C) प्री-मिक्स पोस्ट-इमर्जेंस खरपतवारनाशक	
फोमेसाफेन 17.5% + क्लोडिनाफॉप-प्रोपार्जिल 12.5% ME	1000 मि.ली.
मेटामीफॉप 8% + इमेजेथापायर 4% + इमेजामॉक्स 3% ME	1000 मि.ली. + 750 ग्राम अमोनियम सल्फेट
हेलॉक्सीफॉप-आर-मेथाइल एस्टर 16.5% + क्लोडिनाफॉप-प्रोपार्जिल 8% EC	1000 मि.ली.
फ्लूएज़ीफॉप-पी-ब्यूटाइल + फोमेसाफेन	1.00 लीटर
इमेजेथापायर + इमेजामॉक्स	100 ग्राम
प्रोपाक्विज़ाफॉप + इमेजेथापायर	2.00 लीटर
फोमेसाफेन + क्विज़ालोफॉप एथाइल	1.50 लीटर
फोमेसाफेन 12.5% + क्विज़ालोफॉप एथाइल 4.68% EC	1.00 लीटर
क्विज़ालोफॉप एथाइल + क्लोरीम्यूरॉन एथाइल + सर्फेक्टेंट	375 मि.ली. + 36 ग्राम + 0.2%
फोमेसाफेन + फेनॉक्सीप्रॉप-पी-एथाइल + क्लोरीम्यूरॉन एथाइल	1.00 लीटर
फ्लूथियासेट मिथाइल + क्विज़ालोफॉप एथाइल (2.5% +10% EC)	0.50 लीटर
क्विज़ालोफॉप एथाइल 7.5% + इमेजेथापायर 15% EC	0.50 लीटर
फेनॉक्सीप्रॉप-पी-एथाइल 6% + क्लोरीम्यूरॉन एथाइल 0.9% + इमेजेथापायर 10% SC	1.00 लीटर

स्रोत : आईसीएआर-राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (CIB) के 31 मार्च 2026 तक के लेबल दावों के आधार पर जारी अनुशंसाएँ।

इक्रीसेट, धारवाड़, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालयों ने विकसित की

मूंगफली की दो नई हाई-ओलिक किस्में

भारतीय मूंगफली किसानों के लिए अच्छी खबर है। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (इक्रीसेट) और उसके शोध साझेदार धारवाड़ कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित मूंगफली की दो नई हाई-ओलिक किस्में किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ भारत की खाद्य तेल मूल्य श्रृंखला को भी मजबूत करेंगी। ये किस्में अधिक उपज के साथ बेहतर गुणवत्ता का खाद्य तेल उपलब्ध कराती हैं, जिससे किसानों को प्रीमियम बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा।

नई किस्मों ICGV 201214 और ICGV 181030 को आईसीएआर के अखिल भारतीय समन्वित मूंगफली अनुसंधान परियोजना (AICRP-G) की वैरायटी आइडेंटिफिकेशन कमेटी (VIC) ने राष्ट्रीय स्तर पर जारी करने के लिए मंजूरी दी है। यह निर्णय गत दिनों पुणे में आयोजित वार्षिक समूह बैठक में लिया गया।

हाई-ओलिक मूंगफली में सामान्य किस्मों की तुलना में ओलिक अम्ल की मात्रा काफी अधिक होती है। इससे प्राप्त खाद्य तेल अधिक समय तक सुरक्षित रहता है, तथा पोषण की दृष्टि से भी बेहतर माना जाता है। यही कारण है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य निर्माता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के बीच इसकी मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे किसानों को बेहतर कीमत मिलने की संभावना है।

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के लिए पहली हाई-ओलिक मूंगफली

ICGV 181030 (ICDh 181030) का संयुक्त रूप से विकास इक्रीसेट और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज धारवाड़ ने किया है।

यह मध्यम अवधि की स्पेनिश बंच किस्म खरीफ मौसम में जोन-II (गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र) तथा जोन-IV (झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों) में खेती के लिए अनुशंसित की गई है।

इक्रीसेट में मूंगफली प्रजनन की प्रधान वैज्ञानिक डॉ. जनीला पसुपुलेटी के अनुसार, इस किस्म में लगभग 78 प्रतिशत ओलिक अम्ल पाया जाता है। तीन वर्षों के परीक्षणों में इसने जोन-IV में मानक किस्म गिरनार-3 की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक फली उत्पादन दिया, जबकि जोन-II में टीजी-37ए के मुकाबले 12 प्रतिशत अधिक उपज दर्ज की।

अधिक तेल और बेहतर बाजार क्षमता वाली दूसरी किस्म

दूसरी किस्म ICGV 201214 (ICGG 107) का विकास इक्रीसेट और जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से किया है।

गुजरात और राजस्थान के लिए खरीफ मौसम में अनुशंसित इस मध्यम अवधि की स्पेनिश बंच किस्म में 81 प्रतिशत ओलिक अम्ल, 53 प्रतिशत तेलतथा 27 प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। इसके दाने बड़े, आकर्षक और बाजार की मांग के अनुरूप हैं, जिससे किसानों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग दोनों को लाभ मिलेगा।

तीन वर्षों तक विभिन्न स्थानों पर किए गए परीक्षणों में इस किस्म ने तेल की मात्रा के मामले में सभी मानक किस्मों से बेहतर प्रदर्शन किया। साथ ही, व्यापक रूप से उगाई जाने वाली जेएल-501 किस्म की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक गिरी (कर्नेल) उत्पादन दर्ज किया।

साझेदारी से फसल सुधार को मिली नई दिशा

इक्रीसेट के ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम निदेशक (एक्सीलरेटेड क्रॉप इम्प्रूवमेंट) डॉ. रमन बाबू ने कहा कि आधुनिक फसल सुधार का उद्देश्य ऐसी किस्में विकसित करना होना चाहिए जो किसानों, उपभोक्ताओं और उद्योग-तीनों के लिए समान रूप से मूल्य सृजित करें।

इक्रीसेट के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक ने कहा कि यूएएस धारवाड़ और जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के साथ संस्थान की दीर्घकालिक साझेदारी ने भारत में हाई-ओलिक मूंगफली अनुसंधान को नई गति दी है उन्होंने कहा कि गिरनार-4 और गिरनार-5 जैसी सफल किस्मों के बाद विकसित ये नई किस्में किसानों की आय बढ़ाने, में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

धान की सीधी बुआई तकनीक

- डॉ. दीपक चौहान (वैज्ञानिक-कृषि अभियांत्रिकी)
- डॉ. मृगेन्द्र सिंह (वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख)
- डॉ. अल्पना शर्मा (वैज्ञानिक)
- डॉ. बृजकिशोर प्रजापति (वैज्ञानिक)
- भागवत प्रसाद पंद्रे (कार्यक्रम सहायक), कृषि विज्ञान केन्द्र, शहडोल

धान खाद्यान्न फसलों में गेहूं के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। खरीफ में धान की खेती के तहत ज्यादातर वर्षा आधारित क्षेत्र है जिनमे सिंचाई का साधन सिमित रहता है वहीं धान-गेहूं फसल पद्धति वाले क्षेत्रों में भूमिगत जलस्तर नीचे जाने, नहरों में पानी अंतिम मुहाने पर नहीं पहुंचने, श्रमिकों की कमी एवं मानसून के विलम्ब से आने के कारण धान की रोपाई का कार्य समय पर नहीं हो पाता है जिसके कारण उत्पादन प्रभावित होता है। धान की खेती में ज्यादा संसाधन जैसे- पानी, श्रम तथा ऊर्जा की आवश्यकता होती है एवं धान उत्पादन क्षेत्र में इन संसाधनों की कमी आती जा रही है। धान उत्पादन में जहाँ पानी खेतों में भर कर रखा जाता है जिसके कारण मीथेन गैस उत्सर्जन भी बढ़ता है जो की जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य कारण है। रोपण पद्धति के लिए खेतों में पानी भरकर उसे ट्रैक्टर से मचाया जाता है जिससे मृदा के भौतिक गुण जैसे मृदा सरंचना, मिट्टी संघनता तथा अंदरूनी सतह में जल की पारगम्यता आदि खराब हो जाती है जिससे आगामी फसलों की उत्पादकता में कमी आने लगती है। जलवायु परिवर्तन, मानसून की अनिश्चितता, भू-जल संकट, श्रमिकों की कमी और धान उत्पादन की बढ़ती लागत को देखते हुए हमें धान उपजाने की परंपरागत पद्धति-सीधी बुआई विधि को पुनः अपनाना होगा तभी हम आगामी समय में पर्याप्त धान पैदा करने में सक्षम हो सकते है।

धान में सीधी बुवाई की आवश्यकता क्यों है

रोपण विधि से धान की खेती करने में पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अनुमान है कि 1 किलो धान पैदा करने के लिए लगभग 4000-5000 लीटर पानी की खपत होती है। विश्व में उपलब्ध ताजे जल की सर्वाधिक खपत धान की खेती में होती है। पानी की अन्य क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण आने वाले समय में खेती के लिए पानी की उपलब्धता कम होना सुनिश्चित है। रोपण विधि से धान की खेती करने के लिए समय पर नर्सरी तैयार करना, खेत में पानी की उचित व्यवस्था करके मचाई करना एवं अंत में मजदूरों से रोपाई करने की आवश्यकता होती है। इससे धान की खेती की कुल लागत में बढ़ोतरी हो जाती है। समय पर वर्षा का पानी अथवा नहर का पानी न मिलने से खेतों की मचाई एवं पौध रोपण करने में विलम्ब हो जाता है। पौध रोपण हेतु लगातार खेत मचाने से मिट्टी की भौतिक दशा बिगड़ जाती है जो कि रबी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं रहती है जिससे इन फसलों की उत्पादकता में कमी हो जाती है। लगातार धान-गेहूं फसल चक्र अपनाने से भूमि की भौतिक दशा खराब होने के साथ-साथ उनकी उर्वरता भी कम हो गई है। इन क्षेत्रों में पानी के अत्यधिक प्रयोग से भू-जल स्तर में निरंतर गिरावट दर्ज होती जा रही है। ऐसे में धान की रोपण विधि से खेती को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। धान की सीधी बुवाई तकनीक अपनाकर उपरोक्त समस्याओं को कम किया जा सकता है एवं उच्च उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

सीधी बुवाई के लिए उपयुक्त मशीनें

धान की सीधी बुवाई के लिए जीरो टिल ड्रिल अथवा मल्टीक्राप प्रयोग में लाया जाता है। सीधी बुआई हेतु बैल चलित सीड ड्रिल का भी उपयोग किया जा सकता है। जिन खेतों में फसलों के अवशेष हो और जमीन आच्छादित हो वहा हैप्पी सीडर या रोटरी डिस्क ड्रिल जैसी मशीनों से धान की बुवाई करें। नौ कतार वाली जीरो टिल ड्रिल से करीब प्रति घंटा एक एकड़ में धान की सीधी बुवाई हो जाती है। ध्यान देने योग्य बात है कि बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी हो।

बीज दर एवं बुवाई

सामान्यतौर पर किसान भाई धान की सीधी बुवाई में 75-100 किग्रा. बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते है, जो की अलाभकारी है। बीज दर को कम करके उत्पादन लागत को कम किया जा सकता है। सीधी बुवाई विधि हेतु 45 से 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। परन्तु बीज प्रमाणित हो तथा उनकी जमाव क्षमता 85-90 प्रतिशत हो। अंकुरण क्षमता कम होने पर बीज दर बढ़ा लेना आवश्यक है। बुवाई से पूर्व धान के बीजों का उपचार अति आवश्यक है एक किलोग्राम बीज की मात्रा के लिए 0.2 ग्राम स्टेप्टोसाईक्लीन के साथ 2 ग्राम कार्बेन्डाजिम मिलाकर बीज को दो घंटे छाया में सुखाकर सीड ड्रिल मशीन द्वारा बुआई की जाती है।

बासमती किस्में: पूसा बासमती-1, पूसा बासमती-1121, पूसा बासमती - 1886, पूसा बासमती -1885, पूसा बासमती -1847, पूसा बासमती -1637, पूसा बासमती -1718, पूसा बासमती -1728, तथा पूसा बासमती -1692।

सामान्य किस्में: आईआर-5, 20, 22, एमटीयू-1010, क्रांति, जेआर- 81, 206।

संकर किस्में: जेआरएच-54, 19, 8, 4, 5, 12, 13,15।

सीधी बुआई विधि

धान की सीधी बुआई दो विधिओं से की जाती है। एक विधि में खेत तैयार कर ड्रिल द्वारा बीज बोया जाता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है। दूसरी विधि में खेत में लेव लगाकर अंकुरित बीजों को ड्रम सीडर द्वारा बोया जाता है। बुवाई से पूर्व धान के खेत को यथासंभव समतल कर लें। धान की सीधी बुवाई करते समय बीज को 2-3 से.मी. गहराई पर ही बोयें। मशीन द्वारा सीधी बुवाई में कतार से कतार की दूरी 18-22 से.मी. तथा पौधे की दूरी 5-10 से.मी. होती है। इस विधि में वर्षा आगमन से पूर्व खेत तैयार कर सूखे खेत में धान की बिजाई की जाती है। अधिक उत्पादन के लिए इस विधि से बुआई जुताई करने के उपरान्त जून के प्रथम सप्ताह में बैल चलित बुआई यंत्र (नारी हल में पोरा लगाकर) अथवा ट्रैक्टर चलित सीड ड्रिल द्वारा कतारों में 20 सेमी. की दूरी पर करें।

उर्वरक प्रबंधन

मिट्टी परीक्षण के आधार पर खाद एवं उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। सामान्यतः सीधी बुवाई वाली धान में प्रति हेक्टेयर 120-140 कि.ग्रा. नत्रजन, 50-60 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटाश की जरूरत होती है। नत्रजन की एक तिहाई और फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा बुवाई के समय प्रयोग करें। शेष नत्रजन की मात्रा को दो बराबर हिस्सों में बांटकर कल्ले फूटते समय तथा बाली निकलने के समय कतारों में दें। इसके अलावा धान-गेहूं फसल चक्र में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट का प्रयोग बुवाई के समय करें।

सिंचाई प्रबंधन

धान फसल पर किये गए अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि धान के खेत में लगातार जल भराव की जरूरत नहीं होती है। धान की सीधी बुवाई के समय खेत में उचित नमी होना जरूरी है। सूखे खेत में बुवाई की स्थिति में बुवाई के बाद दूसरे दिन हल्की सिंचाई करें। बुआई से प्रथम एक माह तक हल्की सिंचाई के द्वारा खेत में नमी बनाए रखें। फसल में पुष्पन अवस्थ प्रारंभ होने से 25-30 दिन तक खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। दाना बनने की अवस्था लगभग एक सप्ताह में पानी की कमी खेत में नहीं हो। मुख्यतः कल्ला फूटने के समय, गभोट अवस्था और दाना बनने वाली अवस्थाओं में धान के खेत में पर्याप्त नमीं बनाए रखना आवश्यक है। कटाई से 15-20 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें जिससे फसल की कटाई सुगमता से हो सके।

खरपतवार नियंत्रण

सीधी बिजाई वाले धान में खरपतवार प्रकोप अधिक होता है। खरपतवार-फसल प्रतिस्पर्धा के कारण धान उत्पादन में 20-80 प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है। अतः सीधी बिजाई वाले धान में खरपतवार नियंत्रण अत्यावश्यक है। धान की सीधी बुआई में प्रथम 2-3 सप्ताह तक खेत में खरपतवार रहित अवस्था प्रदान करना उचित पैदावार के लिए आवश्यक है। सूखी अवस्था में धान की बुआई करने के बाद पेंडीमिथालिन 30 प्रतिशत की 3.3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500-600 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के दूसरे-तीसरे दिन बाद परन्तु अंकुरण के पूर्व छिड़काव करें। इससे चौड़ी पत्ती तथा घासकुल के खरपतवारों का जमाव रुक जाता है। बुआई के 20-25 दिन बाद आलमिक्स 20 प्रतिशत की 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा 500-600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के साथ-साथ मोथा कुल के खरपतवार भी नियंत्रित रहते है। इसके बाद खरपतवार प्रकोप होने पर 1-2 निराई की जा सकती है।

धान की सीधी बुवाई तकनीक से लाभ

धान की रोपाई विधि से खेती करने मे किसानों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके समाधान के लिए धान की सीधी बुवाई तकनीक को अपनाना आवश्यक है। यह वास्तव में पर्यावरण हितैषी तकनीक है जिसमें कम पानी, थोड़ी सी मेहनत औरदकम पूँजी में ही धान फसल से अच्छी उपज और आमदनी अर्जित की जा सकती है। धान की सीधी बुवाई तकनीक के प्रमुख लाभ निम्नलिखित है:

- धान की कुल सिंचाई की आवश्यकता का लगभग 20 प्रतिशत पानी रोपाई हेतु खेत मचाने (लेव) में प्रयुक्त होता है। सीधी बुआई तकनीक अपनाने से 20 से 25% पानी की बचत होती है क्योंकि इस विधि से धान की बुवाई करने पर खेत में लगातार पानी बनाए रखने की आवश्यकता नही पड़ती है।
- सीधी बुआई करने से रोपाई की तुलना में 25-30 श्रमिक प्रति हेक्टेयर की बचत होती है। इस विधि में समय की बचत भी हो जाती है क्योंकि इस विधि में धान की पौध तैयार और रोपाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
- धान की नर्सरी उगाने, खेत मचाने तथा खेत में पौध रोपण का खर्च बच जाता है। इस प्रकार सीधी बुआई में उत्पादन व्यय कम आता है।
- रोपाई वाली विधि की तुलना में इस तकनीक में उर्जा व ईधन की बचत होती है प्रति हेक्टेयर 35-40 लीटर डीजल की बचत होती है।
- समय से धान की बुआई संपन्न हो जाती है इससे इसकी उपज अधिक मिलने की संभावना होती है।
- धान की खेती रोपाई विधि से करने पर खेत की मचाई करने की जरूरत पड़ती है जिससे भूमि की भौतिक दशा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जबकि सीधी बुवाई तकनीक से मिट्टी की भौतिक दशा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।
- इस विधि से किसान भाई जीरो टिलेज मशीन में खाद व बीज डालकर आसानी से बुवाई कर सकते है। इससे बीज की बचत होती है और उर्वरक उपयोग दक्षता बढ़ती है।
- सीधी बुआई का धान रोपित धान की अपेक्षा 7-10 दिन पहले पक जाता है जिससे रबी फसलों की समय पर बुआई की जा सकती है।

हरित क्रांति से विकसित भारत तक

एक ट्रिलियन डॉलर कृषि अर्थव्यवस्था का रोडमैप

● आर. जी. अग्रवाल, चेयरमैन एमेरिटस
धानुका एग्रीटेक लि.

भारत ने हरित क्रांति के माध्यम से खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हासिल कर दुनिया को अपनी क्षमता का परिचय दिया। आज देश एक नए मोड़ पर खड़ा है, जहाँ केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कृषि को अधिक उत्पादक, लाभकारी और टिकाऊ बनाना समय की मांग है। वर्ष 2050 तक भारत की आबादी लगभग 1.67 अरब होने का अनुमान है। ऐसे में कृषि क्षेत्र पर खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय वृद्धि और राष्ट्रीय आर्थिक विकास की दोहरी जिम्मेदारी होगी।

कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कृषि का प्रत्यक्ष योगदान लगभग 16-18 प्रतिशत है, जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। इसलिए कृषि क्षेत्र में होने वाली प्रगति का प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।

चीन से तुलना हमें क्या सिखाती है?

भारत के पास चीन की तुलना में लगभग 42 प्रतिशत अधिक कृषि योग्य भूमि और 77 प्रतिशत अधिक वर्षा है। फिर भी भारत की कृषि जीडीपी चीन की कृषि जीडीपी का लगभग एक-तिहाई है।

इस अंतर का एक महत्वपूर्ण कारण कृषि आदानों का अपेक्षाकृत कम उपयोग है। चीन में प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग लगभग 394 किलोग्राम है, जबकि भारत में यह लगभग 199 किलोग्राम है। इसी प्रकार चीन में प्रति हेक्टेयर कीटनाशक उपयोग लगभग 1.78 किलोग्राम है, जबकि भारत में यह केवल 0.36 किलोग्राम है।

यह तुलना स्पष्ट करती है कि वैज्ञानिक कृषि, गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान और आधुनिक तकनीकों के व्यापक उपयोग से भारत अपनी उत्पादकता और कृषि आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है।

एक ट्रिलियन डॉलर कृषि अर्थव्यवस्था की संभावना

चीन में प्रति हेक्टेयर कृषि आय लगभग 12,117 अमेरिकी डॉलर है, जबकि भारत में यह लगभग 3,808 डॉलर है। दोनों देशों के बीच प्रति हेक्टेयर आय का अंतर लगभग 8,309 डॉलर है।

यदि भारत इस अंतर को कम कर सके, तो कृषि क्षेत्र से लगभग 1.283 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त आय उत्पन्न की जा सकती है। यह न केवल कृषि क्षेत्र को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा, बल्कि उद्योग, व्यापार, लॉजिस्टिक्स और सेवा क्षेत्रों में भी व्यापक आर्थिक गतिविधियों को गति देगा।

भारत के पास संसाधन हैं, अब आवश्यकता है उत्पादकता क्रांति की

मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों में उत्पादकता वृद्धि की बड़ी संभावना

देश के कई राज्यों में फसल उत्पादकता और अग्रणी राज्यों की उत्पादकता के बीच बड़ा अंतर मौजूद है। मध्यप्रदेश में गेहूँ, सोयाबीन, धान और मक्का जैसी प्रमुख फसलों की उत्पादकता देश के सर्वोच्च उत्पादक राज्यों की तुलना में 35 से 53 प्रतिशत तक कम है।

आंध्र प्रदेश में धान की उत्पादकता लगभग 3993 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि मध्यप्रदेश में यह लगभग 2378 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। एक ही देश और एक जैसी फसल में लगभग दो गुना का यह अंतर बताता है कि अतिरिक्त भूमि जोड़े बिना भी उत्पादन में 30 से 50 प्रतिशत तक वृद्धि संभव है।

इसके लिए तीन कार्य आवश्यक हैं-

- गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों का उपयोग
- अच्छी कृषि पद्धतियों (Good Agricultural Practices) का प्रसार
- किसानों में बढ़ती तकनीकी थकान (Technology Fatigue) को दूर करना

जल प्रबंधन बनेगा भविष्य की कुंजी

भारत में कई क्षेत्रों में भूजल दोहन उसकी पुनर्भरण क्षमता से अधिक हो चुका है, जिससे पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में जलस्तर लगातार गिर रहा है। वहीं सूक्ष्म सिंचाई के मामले में भारत अभी भी कई देशों से पीछे है। ड्रिप, स्प्रिंकलर, सेंसर आधारित सिंचाई और एआई आधारित सलाह से जल उपयोग दक्षता बढ़ाई जा सकती है। आज 'प्रति बूंद अधिक फसल' केवल नारा नहीं, बल्कि टिकाऊ कृषि की आवश्यकता है। इसके साथ ही वर्षा जल संचयन को भी व्यापक रूप से अपनाना होगा।

नकली कृषि आदान और फसल सुरक्षा की चुनौती

नकली और निम्न गुणवत्ता वाले कृषि आदान फसल उत्पादन बढ़ाने में बड़ी बाधा हैं। बीज, उर्वरक और फसल सुरक्षा उत्पादों की गुणवत्ता सीधे उपज और किसानों की आय को प्रभावित करती है। एफएओ के अनुसार, कीट और रोगों के कारण विश्व स्तर पर 20 से 40 प्रतिशत तथा भारत में कई फसलों में 30 से 75 प्रतिशत तक उत्पादन हानि होती है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों, समेकित कीट प्रबंधन और वैज्ञानिक फसल सुरक्षा उपायों को अपनाना आवश्यक है।

जागरूकता और अनुसंधान का विस्तार

कृषि परिवर्तन केवल तकनीक उपलब्ध कराने से नहीं होगा, बल्कि तकनीक को किसानों तक प्रभावी रूप से पहुँचाने से होगा। इसके लिए वैज्ञानिक संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, उद्योग और किसानों के बीच मजबूत साझेदारी आवश्यक है।

विकसित भारत 2047 की कृषि रूपरेखा

यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनना है, तो कृषि क्षेत्र को विकास की धुरी बनाना होगा। इसके लिए तीन प्रमुख प्राथमिकताएँ आवश्यक हैं-

- कृषि को राष्ट्रीय विकास की मजबूत आधारशिला बनाना।
- अनुसंधान, नवाचार और विज्ञान आधारित कृषि को प्रोत्साहित करना।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान, आधुनिक तकनीक और बेहतर बाजार अवसर उपलब्ध कराना।

जब प्रत्येक खेत अधिक उत्पादक होगा और प्रत्येक किसान अधिक समृद्ध होगा, तभी भारत टिकाऊ कृषि का वैश्विक नेतृत्व करते हुए विश्व की अग्रणी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेगा।

अपार संसाधनों के बावजूद अपेक्षित प्रदर्शन नहीं

कृषि संकेतक	भारत की स्थिति
कृषि योग्य भूमि	156.4 मिलियन हेक्टेयर (विश्व में दूसरा स्थान)
औसत वार्षिक वर्षा	118 सेंटीमीटर (वैश्विक औसत से अधिक)
वैश्विक स्थिति	विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक
कृषि निर्यात	लगभग 50 अरब अमेरिकी डॉलर
खाद्यान्न उत्पादन (2024-25)	353.96 मिलियन टन
बागवानी उत्पादन (2024-25)	367.72 मिलियन टन

इन आंकड़ों से निष्कर्ष ये निकलता है कि पर्याप्त कृषि भूमि, अनुकूल वर्षा, रिकॉर्ड खाद्यान्न एवं बागवानी उत्पादन तथा मजबूत निर्यात क्षमता भारत को वैश्विक कृषि महाशक्ति बनने की मजबूत आधारशिला प्रदान करती है। इन उपलब्धियों के बावजूद भारत की अधिकांश प्रमुख फसलों की उत्पादकता विश्व के अग्रणी देशों से काफी कम है। गेहूँ, धान, मक्का, दलहन, तिलहन और कपास जैसी फसलों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन विकसित कृषि अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में पीछे है। इसका अर्थ है कि संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग की आवश्यकता है।

खेत से बाजार तक

10 लाख कृषि-एमएसएमई ही बढ़ाएंगे किसानों की आय

● प्रवेश शर्मा, अध्यक्ष, संचालन समिति, नेशनल एसोसिएशन फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस (NAFPO), पूर्व प्रबंध निदेशक, SFAC एवं पूर्व कृषि सचिव, मध्य प्रदेश

हरित क्रांति के बाद अब नई चुनौती

उत्पादन बढ़ाने का दौर पूरा हो चुका है। अब किसानों की आय बढ़ाने का सबसे प्रभावी रास्ता गांवों में मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्यमों का विशाल नेटवर्क खड़ा करना है।भारत की अगली कृषि क्रांति खेतों में अधिक उत्पादन से नहीं, बल्कि गांवों में 10 लाख कृषि आधारित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) स्थापित करने से आएगी। पिछले लगभग छह दशकों में भारत की कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना रहा। हरित क्रांति के बाद सिंचाई, उन्नत बीज, उर्वरक, कृषि यंत्रीकरण, ग्रामीण ऋण और सरकारी खरीद पर निरंतर निवेश हुआ। परिणामस्वरूप भारत खाद्यान्न की कमी वाले देश से खाद्यान्न अधिशेष राष्ट्र बन गया। आज देश दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है तथा अनाज, फल, सब्जियां, दलहन और मत्स्य उत्पादन में अग्रणी देशों में शामिल है।

फिर भी किसानों की आय अपेक्षित गति से नहीं बढ़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में अधरोज़गारी और आर्थिक संकट आज भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इसका कारण उत्पादन की कमी नहीं, बल्कि उत्पादन से मूल्य सृजन (Value Creation) की कमी है।

असली समस्या खेत में नहीं, खेत और बाजार के बीच

जब किसान अपनी उपज मंडी में बेच देता है या कोई महिला डेयरी समिति में दूध जमा करती है, तभी उस उत्पाद की वास्तविक आर्थिक यात्रा शुरू होती है। संग्रहण, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक्स और खुदरा बिक्री-श्रृंखला का हर चरण मूल्य जोड़ता है और लाभ कमाता है। दुर्भाग्य से इन गतिविधियों का अधिकांश हिस्सा गांवों से दूर होता है। किसान कच्चा उत्पाद बेच देता है, जबकि वास्तविक आर्थिक लाभ मूल्य श्रृंखला के अगले चरणों में अर्जित होता है।

कृषि की सबसे बड़ी 'मिसिंग मिडिल'

भारत को आज नई सब्सिडी या अतिरिक्त सरकारी खरीद से अधिक आवश्यकता गांवों और कस्बों में कृषि आधारित एमएसएमई के मजबूत नेटवर्क की है। यही भारतीय कृषि की सबसे बड़ी 'मिसिंग मिडिल' है।

अब लक्ष्य उत्पादन नहीं, आय होना चाहिए

फल और सब्जियों का बड़ा हिस्सा कटाई के बाद नष्ट हो जाता है। अधिकांश दूध बिना प्रसंस्करण के बिक जाता है। मछली, पशुधन और अन्य कृषि उत्पाद भी पर्याप्त मूल्य संवर्धन के बिना बाजार तक पहुंचते हैं। यदि स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण और विपणन सुविधाएं विकसित हों तो किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है।

एक करोड़ किसानों की आय बढ़ाने का नया सूत्र

नीतिगत बहस आज भी मुख्यत: उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है, जबकि वास्तविक चुनौती खेत और बाजार के बीच मौजूद है। अब सवाल यह नहीं होना चाहिए कि एक करोड़ टन अतिरिक्त अनाज कैसे पैदा किया जाए, बल्कि यह होना चाहिए कि एक करोड़ किसानों की आय बढ़ाने के लिए 10 लाख नए कृषि-एमएसएमई कैसे स्थापित किए जाएं।

> 'भारत की अगली कृषि क्रांति खेतों में अधिक उत्पादन से नहीं, बल्कि गांवों में कृषि-आधारित उद्यम स्थापित करने से आएगी।'

नीतिगत चर्चाएं आज भी मुख्य रूप से फसल उत्पादन पर केंद्रित रहती हैं, जबकि भारतीय कृषि की संरचना बदल चुकी है। आज डेयरी, पशुपालन, पोल्ट्री और मत्स्य क्षेत्र मिलकर कृषि उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं और पिछले एक दशक में इनकी वृद्धि फसल उत्पादन की तुलना में अधिक तेज रही है। फिर भी इन क्षेत्रों की सबसे बड़ी कमजोरी वही है-ऐसे हजारों छोटे और मध्यम उद्यमों की कमी, जो संग्रहण, चिलिंग, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और विपणन जैसी सेवाएं उपलब्ध करा सकें। वास्तविक बाधा खेत पर नहीं, बल्कि खेत और बाजार के बीच मौजूद है।

यही वह खाली स्थान है, जिस पर भारत की अगली कृषि रणनीति आधारित होनी चाहिए। अब सवाल यह नहीं होना चाहिए कि एक करोड़ टन अतिरिक्त अनाज कैसे पैदा किया जाए, बल्कि यह होना चाहिए कि एक करोड़ किसानों की आय बढ़ाने के लिए 10 लाख नए ग्रामीण उद्यम कैसे स्थापित किए जाएं।

ऐसा होगा भविष्य का समृद्ध कृषि गांव

कल्पना कीजिए ऐसे गांव की, जहां किसान कटाई के तुरंत बाद फसल बेचने को मजबूर न हों क्योंकि स्थानीय उद्यम दालों की सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग कर उन्हें खुदरा बाजार तक पहुंचाते हों या बेहतर दाम मिलने तक सुरक्षित भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराते हों। जहां डेयरी इकाई दूध को मूल्यवर्धित उत्पादों में बदल रही हो। जहां मछली संग्रहण केंद्र सीधे निर्यातकों से जुड़े हों। जहां कोल्ड स्टोरेज सब्जियों की शेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हों और डिजिटल उद्यम प्रीमियम घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए ट्रेसबिलिटी तथा गुणवत्ता प्रमाणन उपलब्ध करा रहे हों।

ऐसे प्रत्येक उद्यम स्थानीय लोगों को रोजगार देगा, गांवों में आय को बनाए रखेगा और आपूर्ति श्रृंखला को छोटा करेगा। सामूहिक रूप से ये कृषि को केवल उत्पादन आधारित व्यवस्था से निकालकर मूल्य सृजन आधारित अर्थव्यवस्था में बदल देंगे।

भारत के पास आधार है, जरूरत केवल राष्ट्रीय रणनीति की

भारत के पास इस परिवर्तन के लिए आवश्यक अधिकांश आधार पहले से मौजूद हैं। देश में हजारों सहकारी समितियां और किसान उत्पादक संगठन (FPO), स्वयं सहायता समूहों का विशाल नेटवर्क, ग्रामीण उद्यमी, बेहतर ग्रामीण सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग मौजूद हैं। मोबाइल नेटवर्क और स्मार्टफोन की व्यापक पहुंच ने सूचना, शिक्षा, बाजार भाव और उपभोक्ता मांग तक किसानों की पहुंच में पहले ही क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है।

जिस चीज़ की कमी है, वह है एक ऐसी राष्ट्रीय रणनीति, जो कृषि को केवल कच्चे उत्पाद उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र नहीं, बल्कि उद्यमों के व्यापक इकोसिस्टम के रूप में देखे।

अगले दशक का लक्ष्य: 10 लाख कृषि-एमएसएमई

आने वाले दस वर्षों में संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्य, पशुपालन, पोल्ट्री, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में 10 लाख कृषि आधारित एमएसएमई स्थापित करने का राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाना चाहिए। ऐसा अभियान ग्रामीण भारत में अभूतपूर्व स्तर पर रोजगार पैदा करेगा, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करेगा, किसानों की आय बढ़ाएगा और खाद्य अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत एवं टिकाऊ बनाएगा। इसके लिए वर्तमान संस्थागत ढांचे में किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता भी नहीं होगी। जैसे-जैसे बाजार की मांग बढ़ेगी, वैसे-वैसे अनाज आधारित कृषि से विविधीकृत कृषि की ओर बदलाव स्वत: होता जाएगा।

हरित क्रांति के बाद अब मूल्य सृजन क्रांति का समय

इतिहास बताता है कि भारत की सबसे बड़ी कृषि सफलताएं तब मिली हैं, जब देश ने किसी बड़े राष्ट्रीय विचार को मिशन के रूप में अपनाया। हरित क्रांति ने उत्पादन में बदलाव लाया और ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी क्षेत्र में क्रांति कर दी। अब अगली कृषि क्रांति का उद्देश्य केवल अधिक उत्पादन नहीं, बल्कि अधिक मूल्य सृजन होना चाहिए।

भारतीय कृषि का भविष्य केवल खेतों में उगने वाली फसल तय नहीं करेगी, बल्कि कटाई के बाद विकसित होने वाले उद्यम तय करेंगे। यदि भारत अगले दशक में 10 लाख कृषि आधारित एमएसएमई स्थापित करने का राष्ट्रीय मिशन शुरू करता है, तो यह ग्रामीण विकास की सबसे महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है।

NAFPO के बारे में

नेशनल एसोसिएशन फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस (NAFPO) एक गैर-लाभकारी, बहु-हितधारक राष्ट्रीय मंच है, जिसका उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को सशक्त बनाकर किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करना है। NAFPO डिजिटल तकनीक, क्षमता निर्माण, नीतिगत सहयोग और बाजार संपर्क के माध्यम से एफपीओ इकोसिस्टम को मजबूत करता है। इसका लक्ष्य ऐसे किसान-नेतृत्व वाले संस्थानों का निर्माण करना है, जो छोटे किसानों को वित्त, तकनीक, बाजार और बेहतर शासन व्यवस्था तक पहुंच प्रदान करते हुए समावेशी एवं टिकाऊ कृषि परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करें।

(एक आकलन के मुताबिक भारत में ताजे फल और सब्जियों के उत्पादन का लगभग 18 से 22 प्रतिशत हिस्सा प्रतिवर्ष नष्ट हो जाता है , जिससे 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक नुकसान होता है। फसल कटाई के बाद होने वाले ये गंभीर नुकसान अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज, प्रबंधन का अभाव और खेत से लेकर उपभोक्ता तक अव्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखलाओं के कारण होते हैं। भारत अपनी विशाल फसल का केवल 2 प्रतिशत ही संसाधित करता है, जबकि अन्य देशों में यह 70 प्रतिशत है।

मूंग की खेती लाभकारी

- नेहा सिंह किरार, कृषि महा विद्या., सीहोर
- जयपाल छिगारहा
- डॉ. आर.के. प्रजापति
- डॉ. बी.एस. किरार

कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़

किसान को अपनी आमदनी बढ़ाने एवं लागत कम करने के लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक खेत एक मौसम एक दलहनी फसल अवश्य लगायें जिससे भूमि में पोषक तत्वों की बढ़ोतरी एवं भूमि की गुणवत्ता में सुधार होता है। यह प्रोटीन युक्त उत्पादन के साथ-साथ खली तोड़ने के बाद फसलों को भूमि में मिला देने पर यह हरी खाद का भी काम करती है। मूंग गर्मी एवं बरसात दोनों मौसमों की कम से कम समय में तैयार होने वाली एक मुख्य दलहनी फसल है। मूंग को मुक्ता खरीफमें उगाया जाता है और सिंचाई सुविधा ना होने पर भी अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है।

भूमि

मूंग की खेती के लिए दोमट एवं दोमट बलुई भूमि जिसका पीएच मान 7-7.5 का उपयोग होता है।

भूमि की तैयारी

रबी की फसल कटने के बाद गर्मी में एक गहरी जुताई अवश्य करें जिससे खेत की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और कीट व्याधि का भी प्रबंधन होता है। फसल की बुवाई के समय 2-3 जुताई देशी हल या कल्टीवेटर से कर पाटा लगाकर खेत को समतल एवं भुरभुरा बनाएं अंतिम जुताई के साथ फसल को दीमक से बचाव के लिए क्लोरोपायरीफॉस 1.5 प्रतिशत चूर्ण 20 कि. ग्रा. प्रति हे. मिला दें।

बीजदर

बसंत/ग्रीष्मकालीन बुवाई हेतु 25-30 कि.ग्रा. प्रति हे. बीज पर्याप्त है और खरीफमें बीज दर 20 किग्रा प्रति हे. पर्याप्त होता है।

बीजोपचार

बुवाई के पूर्व बीज का कार्बोक्सिन थायरम दवा 2 ग्राम और थायोमिथाक्सम 25 डब्ल्यू जी 3 ग्राम प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से उपचार कर इसके बाद बीज को राईजोबियम तथा पीएसबी कल्चर 10 मिली प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें।

बुवाई का समय

गर्मी में मूंग की बुवाई 15 फरवरी से मार्च अन्त तक बुवाई कर सकते हैं। खरीफमें जून के अन्तिम सप्ताह से 15 जुलाई तक बुवाई कर सकते हैं।

बुवाई विधि

मूंग की बुवाई रिज्ड बेड प्लान्टर या सीडड्रिल से कतारों में करें। खरीफमें कतार से कतार की दूरी 30-40 से.मी और पौधे से पौधे 10-12 से.मी. रखें। बसंत/ग्रीष्म- कतार से कतार की दूरी 20-22.5 से.मी और पौधे से पौधे 8-10 से.मी तथा बीज की गहराई 4 से.मी. रखें।

नत्रजन, फास्फोरस व पोटाश उर्वरक की पूरी मात्रा बुवाई के समय 5-10 से.मी. गहराई पर कूड़ में आधार के रूप में दें।

सिंचाई

खरीफ में सिंचाई की सामन्यतः आवश्यकता नहीं पड़ती है परन्तु ज्यादा दिन का सूखा पड़ने पर हल्की जीवन रक्षक सिंचाई करें।

कीट प्रबंधन

पत्ती भक्षक एवं कम्बल कीट- यह कीट पत्तियों को खाता है और बाद में फली में छेद करके दाने को खाता है।

नियंत्रण- इसके नियंत्रण हेतु क्विनालफॉस 1.5 ली. या थायमिथॉक्सम- लेम्बडा सायहेलोथ्रिन 125 मिली/हे. की दर से छिड़काव करें।

सफेद मक्खी- यह कीट पौधे की पत्तियों, कोमल टहनियों, फूलों, कलियों से रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं इसके नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड 200 मिली प्रति हे. की दर से 500 ली. पानी में घोल बनाकर छिड़कें।

कटाई एवं गहाई

गर्मी की फसल 60-65 दिन में पक कर तैयार हो जाती है अर्थात् फरवरी-मार्च में बोई गई फसल मई में पककर तैयार हो जाती है। फलियों का हरे से काली रंग होने पर 2 बार में तुड़ाई करें और बाद में फसल को एक साथ काट लें। फसल को कटने के बाद एक दिन खेत में सुखायें उसके बाद खलिहान में ठीक से सुखाकर फिर बैलों को चलाकर या थ्रेसर से गहाई कर लें।

उपज

10-15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त होती है।

उर्वरक- उर्वरकों की मात्रा कि.ग्रा./हे.

नत्रजन	फास्फोरस	पोटाश	गंधक	जिंक
20 (यूरिया-43)	40 (सि.सु. फा.-250)	20(म्यूरेट ऑफपोटाश - 33)	25	20

उन्नत किस्मों का चयन

क्र.	किस्म	अवधि (दिन)	उपज (क्विं/हे.)	प्रमुख विशेषताएं
1.	आई.एम.पी. - 2-14 (2009)	62-35	10-12	ग्रीष्म कालीन एवं बरसात दोनों मौसम के लिए उपयुक्त है। पीला मोजेक रोग रोधी है इसका दाना छोटा होता है।
2.	एम. एच. 421 (2014)	65-70	14-16	ग्रीष्मकालीन एवं बरसात दोनों मौसम के लिए उपयुक्त है। येलो मोजेक रोग रोधी है इसका दाना छोटा होता है।
3.	पी.डी.एम.-139 (सम्राट) (2001)	58-62	12-15	ग्रीष्मकालीन एवं बरसात दोनों मौसम के लिए उपयुक्त है एवं कम पानी में अच्छा उत्पादन देती है इसमें गर्मी सहन करने की क्षमता अच्छी है।
4.	आईपीएम 205-7 (विराट) (2014)	52-56	10-12	ग्रीष्मकालीन एवं बरसात दोनों मौसम के लिए उपयुक्त है। पीला मोजेक के प्रतिरोधी एवं कम पानी में अच्छा उत्पादन देती है।
5.	आईपीएम 410-3 (2014) (शिखा)	58-65	14-15	मोजेक एवं पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रोधी किस्म है पत्ती धब्बा रोग भी नहीं लगता है।
6.	आई.पी.एम. 02-3 (2010)	60-65	15-16	इसमें पीला मोजेक रोग भी नहीं लगता है।

नींदा नियंत्रण-

शाकनाशी रसायन	मात्रा (ग्राम सक्रिय पदार्थ/हे.)	प्रयोग का समय	नियंत्रित खरपतवार
पेन्डीमिथालीन	700 मिली	बुवाई 0-3 दिन तक	घांसकुल एवं कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार
इमेजेथायपर	250 मिली	बुवाई के 20-25 दिन बाद	घांसकुल मोथाकुल एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार
क्यूजालोफॉप ईथाइल	1250 मिली	बुवाई के 20-25 दिन	घांसकुल के खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण

मानसून की अनिश्चितता की स्थिति में कृषि विभाग की सलाह

कृषि विभाग देवास द्वारा वैज्ञानिकों के परामर्श से जारी सामयिक कृषि सलाह में कहा गया है कि मौसम की अनिश्चितता के बारे में लगाए जा रहे अनुमानों के बाद भी किसान भाइयों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। खरीफ की बुआई के लिए कुछ सावधानियां अपनाकर किसान उत्पादन में स्थिरता बनाए रख सकते हैं। किन्तु फिलहाल कुछ जिलों में अल्प वर्षा को देखते हुए खरीफ फसलों की बोवाई में जल्दबाजी नहीं करें। जब तक खेतों में पर्याप्त नमी न हो जाए, तब तक बुआई करना जोखिम पूर्ण हो सकता है। सामान्य रूप से 4 इंच यानी लगभग 1 बालिश की गहराई तक नमी होने तथा बतर आने के बाद बुवाई की आदर्श स्थिति मानी जाती है। वर्तमान में पूरी तरह मानसून की सक्रियता न होने के कारण बुवाई के लिए किसानों को प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। वहीं जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की पर्याप्तता हो उन्हें मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिये ढैंचा या सनई की बुवाई हरित खाद के रूप में करें। जिन क्षेत्रों में पूर्व में वर्षा हुई है, वे भी हरी खाद या ग्रीन मैन्यूरिंग हेतु फसल बो सकते हैं। बुवाई के लिए तैयार खेतों में आधार खाद जैसे गोबर की खाद, वर्मी कम्पोस्ट एवं उर्वरक जैसे सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश और जिंक सल्फेट तथा जिप्सम आदि को खेत में बुवाई या छिड़काव द्वारा मिलाया जा सकता है।

किसान भाई, सोयाबीन के बीज का अंकुरण परीक्षण कर 70 प्रतिशत से अधिक अंकुरण क्षमता वाले बीजों का उपयोग करें। रोग एवं कीट प्रतिरोधी उपयुक्त ऐसी किस्मों का चयन करें जिनकी जल मांग भी कम हो। इसके लिये कृषि अधिकारियों से परामर्श लेना उपयोगी होगा। बुवाई से पूर्व बीजों को फफूंदनाशकों एवं जैव उर्वरकों से उपचारित करना आवश्यक है। सोयाबीन फसल की बुवाई में जलभराव एवं सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने हेतु रिज- एंड फरो सीड ड्रिल, ब्रॉड बेड एंड फरो, सीड ड्रिल अथवा हस्तचलित सीड डिब्लर का प्रयोग करना उपयोगी है। इसी प्रकार धान की बुवाई के लिए श्री पद्धति अथवा सीधी बुवाई अपनाना लाभकारी है।

वर्षा जल संचय के लिए हर संभव उपाय अपनायें। इसके लिए खेत तालाबों, पोखर, सोक्ता पिट्, कुओं आदि में जल को रोकने का प्रबंध करें। जलभराव वाले खेत के हिस्से में पानी रोकना तथा कुओं और नलकूपों को रिचार्ज करना भी वर्ष भर पानी उपयोग करने की दृष्टि से उपयोगी होगा। खरीफ फसलों में इंटर क्रॉपिंग या अंतरवर्ती खेती की सलाह भी दी गई है। एक ही खेत में एक से अधिक फसलें साथ बोना और एक फसल की एक से अधिक किस्म बोने से किसी भी संभावित जोखिम में कमी आती है। इसके अतिरिक्त किसानों को फसल बीमा कराने की सलाह भी दी गई है।

कृषि सलाह अनुसार विभिन्न प्रसार माध्यमों से किसानों को मौसम की सूचनाओं पर ध्यान देने तथा उसके अनुकूल फसल कार्य करने के लिए भी आगाह किया जा रहा है। संचालक कृषि श्री उमाशंकर भार्गव ने इस संबंध में मैदानी अमले को किसानों से सतत संपर्क करने के अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी किए हैं।

● डॉ. देवीदास पटेल, कृषि विज्ञान केंद्र, बनखेड़ी, होशंगाबाद
devidaspatelp24@gmail.com

अरहर की उन्नत खेती

भूमि का चुनाव – अरहर विभिन्न प्रकार की भूमि में लगाया जा सकता है, इसकी खेती के लिए हल्की रेतीली दोमट या मध्यम भूमि जिसमें प्रचुर मात्रा में स्फुर तथा जिसका पी.एच. मान 7-8 के बीच में हो व समुचित जल निकासी वाली हो इसके लिये सर्वोत्तम होती है। जिन खेतों में लगातार अरहर की फसल ली जा रही है उसको न चुने।

खेत की तैयारी – पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2 या 3 जुताई देशी हल या बखर से करके पाटा चलाकर खेत को समतल करें। जल निकास की समुचित व्यवस्था करें। बुआई के पश्चात खेत में जल निकास के लिये 10-15 मीटर की दूरी पर नालियां बना दें, ऐसे खेत जिनमे पानी भराव की समस्या को उनमे रिज एण्ड फरो बनाकर अरहर की खेती की जा सकती है।

उन्नत किस्में – आईसीपीएल-151, पूसा-33, आईसीपीएल-87, टीजेटी-501, सी-11, आईसीपीएल 87-119, जवाहर-4, जेकेएम-7, खरगोन-2, जेकेएम-7, जेकेएम-189

बीज की मात्रा एवं बीजोपचार – उन्नत किस्मों का बीज 18-20 कि.ग्रा./हे. की दर से बुआई करें। मृदा जनित रोगों से बचाव के लिए बीज को फफूंदनाशक दवा थाइरम.कार्बेन्डाजिम को 2:1 में मिलाकर 3 ग्राम/कि.ग्रा. बीज की दर से उपचारित करें। तत्पश्चात बीज को राइजोबियम कल्चर 5 ग्राम/कि.ग्रा. की दर से उपचारित करें। 50 ग्राम गुड़ या चीनी को 1-2 ली. पानी में घोलकर उबाल लें। घोल के ठंडा होने पर उसमें 200 ग्रा. राइजोबियम कल्चर मिला दें। इस कल्चर में 10 कि.ग्रा. बीज डाल कर अच्छे से मिला लें ताकि प्रत्येक बीज पर कल्चर का लेप चिपक जाये। बीज को कल्चर से उपचरित करने के बाद छाया में सुखाकर शीघ्र बुवाई करें। उपचारित बीज को कभी भी धूप में न सुखायें।

बुआई का समय एवं विधि – शीघ्र पकने वाली किस्मों की बुआई सिंचित क्षेत्रों में जून के प्रथम पखवाड़े तथा मध्यम देर से पकने वाली प्रजातियों की बुआई जून के द्वितीय पखवाड़े में करें। बुआई सीडड्रिल या हल के पीछे चोंगा बांधकर पंक्तियों में करें। ऐसे खेत जिनमे जल भराव की समस्या हो उनमे बुवाई के लिए कूड़ एवं पंक्ति विधि उपयुक्त होती है। शीघ्र पकने वाली जातियों के लिये पंक्तियों के बीच की दूरी 30-45 से.मी. तथा पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10-15 से.मी., मध्यम तथा देर से पकने वाली जातियों के लिये 60-75 से.मी. कतार से कतार तथा पौधे से पौधे की दूरी 20-25 से.मी. रखते हैं।

उर्वरक – खाद और उर्वरक का प्रयोग हमेशा मिट्टी की जांच के बाद ही करें मृदा परीक्षण के आधार पर समस्त उर्वरक अंतिम जुताई के समय हल के पीछे कूड़ में बीजों से 2 से.मी. की गहराई व 5 से.मी. साइड में देना सर्वोत्तम रहता है। प्रति हेक्टर 20 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 50 कि.ग्रा. फास्फोरस, 20 कि.ग्रा. पोटाश व 20 कि.ग्रा. गंधक की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में जस्ता की कमी हो वहां पर 25 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट प्रयोग करें। नाइट्रोजन एवं फस्फोरस की समस्त भूमियों में होती है। किन्तु पोटाश एवं जिंक का प्रयोग मृदा परिक्षण उपरान्त खेत में कमी होने पर ही करें। नत्रजन एवं फासफोरस की संयुक्त रूप से पूर्ति हेतु 100 कि.ग्रा. डाई अमोनियम फास्फेट एवं गंधक की पूर्ति हेतु 100 कि.ग्रा. जिप्सम प्रति हे. का प्रयोग करने पर अधिक उपज प्राप्त होती है।

सिंचाई एवं जल निकास– जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वहां पर बारिश न होने पर एक हल्की सिंचाई फूल आने पर व दूसरी फलियां बनने की अवस्था पर करने से पैदावार में बढ़ोतरी होती है। अधिक अरहर उत्पादन के लिए खेत में उचित जल निकास का होना प्रथम शर्त है अतः निचले एवं अधो जल निकास की समस्या वाले क्षेत्रों में मेड़ों पर बुवाई करना उत्तम रहता है।

खरपतवार नियंत्रण – प्रथम 60 दिनों में खेत में खरपतवार की मौजूदगी अत्यन्त नुकसानदायक होती है। हैन्ड हो या खुरपी से दो निंदाई करें। प्रथम बुवाई के 25-30 दिन बाद एवं द्वितीय 45-60 दिन बाद खरपतवारों के प्रभावी नियंत्रण के साथ मृदा वायु-संचार में वृद्धि होने से फसल एवं सह जीवाणुओं की वृद्धि हेतु अनुकूल वातावरण तैयार होता है। नींदानाशक पेन्डीमिथालिन 1.25 कि.ग्रा. सकिय तत्व/हे. की दर से बुवाई के बाद 3 दिनों के अंदर प्रयोग करने से खरपतवार खेत में नहीं उगता है। नींदानाशक प्रयोग के बाद एक निंदाई लगभग 30 से 40 दिन की अवस्था पर करना लाभदायक होता है।

कटाई एवं मड़ाई – 80 प्रतिशत फलियों के पक जाने पर फसल की कटाई हंसिया से 10 से.मी. की ऊंचाई पर करें। तत्पश्चात फसल को सूखने के लिए बण्डल बनाकर फसल को खलिहान में ले आते हैं। फिर चार से पांच दिन सुखाने के पश्चात पुलमैन थ्रेशर द्वारा या लकड़ी के लट्ठे पर पिटाई करके दानों को भूसे से अलग कर लेते हैं।

उपज

उन्नत विधि से खेती करने पर 15-20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दाना एवं 50-60 क्विंटल लकड़ी प्राप्त होती है।

भण्डारण

भण्डारण हेतु नमी का प्रतिशत 10-11 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। भण्डारण में कीटों से सुरक्षा हेतु एल्यूमीनियम फास्फाइड की 2 गोली प्रति टन प्रयोग करें।

संरक्षित कृषि आधारित मक्का उत्पादन

कम लागत में अधिक उपज का बेहतर तरीका

मक्का भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक है। वर्तमान समय में बढ़ती खेती लागत, मृदा क्षरण और जल की कमी जैसी समस्याओं को देखते हुए संरक्षित कृषि (Conservation Agriculture) मक्का उत्पादन की एक प्रभावी तकनीक बनकर उभरी है। इस पद्धति का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, जल संरक्षण करना तथा कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करना है।

संरक्षित कृषि क्या है?

संरक्षित कृषि तीन सिद्धांतों पर आधारित है-

1. कम से कम जुताई
2. फसल अवशेषों द्वारा भूमि का आच्छादन
3. फसल विविधीकरण एवं फसल चक्र

इन सिद्धांतों को अपनाने से मिट्टी का कटाव कम होता है, नमी अधिक समय तक बनी रहती है, जैविक कार्बन बढ़ता है तथा खेती की लागत घटती है।

मक्का की खेती के लिए प्रमुख सिफारिशें

बुवाई का उपयुक्त समय: जून-जुलाई

बीज दर: संकर मक्का: 20-25 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर **संकुल मक्का:** 18-20 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर

बीजोपचार: कार्बेन्डाजिम 2-3 ग्राम प्रति कि.ग्रा. बीज, क्लोरोपायरीफॉस 1-2 मिली प्रति किलोग्राम बीज, एजोबैक्टर 250 ग्राम प्रति 10 किलोग्राम बीज

मक्का के प्रमुख रोग एवं उनका नियंत्रण

पत्ती अंगमारी: यह रोग पत्तियों पर धब्बे बनाता है और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है।

मृदुरोमिल आसिता: इस रोग में पौधों की वृद्धि रुक जाती है तथा पत्तियों पर सफेद फफूंद जैसी परत दिखाई देती है।

टर्सिकम लीफ ब्लाइट: यह रोग पत्तियों पर लंबे भूरे धब्बे बनाता है, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है।

रोग नियंत्रण :

- जिनेब 2.5-4 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें।
- डायथेन एम-45 2-2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
- आवश्यकता होने पर 8-10 दिन के अंतराल पर पुनः छिड़काव करें।

मक्का के प्रमुख कीट एवं नियंत्रण

फॉल आर्मी वर्म: यह कीट पत्तियों को खाकर पौधों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है।

तना छेदक: यह तने में सुरंग बनाकर पौधे की वृद्धि एवं उपज को प्रभावित करता है।

नियंत्रण उपाय : निम्न में से किसी एक कीटनाशी का प्रयोग करें-

- इमामेक्टिन बेन्जोएट 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी
- इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिली प्रति लीटर पानी
- क्लोरोपायरीफॉस 1.5-2 मिली प्रति लीटर पानी

मक्का के प्रमुख खरपतवार

संरक्षित कृषि आधारित मक्का में निम्न खरपतवार अधिक पाए जाते हैं-

- दूब/क्रैब ग्रास
- डायनोबा/जंगली घास
- आइसीमा/ घास कुल के खरपतवार
- सायपेरस इरिया
- यूफोर्बिया प्रजातियां
- पार्थेनियम
- इल्यूसिन इंडिका
- अल्टरनेन्थेरा सेसिलिस
- खरपतवार नियंत्रण
- बुवाई के 30 और 45 दिन बाद दो बार निराई-गुड़ाई करें।
- आवश्यकता अनुसार अनुशंसित शाकनाशियों का प्रयोग करें।
- फसल अवशेषों का आच्छादन खरपतवारों के अंकुरण को कम करता है।
- फसल चक्र अपनाने से भी खरपतवारों का दबाव घटता है।

संरक्षित कृषि के प्रमुख लाभ

- जुताई खर्च में कमी
- ईंधन की बचत
- मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि
- जल संरक्षण और 1-2 सिंचाई की बचत
- खरपतवार एवं कीट-रोगों का कम प्रकोप
- मिट्टी में जैविक कार्बन और सूक्ष्मजीवों की संख्या में वृद्धि
- अधिक एवं स्थिर उत्पादन

संरक्षित कृषि आधारित मक्का उत्पादन प्रणाली किसानों के लिए लाभकारी, पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ खेती का विकल्प है। कम जुताई, फसल अवशेषों का उपयोग तथा फसल विविधीकरण अपनाकर किसान उत्पादन लागत घटा सकते हैं और बेहतर उपज प्राप्त कर सकते हैं। रोग, कीट और खरपतवारों का समय पर प्रबंधन करने से मक्का की फसल अधिक स्वस्थ और लाभदायक बनती है।

समस्या -समाधान

समस्या – सोयाबीन की बोनी कब तक की जानी चाहिये, विस्तार से बतायें।

– जगदीश पाटीदार

समाधान– पिछले कुछ वर्षों से मानसून की लुका–छिपी के कारण सोयाबीन जो कि हमारे प्रांत की प्रमुख खरीफ फसल है की बुआई का निर्णय लेना किसानों के लिये कठिन होता जा रहा है छुटपुट वर्षा से भूमि में पर्याप्त नमी नहीं बन पाती है जल्दबाजी में बुआई का निर्णय कदापि नहीं लेना चाहिये भूमि में कम से कम 4 इंच की नमी बनी हो उसके बाद ही बुआई की जानी चाहिये। कभी–कभी ऐसा भी होता है बोनी की अंकुरण हुआ और पानी गायब फसल सूखने की नौबत आ जाती है। या कभी–कभी ऐसा भी होता है कि सतत वर्षा होने लगती है 'ब्रेक' नही आता है। बुआई का निर्णय स्थान, भूमि के प्रकार तथा वर्षा कब आ सकती इन सभी बातों को ध्यान में रखकर करें। भारी भूमि में नमी अधिक दिनों तक टिकती है हल्की जमीन में वो बात नहीं होती है। वर्तमान में दूरदर्शन, रेडियो अखबार में वर्षा के बारे में आता रहता है जिस पर ध्यान रखना चाहिये और मार्गदर्शन लेकर ही बुआई की जानी चाहिये। सामान्य परिस्थितियों में आदर्श बुआई का समय जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है।

समस्या–मैं बरसात में भिंडी लगाना चाहता हूं, तकनीकी से अवगत करायें।

– सुरेश राव

समाधान– आप बरसात में भिंडी लगाना चाहते हैं आपके क्षेत्र की भूमि ऐसी है भिंडी भी अच्छी होगी परंतु निम्न तकनीकी अपनायेंगे तब, आपके यहां अधिक वर्षा होती है इस कारण खेत में जल निथार व्यवस्था जरूरी होगी।

- बरसात के लिये पूसा ए 4 जाति अच्छी पाई गई है इसके अलावा आप पद्मिनी क्रांति, पंजाब पद्मिनी, अर्का अनामिका, जी 7 इत्यादि भी लगा सकते हैं। इसके अलावा निजी कम्पनियों के द्वारा भी अच्छे बीज निकाले गये हैं जिनका चयन कर सकते हैं
- बीज की मात्रा 18 –20 किलो/हे., बीज का उपचार थाईरम से करे।
- 10 टन गोबर खाद के साथ 260 किलो यूरिया, 250 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 100 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश/हे. की दर से डालें।
- निंदाई/गुड़ाई सतत करते रहें। इसके अलावा लासो 4 लीटर/हे. की दर से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

समस्या– धान लगाने की एरोबिक पद्धति क्या है तथा कैसे की जाती है।

– जगतनारायण शर्मा

समाधान– धान लगाने की एरोबिक विधि

एक तरह से कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिये उपयोगी पाई गई है। जून में वर्षा आरंभ होते ही कतारों में खेत बनाने के उपरांत धान का बीज सीधा –सीधा बो दिया जाता है। मोटे दाने की धान का 60–70 किलो बीज तथा बासमती का 45–50 किलो बीज/हे. पर्याप्त होता है। इस पद्धति में जल भराव की आवश्यकता नहीं होती है। वर्षा आधारित ही फसल तैयार होती है। इस विधि में पानी की असीम बचत होती है तथा नत्रजन उर्वरक का भरपूर उपयोग संभव है। खेत में यूरिया डालने से या अमोनियम सल्फेट डालने से उसका ह्रास होता है। जो कि इस विधि से बच जाता है। इस विधि को अपनाने में नत्रजन उर्वरकों का पूरा–पूरा लाभ संभव है। और ह्रास से होने वाले वातावरण प्रदूषण से भी छुटकारा मिल जाता है।

समस्या– मैं सूर्यमुखी की खेती करना चाहता हूं, कृपया तकनीकी बतलायें।

– शारदा प्रसाद

समाधान – आप सूरजमुखी लगाना चाहते हैं इस समय खरीफ फसलों की बुआई का उपयोगी समय चल रहा है। सूर्यमुखी इसमें से एक है, आप निम्न तकनीकी अपनायें।

- बुआई समय 15 जून से 15 जुलाई
- संकर किस्मों में एबीएसएच11, बी.एस.एच.1, पारस, ई.सी. 68415, एचएम3, एसएस एफ 8, ईसी 68414
- साधारण किस्मों का बीज 10–12 किलो/हे. संकर किस्मों का 8–10 किलो/हे.
- कतार से कतार 45 से.मी. पौध से पौध 30 से.मी. बीज 4 से 5 सेमी गहराई पर बोये।
- असिंचित के लिये 87 किलो यूरिया, 250 किलो एस.एस.पी. तथा 17 किलो पोटाश/हे.
- सिंचित के लिये 130 किलो यूरिया, 500 किलो एस.एस. पी. तथा 67 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश/हे.
- सिंचित अन्य किस्मों के लिये 87 यूरिया, 375 किलो एस.एस.पी. तथा 67 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश/हे. की दर से डाले।
- रखरखाव हेतु निंदाई/गुड़ाई समय मिलते ही करें।

समस्या– मैंने बसंतकालीन गन्ना लगाया है क्या–क्या कृषि कार्य इस माह करना होगा।

– अनुज वर्मा

समाधान– जून माह में यदि वहां पर्याप्त वर्षा नहीं हुई हो तो सिंचाई की आवश्यकता होगी। निंदाई/गुड़ाई कार्य जरूरी है तथा उर्वरक की दूसरी टॉप ड्रेसिंग भी की जाये। जुलाई माह में भरपूर बारिश हो रही है। इस वजह से मिट्टी चढ़ाना तथा गन्ने की बंधाई ये कार्य भी जरूरी होंगे ताकि हवा से पौधों को गिरने से बचाया जा सके। अगोला कीट से बचाव हेतु फोरेट 10 जी 30 किलो/हे. की दर से भुरकाव करें अथवा 33 किलो कार्बोफ्यूरान 3 जी चूर्ण को खेत में भुरकें यदि वर्षा ना हो तो सिंचाई की जाये। इस तरह किए गए रखरखाव से गन्ना अच्छा पैदा हो सकेगा।

निवेदन

समस्या-समाधान स्तंभ में पाठकों से निवेदन है कि अपनी खेती-किसानी संबंधी समस्या कृषि विशेषज्ञों से निराकरण करने हेतु वाट्सएप पर भेजें. एक बार में केवल एक प्रमुख समस्या ही वाट्सएप पर लिखकर भेजें. वाट्सएप हेल्पलाइन नं. 6262166222.

समस्या–समाधान

कृषक जगत 14, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.)
फोन-0755-4248100,2554864

कृषक जगत

बागवानी सीरीज

साग-सब्जी उत्पादन उन्नत तकनीक	सब्जियों में पौध संरक्षण	मशरूम एक लाभ अनेक	मिर्च की उन्नत खेती	केला उत्पादन	गुलाब बहुरंगी संशोधित संस्करण
रु. 95	रु. 75	रु. 45	रु. 55	रु. 70	रु. 75
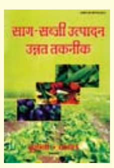					
कोड : 016	कोड : 017	कोड : 019	कोड : 020	कोड : 025	कोड : 027

पपीता	अदरक	फलों की खेती	सजाएं फूलों से बगिया	घर की बगिया
रु. 55	रु. 55	रु. 75	रु. 65	रु. 95
	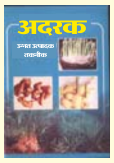	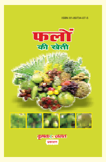		
कोड : 031	कोड : 032	कोड : 040	कोड : 041	कोड : 050

डाक द्वारा मंगवाने हेतु निम्नलिखित जानकारी के साथ हमारे पते पर ड्राफ्ट/ मनीऑर्डर के साथ ऑर्डर कीजिए . किताब कोड नं. पर ✔ निशान लगाएं

016 ☐ 017 ☐ 019 ☐ 020 ☐ 025 ☐ 027 ☐ 031 ☐ 032 ☐ 034 ☐ 040 ☐ 041 ☐ 050 ☐

नाम ______

ग्राम ______ पोस्ट ______ तह. ______

जिला ______ फोन/मोबा. ______

कुल राशि ______ ऑर्डर की गई प्रतियों की संख्या ______

संलग्न ड्राफ्ट नं. ______ मनी आर्डर रसीद क्र. ______ वी.पी. भेजें ☐

संस्थाओं द्वारा अधिक संख्या में प्रतियां खरीदने पर आकर्षक छूट. अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें.

कृपया ड्राफ्ट या मनीआर्डर कृषक जगत भोपाल के नाम
14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल - 462011
फोन : 0755-4248100, 2554864, मो.: 9826255861, Email-info@krishakjagat.org
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास, इंदौर (म.प्र.) मो. : 9826021837

स्वास्थ्य-शिक्षण

बदलें अपनी लाइफ स्टाइल

अपनाएं बस 3 आदतें

हम अपनी जीवनशैली में थोड़े से परिवर्तन करके बीमारियों से काफी हद तक मुक्ति पा सकते हैं। 1 गोली खाना बहुत आसान है बजाय जीवनशैली बदलने के, लेकिन गोली नुकसान पहुंचाती है जबकि दिनचर्या बदलने से आप एक खूबसूरत जिंदगी के मालिक बन जाते हैं।

नियमित व्यायाम- 30-45 मिनट कोई भी एरोबिक एक्टिविटी करें। स्वीमिंग, जॉगिंग, डांस, एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉक में से कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं।

पानी पिएं – पानी शरीर में विषैले पदार्थ बाहर निकालने में मदद करता है। यह शरीर में पानी का स्तर बनाए रखने के साथ-साथ त्वचा को भी युवा एवं चिकनी बनाए रखता है। शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। कभी भी प्यास लगने का इंतजार न करें।

नियमित ब्रेकफास्ट करें- यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण आहार है। यह आपको दिनभर कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करने के साथ-साथ आपकी एकाग्रता एवं याददाश्त बढ़ाता है। मांसपेशियों के तालमेल को बढ़ाता है।

प्रार्थना करने से मिलते हैं चमत्कारिक लाभ

सन् 1988 में प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. रूडोल्फ ब्यार्ड ने अपने अध्ययन द्वारा एक कम्प्यूटर के माध्यम से सेन फ्रांसिस्को के जनरल अस्पताल के लगभग 400 दिल के मरीजों के स्वास्थ्य सुधार के लिए भक्ति एवं प्रार्थना की जिससे उन मरीजों की बीमारी में आश्चर्यजनक लाभ हुआ और शेष मरीज जिनके लिए प्रार्थना नहीं की गई थी उन्हीं कठिन परिस्थितियों में रहे।

कई प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रार्थना करने वाले के पवित्र विचार, सहानुभूति, करुणा एवं प्रार्थना किए जाने वाले के प्रति चिंतित रहना उसके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है।

हारवर्ड मेडिकल स्कूल में डॉ. हर्बट बेनसन ऐसे प्रथम अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भक्ति, प्रार्थना एवं ध्यान से तनावमुक्ति एवं स्वास्थ्य लाभ के संबंध में अध्ययन किया। उनके निष्कर्षों के अनुसार विभिन्न धर्मों की प्रार्थना, पूजा पद्धति से एक समान स्वास्थ्यवर्धक परिवर्तन होते है, इसे उन्होंने विश्राम अनुक्रिया का नाम दिया। उसी अध्ययन को बाद में ऑस्ट्रेलिया और

अमेरिका में आगे बढ़ाया गया। 2012 में अध्ययनकर्ता डॉ. जॉन मैश ने इस बात को पुख्ता तौर पर प्रमाणित किया कि वाकई प्रार्थना से चमत्कारिक लाभ होते हैं।

उन्होंने 500 मरीजों के लिए उन्हीं के साथ खुद प्रार्थना की और पाया कि एकाग्र मन से जिन लोगों ने अपने सेहतमंद होने की कामना की और जिनके लिए जॉन ने प्रार्थना की, उन्हें 25 दिनों के अंदर आश्चर्यजनक लाभ मिले।

जिनके नाम उनकी प्रार्थना की सूची में शामिल नहीं थे उनकी तबियत में कोई सुधार नहीं हुआ। जॉन का कहना है कि जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मांड की सकारात्मक तरंगे और हमारे शुभ भाव एकत्र होकर मरीज के आसपास अदृश्य कवच का निर्माण करते हैं जैसा कि भारतीय शास्त्रों में वर्णन मिलता है। इन मरीजों में गंभीर रूप से बीमार मरीज भी शामिल थे। जॉन अपने अध्ययन को भारतीय संस्कृति से जोड़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत में धर्म और संस्कृति के आधार पर सेहतमंद होने की प्राचीन परंपरा है।

खुशनुमा बरसात में रखें खास ख्याल

बारिश जहां माहौल को खुशनुमा बनाती है वहीं कई बीमारियों को दावत भी देती है। यही वक्त होता है जब मच्छर का प्रकोप बढ़ता है और लोग मलेरिया के शिकार हो जाते हैं।

यदि मच्छरजनित इस बीमारी से बचना हो तो सावधानी और घरेलू उपाय करें। मसलन इन्हें घर के आसपास पनपने न दें। इसके लिए कुछ बातों पर जरूर गौर करें।

- घर के चारों ओर पानी जमा न होने दें, गड्ढों को मिट्टी से भर दें, रुकी हुई नालियों को साफ करें।
- अगर पानी जमा होने से रोकना संभव नहीं है तो उसमें पेट्रोल या केरोसिन ऑयल डालें।
- रूम कूलरों, फूलदानों का सारा पानी हफ्ते में एक बार और पक्षियों को दाना-पानी देने के बर्तन को रोज पूरी तरह से खाली करें, उन्हें सुखाएं और फिर भरें। घर में टूटे-फूटे डिब्बे, टायर, बर्तन, बोतलें आदि न रखें। अगर रखें तो उल्टा करके रखें।
- डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए पानी की टंकी को अच्छी तरह बंद करके रखें।
- अगर मुमकिन हो तो खिड़कियों और दरवाजों पर महीन जाली लगवाकर मच्छरों को घर में आने से रोकें।
- मच्छरों को भगाने और मारने के लिए मच्छरनाशक क्रीम, स्प्रे, मैट्स, कॉइल्स आदि का प्रयोग करें।
- गुग्गल के धुएं से मच्छर भगाना अच्छा देसी उपाय है।
- घर के अंदर सभी जगहों में हफ्ते में एक बार मच्छर-नाशक दवाई का छिड़काव जरूर करें। यह दवाई फोटो-फ्रेम्स, पर्दों, केलेंडरों आदि के पीछे और घर के स्टोर रूम और सभी कोनों में जरूर छिड़कें।
- दवाई छिड़कते समय अपने मुंह और नाक पर कोई कपड़ा जरूर बांधें। साथ ही, खाने-पीने की सभी चीजों को ढककर रखें।
- पीने के पानी में क्लोरीन की गोली मिलाएं और पानी को उबालकर पिएं।
- 5 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं सावधानी से रहें।
- ऐसे कपड़े पहनें, जिससे शरीर का ज्यादा-से-ज्यादा हिस्सा ढंका रहे। खासकर बच्चों में यह सावधानी बहुत जरूरी है।

भोजन की अलग-अलग प्रवृति को समझें

दुनिया भर में अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ भिन्न-भिन्न तरीके से सेवन किए जाते हैं। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ व पेय भी होते हैं, जिनको मिलाकर पीने या खाने से उनके पौष्टिक गुण बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ या पेय हैं, जिनका सेवन करने से व्यक्ति पर उल्टा प्रभाव पड़ने के कारण होती है। क्योंकि बेमेल भोज्य पदार्थ से जहर का निर्माण होता है। उदाहरणार्थ, अमृत जैसा गुणकारी शहद और घी जब बराबर की मात्रा में मिलाकर सेवन किए जाते हैं, तो उनका प्रभाव फूड पॉइजिंग का कारण बन सकता है।

वैसे तो फूड पॉइजिंग के कई कारण होते जैसे – पुराना बासी खाना, खराब सड़ी-गली सब्जी, फलों या अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन, दूषित पानी, कच्चा मांस खाने से, गंदे हाथों या गंदे बर्तनों में खाना खाने से , जीवाणु, वायरस मक्खी या कीट पतंगों द्वारा भोजन का दूषित होना। खुले में रखा हुआ भोजन, डेयरी खाद्य सामग्री जैसे दूध पनीर, खोया ,मावा आदि को इस्तेमाल करने की तिथि का एक्सपायर्ड हो जाना , विषाक्त समुद्री भोजन, पौधों या कवक आदि। खतरनाक रसायनों से युक्त भोजन, ई-कोलाइ सालमोनेला या किसी अन्य तरह के बैक्टीरिया द्वारा प्रदूषित किया गया भोजन इत्यादि।

लेकिन इन सबके अलावा फूड पॉइजिंग का एक और बहुत बड़ा कारण होता है, वह है बेमेल भोजन। इस पोस्ट में हम उसी पर रोशनी डालने का प्रयास करेंगे क्योंकि सभी भोजनों का सही संयोजन या मेल की जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं होती है। वैसे तो सभी खाद्य सामग्रियों को एक ही लेख में कवर करना मुश्किल है फिर भी जो प्रचलित है हम केवल उन्ही को शामिल करेंगे।

पाक्षिक पंचांग

20 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक
विक्रम संवत् 2083
आषाढ़ शुक्ल 6 से श्रावण कृष्ण 4 तक

दि.	माह	वार		तिथि/त्यौहार	
20	जुलाई	सोम	आषाढ़ शुक्ल	6	
21	जुलाई	मंगल	----------	7	
22	जुलाई	बुध	----------	8	
23	जुलाई	गुरु	----------	9	भड़ली नवमी
24	जुलाई	शुक्र	----------	10	
25	जुलाई	शनि	----------	11	देवशयनी ग्यारस
26	जुलाई	रवि	----------	12	प्रदोष व्रत
27	जुलाई	सोम	----------	13	विजया पार्वती व्रत
28	जुलाई	मंगल	----------	14	
29	जुलाई	बुध	----------	15	गुरु पूर्णिमा
30	जुलाई	गुरु	श्रावण कृष्ण	1	
31	जुलाई	शुक्र	----------	2	पंचक 6.35 प्रात: से
1	अगस्त	शनि	----------	3	पंचक
2	अगस्त	रवि	----------	4	पंचक, गणेश चतुर्थी व्रत

123certificates

प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों को मिला पदोन्नति का तोहफा

कृषि, उद्यानिकी, कृषि अभियांत्रिकी एवं जनसंपर्क विभाग में बड़े पैमाने पर हुए प्रमोशन

भोपाल (कृषक जगत)। मध्यप्रदेश शासन ने कृषि, उद्यानिकी, कृषि अभियांत्रिकी एवं जनसंपर्क विभाग में विभागीय अधिकारियों की लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न संवर्गों के अधिकारियों को उच्च पदों पर पदोन्नत किया है।

पदोन्नति के साथ अधिकारियों की नवीन पदस्थापना भी की गई है, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नत अधिकारी निर्धारित अवधि में अपने नवीन पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों में उत्साह का वातावरण है।

कृषि विभाग

संयुक्त संचालक से अपर संचालक

श्री रेवा सिंह सिसोदिया, श्री डमरूलाल कोरी

उप संचालक से संयुक्त संचालक

सर्वश्री मनोहर सिंह देवके, राजेश चतुर्वेदी, जितेन्द्र कुमार सिंह, जितेन्द्र सिंह परिहार, उम्मेद सिंह तोमर, जोधाराम पंडाम, रामलाल जामरे, डॉ. सुशील कुमार निगम, आलोक कुमार मीणा, रामसेवक शाक्यवार, केशव सिंह खपेड़िया, कमल कुमार जैन, आनन्द कुमार बड़ोनिया, डॉ. अजय कुमार कौशल, बंडू सिंह जमरा, शोभाराम चौहान, संजय दोषी, रामपाल सिंह नायक।

सहायक संचालक से उप संचालक

सर्वश्री सरनाम सिंह, एन.के. बिसेन, गजराज सिंह गौरख, लक्ष्मीनारायण चौरसिया, व्यारसीलाल अहिरवार, मुकेश कुमार प्रजापति, उमेश कुमार कटहरे, हरि प्रसाद भारती, फूलसिंह मालवीय, ज्ञानेन्द्र कुमार पचौरिया, जगदीश नवेरिया, खेरसिंह केन, सुरेन्द्र कुमार परहाते, रवि कुमार आमवंशी, राम प्रसाद झारिया, कैलाश मगर, गौरीशंकर बेले, संजीव कुमार शाक्य, भगवान सिंह अर्गल, हनुमंत राव प्रभाकर, त्रिभुवन भारती, श्रीमती नविता उरकुड़े श्रीवास्तव, प्रताप सिंह निगवाल, शांतिलाल पंवार, सचिन राजीव दास, परमानंद डाबर, के.एस. अग्निया, रणजीत सिंह पटेल, श्रीमती अल्पजिमा सेन, श्रीमती रचना शर्मा, अनंत बिहारी सड़ेया, श्याम बहादुर सिंह, नरेश कुमार परमार, रामशंकर जाट, राजकुमार सिंह, डॉ. दिनेश कुमार सिंह, गोपेश पाठक, डॉ. अनिल कुमार मिश्रा, उपेन्द्र कुमार शुक्ला, ओमप्रकाश तिवारी, मनोज रघुवंशी, डॉ. आशुतोष पाण्डेय, डॉ. रविकांत सिंह, अजय कुमार परिहारनी, पियूष सोलंकी, श्रीमती प्रतिभा गौर, राजेन्द्र कुमार द्विवेदी, कमलेन्द्र सिंह चौहान, डॉ. राजेश सिंह चौहान, डॉ. अनुराग पटेल, डॉ. सुरेश कुमार, डॉ. श्रीमती अनंता दीवान, डॉ. रामनाथ पटेल, राजेन्द्र प्रसाद परमार, डॉ. श्रीमती इंदिरा त्रिपाठी, डॉ. रामवीर सिंह राजपूत, भानुप्रताप सिंह, विलास राव पाटिल, श्रीमती कीर्ति वर्मा, श्रीमती नम्रता गुरनानी, श्रीमती रश्मि लांभाते (प्रचंड), दिनेश मण्डलोई, मानसिंह ठाकुर, कु. रजनी चौहान, हीरा सिंह चौहान, श्रीमती अनीता धाकड़, सुश्री भावना चतुर्वेदी, अंबाराम मेड़ा, संतोष सिंह मोर्य, ओंकार सिंह बर्मन, प्रकाश ठाकुर, प्यार सिंह चौहान, निर्भय सिंह पटेल, प्रियंका चंदेल, जवाहरलाल कारदे, मॉरिस नाथ, यतीन कुमार मेहता, लाल सिंह चारेल, डॉ. प्रेम सिंह, सचिन जैन, भानुप्रताप शर्मा, नितेश कुमार यादव, संजय कुमार पाठक, संदीप कुमार यादव, सुरेन्द्र अमसले, धीरज ठाकुर, अमित सिंह।

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

सहायक संचालक (उद्यान) से उपसंचालक

सर्वश्री कैलाश सिंह सोलंकी, अजय चौहान, मिथुनलाल उइके, कालू सिंह मंडलोई, कृष्ण कुमार गिरवाल, श्रीमती क्षेमलता पंडोले, विजय सिंह, पद्म सिंह पटेल, नितिन चंद्र वारकले, मोहन सिंह मुझाल्दा, श्रीमती इन्दुबाणी बेंकोड़े, श्रीमती जयमाला सिंह, श्रीमती नीलम पाटिल, श्रीमती नितिका जैन, श्रीमती रीता मरकाम, डॉ. नेहा पटेल अखुते, श्रीमती शानू प्रेमम।

वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी से सहायक संचालक

सर्वश्री संतकुमार त्रिपाठी, अशोक कुमार मिश्रा, अनिल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, मुशफिजल हुसैन सैफी, दीनानाथ धोटे, यश कुमार सिंह, तीरज सावरिया, राजू कछवाया, मनीष चौहान, निर्मल कुमार गोयल, कायम सिंह धुर्वेताल, अरुण कुमार गोयल, सुमित करसाड़े, संजय माथे, राजकुमार कोरी, शंभोराम चौहान, मंगल सिंह डोडवे, गोविन्द पटेल, चेतन सिंह नरवाल, श्यामलाल सोलंकी, पुष्पराज चौहान, कैलाश चैतन्य, पर्वत सिंह बड़ोले, अजय रोहित, मधुबन भारद्वाज, जगदीश सिंह मुझाल्दा।

कृषि अभियांत्रिकी

सहायक कृषि यंत्री से कृषि यंत्री

सर्वश्री मोसेस डोनाल्ड दानी, अभिषेक दीक्षित, अलबर्ट प्रबल कुजूर, बन्नेसिंह दलोदिया, बच्चूसिंह कोठारी, प्रताप सिंह शाक्य, चन्दन सिंह बरकड़े, काशीराम कुलस्ते, मुनीष कुमार पाण्डेय, मनीष कुमार मिश्रा, नोकेलाल मेहरा, श्रीमती प्रियंका मेश्राम।

यांत्रिकी सहायक से सहायक कृषि यंत्री

सर्वश्री विश्व विजय मौर्य, हनुमान प्रसाद गौतम, संजय कुमार शर्मा, उदयवीर सिंह, अनिल प्रताप सिंह, अशोक कुमार शर्मा, मनोज कुमार भार्गव, पूनमचन्द सिसौदिया, सुखराम उइके, झामसिंह धुर्वे, दीपक डिण्डोर, विश्रामसिंह डोडवे, प्रेमचन्द पटेल, संदीप पीपड़ा, इन्दर सिंह धाकड़, अनिल कुमार गौड़, शांतनु पाण्डे, चितरंजन कुमार, अनिल कुमार मिश्रा, अंकित कुमार, शिवम रघुवंशी, श्री पकंज पाटीदार, डीलेश्वर बन्देवार, सुश्री नेहा द्विवेदी, सुश्री अश्विनी सिंह।

जनसंपर्क विभाग

संयुक्त संचालक से अपर संचालक

सर्वश्री जी.एस. बाधवा, संजय जैन, सुश्री रश्मि देशमुख (रीवा), संजय सक्सेना (नईदिल्ली)।

उपसंचालक से संयुक्त संचालक

सर्वश्री पंकज मित्तल, अशोक मनवानी, राजाराम पटेल, अवनीश सोमकुवर, राजेश कुमार बेन, घनश्याम सिरसाम, श्री अजय वर्मा, लक्ष्मण सिंह (सागर)

सहायक संचालक से उपसंचालक

सर्वश्री अरूण राठौर नर्मदापुरम्, श्रीमती बिन्दु सुनील भोपाल, मधु सोलापुरकर ग्वालियर, श्रीमती बबीता मिश्रा भोपाल, आशीष कुमार शर्मा छतरपुर, आनंद जैन जबलपुर, दुर्गेश रायकवार भोपाल, सुनील वर्मा भोपाल, पुष्पेन्द्र वास्कले इंदौर, देवेन्द्र कुमार ओगारे सीहोर, संतोष कुमार मिश्रा भोपाल, के.के. जोशी भोपाल,शरीफ मोहम्मद दमोह, अरूण शर्मा भोपाल, सुश्री नीलू सोनी छिंदवाड़ा एवं राजेश परते सिवनी।

सहायक जनसंपर्क से सहायक संचालक जनसंपर्क

सर्वश्री राजेश कुमार पाण्डेय भोपाल, संदीप कपूर भोपाल, महिपाल अजय इंदौर, बृजेन्द्र कुमार शर्मा खंडवा, उमेश चंद्र तिवारी रीवा, गजेन्द्र कुमार द्विवेदी शहडोल, सुरेन्द्र कुमार तिवारी हरदा एवं जगदीश चंद्र मालवीय आगर-मालवा।

78 वर्ष
कृषक जगत
राष्ट्रीय कृषि अखबार
भोपाल-जयपुर-रायपुर

वर्ष में कई आकर्षक एवं संग्रहणीय विशेषांक
- खरीफ विशेषांक
- पौध संरक्षण विशेषांक
- रबी विशेषांक
- बीज विशेषांक
- बागवानी विशेषांक

25 लाख पाठक

कृषक जगत की सदस्यता राशि
⇨ वार्षिक रु. 600/-
⇨ दो वर्ष रु. 1000/-
⇨ तीन वर्ष रु. 1500/-

डाक से नियमित रूप से 'कृषक जगत' - प्रति सप्ताह ☐ भोपाल ☐ जयपुर ☐ रायपुर संस्करण निम्न पते पर एक वर्ष/दो वर्ष / तीन वर्ष भेजें. (अपनी आवश्यकता के अनुरूप निशान लगायें).
नाम ....
....
ग्राम .... पो. ....
डाक वितरण हेतु अपने क्षेत्रीय पोस्टमैन का मो. नं. अवश्य दें : ....
वि.ख. .... तह. ....
जिला .... पिन ☐☐☐☐☐☐ राज्य ....
शिक्षा .... भूमि .... उम्र ....
ट्रैक्टर/मॉडल .... फोन/मो. ....
ई-मेल ....
मेरा सदस्यता शुल्क रुपये .... नगद/डिमांड ड्राफ्ट/UPI/Bank/
मनीऑर्डर/क्र. .... 'कृषक जगत' भोपाल के नाम संलग्न है।
कृषक जगत में सदस्यता लेने के माध्यम
कृषक जगत ऑनलाइन पेमेंट लिंक
http://www.krishakjagat.org/krishak-jagat-subscription/index.php
Online Payment- SBI-A/C No. 53007193070, IFSC : SBIN 0005793, Google Pay/Phone Pe/PAYTM/UPI : Mobile 9826255861
कृषक जगत हेल्पलाइन नम्बर 6262166222
पेमेंट के बाद : 1. पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें इस फोन नम्बर पर 9826255861
2. पूरा नाम, पता पिन कोड के साथ भेजें।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें
प्रसार प्रबंधक कृषक जगत

भोपाल : 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल-462011 फोन: 0755-4248100, मो. : 9926653355, 9826255861, E-mail-info@krishakjagat.org
जयपुर : एच-64, मीरा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर (राज.), मो. : 9829254092, 7387422952
रायपुर : एलआईजी-5, सेक्टर-2, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.),मो.: 9826255862
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास इंदौर, मो. : 9826021837, 9826024864
नई दिल्ली : 403,आईएनएस बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली, मो. : 7387422952

सदस्यता शुल्क भुगतान के लिए QR कोड स्कैन करें

मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ स्मार्ट तकनीक से लैस शक्तिशाली स्वराज 855 प्रोटेक ट्रैक्टर

(सचिन बोंद्रिया)

इंदौर (कृषक जगत)। महिंद्रा एंड महिंद्रा लि. की ट्रैक्टर निर्माता कंपनी स्वराज ट्रैक्टर्स ने मध्य प्रदेश में अपना नया स्वराज 855 प्रोटेक ट्रैक्टर लॉन्च किया। आधुनिक तकनीक, स्मार्ट कनेक्टिविटी और उन्नत इंजीनियरिंग से लैस यह ट्रैक्टर किसानों को अधिक उत्पादकता, बेहतर ईंधन दक्षता तथा आरामदायक संचालन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह मॉडल 2WD और 4WD दोनों विकल्पों में उपलब्ध होगा। लॉन्च समारोह में स्वराज डिवीजन के सीईओ श्री गगनजोत सिंह, वाइस प्रेसिडेंट श्री आलोक गुप्ता तथा महाप्रबंधक (सेल्स) श्री प्रदीप कुलकर्णी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर श्री गगनजोत सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में सिंचाई साधनों के विस्तार से खेती का स्वरूप तेजी से बदला है। अब किसान एक वर्ष में तीन फसलें तक ले रहे हैं। ऐसे में उन्हें ऐसे ट्रैक्टर की आवश्यकता है, जो कम समय में अधिक कार्य कर सके, ईंधन की बचत करे और आधुनिक कृषि यंत्रों के साथ बेहतर प्रदर्शन दे। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्वराज 855 प्रोटेक को विशेष रूप से मध्य प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए विकसित किया गया है।

उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के किसान उन्नत कृषि यंत्रों का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इसलिए कंपनी ने ऐसा ट्रैक्टर तैयार किया है, जो शक्तिशाली होने के साथ-साथ आरामदायक भी हो तथा आधुनिक डिजिटल तकनीकों से लैस हो। स्वराज स्मार्ट कनेक्ट तकनीक के माध्यम से किसान ट्रैक्टर की रियल-टाइम लोकेशन, ईंधन दक्षता, इंजन की स्थिति, ईंधन स्तर, सर्विस रिमाइंडर और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां अपने मोबाइल पर ले सकते हैं। इससे ट्रैक्टर का बेहतर प्रबंधन, समय पर रखरखाव तथा खेती की उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

श्री आलोक गुप्ता ने मध्य प्रदेश में स्वराज की मजबूत बाजार उपस्थिति और भविष्य की रणनीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्य कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। यहां स्वराज का मजबूत डीलर नेटवर्क किसानों को बिक्री, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। कंपनी भविष्य में भी अपने डीलर नेटवर्क का विस्तार करने के साथ आधुनिक तकनीक आधारित उत्पादों और बेहतर ग्राहक सेवाओं के माध्यम से किसानों तक अपनी पहुंच और मजबूत करेगी। महाप्रबंधक (सेल्स) श्री प्रदीप कुलकर्णी ने बताया कि स्वराज 855 प्रोटेक की अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत रूपये 9.45 लाख से रूपये 10.45 लाख के बीच रखी गई है। स्वराज 855 प्रोटेक अन्य राज्यों में भी चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जाएगा। कंपनी इस ट्रैक्टर पर 6 वर्ष की वारंटी प्रदान कर रही है।

बीएएसएफ ने म.प्र. में 'सुरक्षा हमेशा - कृषक जागरूकता यात्रा' का किया शुभारंभ

भोपाल (कृषक जगत)। बीएएसएफ एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस ने मध्य प्रदेश कृषि विभाग के सहयोग से भोपाल जिले के ग्राम शोभापुर से 'सुरक्षा हमेशा- कृषक जागरूकता यात्रा' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कृषि उप संचालक डॉ. सुमन प्रसाद, अ. भा. कृषि विक्रेता संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मानसिंह राजपूत, बीएएसएफ एग्रो के निदेशक श्री गिरिधर जी तथा बीएएसएफ मध्य प्रदेश के बिजनेस मैनेजर श्री योगेंद्र सिंह राठौड़ सहित अनेक किसान, कृषि विक्रेता एवं अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस पहल का उद्देश्य किसानों के बीच फसल सुरक्षा उत्पादों के सुरक्षित, जिम्मेदार एवं वैज्ञानिक उपयोग को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी जागरूकता को सशक्त बनाना है।

भारत में अनेक किसानों को फसल सुरक्षा उत्पादों के सुरक्षित उपयोग, उचित जानकारी, व्यावहारिक मार्गदर्शन तथा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के सही उपयोग एवं उपलब्धता के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बीएएसएफ ने इस मोबाइल जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों तक सीधे पहुँचकर उन्हें सुरक्षित कृषि पद्धतियों के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा।

'सुरक्षा हमेशा - कृषक जागरूकता यात्रा' में विशेष रूप से तैयार किए गए 6 जागरूकता वाहन मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों का 30 दिनों तक भ्रमण करेंगे। इस दौरान किसानों एवं स्प्रे ऑपरेटरों को जिम्मेदार उपयोग के नौ महत्वपूर्ण चरण (नाइन स्टेप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल यूज़), फसल सुरक्षा उत्पादों के सुरक्षित भंडारण, सही मात्रा एवं सही विधि से उपयोग, खाली पैकेजिंग के सुरक्षित निपटान तथा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

बीएएसएफ का प्रमुख 'सुरक्षा हमेशा' कार्यक्रम कई वर्षों से किसानों एवं स्प्रे ऑपरेटरों को फसल सुरक्षा उत्पादों के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग के लिए प्रशिक्षित करता आ रहा है। कंपनी का मानना है कि प्रत्येक किसान-चाहे उसकी जोत का आकार छोटा हो या बड़ा-सुरक्षित कृषि कार्य करने तथा स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से बचाव का अधिकार रखता है।

बीएएसएफ एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस का उद्देश्य नवीन कृषि तकनीकों, वैज्ञानिक जानकारी एवं जिम्मेदार कृषि पद्धतियों के माध्यम से किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा तथा सतत कृषि विकास को सुनिश्चित करना है। 'सुरक्षा हमेशा - कृषक जागरूकता यात्रा' इसी दिशा में कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

हायटेक सीड इंडिया "Farmer-Centric Impact Excellence Award" से सम्मानित

हैदराबाद (कृषक जगत)। किसानों के हित में उत्कृष्ट कार्यों के लिए हायटेक सीड इंडिया प्रा. लि. को प्रतिष्ठित ASSOCHAM–ICRISAT India Seed Trade & Innovation Summit 2026 में "Farmer-Centric Impact Excellence Award" से सम्मानित किया गया।

यह सम्मान किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने, किफायती मूल्य, HyGard जैसी आधुनिक तकनीक, अत्याधुनिक सीड प्रोसेसिंग एवं गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाओं, जलवायु-अनुकूल संकर बीजों के विकास तथा किसानों को निरंतर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के प्रयासों की सराहना है।

इस अवसर पर कंपनी के उपाध्यक्ष (मार्केटिंग एवं सेल्स) श्री गणेश पटेल ने कहा, 'यह सम्मान केवल कंपनी का नहीं, बल्कि हायटेक परिवार के प्रत्येक कर्मचारी, सेल्स एवं मार्केटिंग टीम, नेतृत्व तथा प्रबंधन के सामूहिक समर्पण का परिणाम है। किसानों का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और हम 'Farmers First' के संकल्प के साथ आगे भी नवाचार और उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।' कंपनी ने भविष्य में भी भारतीय कृषि के सतत विकास और किसानों की समृद्धि के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प दोहराया।

कृषि सम्मेलन में नैनो तकनीक का प्रदर्शन

भोपाल (कृषक जगत)। इफको ने मध्यप्रदेश में किसानों और कृषि अधिकारियों के बीच आधुनिक एवं टिकाऊ कृषि तकनीकों के प्रसार के लिए दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए। अशोकनगर जिले के बहादुरपुर में आयोजित कृषि सम्मेलन में इफको ने अपने नवाचार आधारित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई, वहीं ग्वालियर में केवीके में कृषि अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन एवं नैनो उर्वरकों के प्रभावी उपयोग पर विस्तार से जानकारी दी।

बहादुरपुर (विकासखंड मुंगावली, जिला अशोकनगर) स्थित कृषि उपज मंडी में आयोजित कृषि सम्मेलन में इफको के स्टॉल पर किसानों को नैनो यूरिया, डीएपी, सागरिका, जैव उर्वरक आदि के संतुलित उपयोग, उनकी भूमिका की जानकारी दी गई।

सम्मेलन में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इफको स्टॉल का अवलोकन किया। उन्होंने ड्रोन आधारित कृषि तकनीक तथा कृषि में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए इफको के प्रयासों की सराहना की।

पैराक्वाट पर लगेगा प्रतिबंध

केंद्र सरकार ने जारी किया मसौदा आदेश

इंदौर (कृषक जगत)। केंद्र सरकार ने अत्यधिक विषैले खरपतवारनाशी पैराक्वाट डाइक्लोराइड पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 'बैनिंग ऑफ पैराक्वाट डाइक्लोराइड ऑर्डर, 2026' का मसौदा अधिसूचना जारी करते हुए इसके निर्माण, आयात, परिवहन, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है। सरकार ने इस प्रस्ताव पर उद्योग, वैज्ञानिकों, किसानों और अन्य हितधारकों से 30 दिनों के भीतर सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।

क्या है पैराक्वाट

पैराक्वाट एक नॉन-सेलेक्टिव, संपर्क कॉन्टैक्ट खरपतवारनाशी है, जिसका उपयोग बागानों, फलोद्यानों तथा विभिन्न फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है। लेकिन इसकी अत्यधिक विषाक्तता की स्थिति में प्रभावी प्रतिविष (एंटीडोट) उपलब्ध नहीं होने के कारण यह विश्व के सबसे विवादास्पद फसल संरक्षण रसायनों में शामिल रहा है। कई देशों में इसके उपयोग पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है या कड़े नियामक प्रतिबंध लागू हैं।

एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट

सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने उपलब्ध वैज्ञानिक अध्ययनों, विषाक्तता संबंधी आंकड़ों और मानव एवं पशु स्वास्थ्य पर संभावित जोखिमों का परीक्षण करने के बाद इसके पूर्ण प्रतिबंध की अनुशंसा की है। मसौदा आदेश लागू होने के बाद पैराक्वाट डाइक्लोराइड से जुड़े सभी पंजीकरण निरस्त हो जाएंगे तथा कंपनियों को निर्धारित समय-सीमा में अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस जमा करने होंगे।

मध्य प्रदेश में मूंग की खेती में हो रहा था दुरुपयोग

मध्य प्रदेश में जायद की मूंग फसल में पैराक्वाट डाइक्लोराइड का बड़े पैमाने पर कटाई से पहले फसल को कृत्रिम रूप से सुखाने (डेसिकेशन) के लिए दुरुपयोग किए जाने की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। शीघ्र कटाई और श्रम लागत कम करने के उद्देश्य से कुछ किसान खड़ी फसल पर इसका छिड़काव कर रहे थे। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार यह उपयोग अनुशंसित नहीं है और इससे फसल में रासायनिक अवशेष बने रहने की आशंका रहती है, जो उपभोक्ता स्वास्थ्य के लिए भी जोखिम पैदा कर सकती है।

इन्हीं शिकायतों के आधार पर मध्य प्रदेश के कई जिलों में कृषि विभाग ने समय-समय पर मूंग की फसल में पैराक्वाट के उपयोग पर रोक लगाई थी। विभाग ने किसानों को इस रसायन के दुरुपयोग से बचने और केवल अनुशंसित फसलों एवं निर्धारित विधि से ही खरपतवारनाशियों का उपयोग करने की सलाह भी जारी की थी। प्रस्तावित प्रतिबंध लागू होने पर इसका प्रभाव पैराक्वाट आधारित उत्पाद बनाने वाली कंपनियों, कृषि आदान विक्रेताओं तथा उन किसानों पर पड़ेगा जो खरपतवार नियंत्रण के लिए इस रसायन का उपयोग करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिबंध के बाद किसानों को सुरक्षित एवं प्रभावी वैकल्पिक खरपतवार प्रबंधन तकनीकों और कम विषैले विकल्पों को अपनाने की आवश्यकता होगी।

जड़ों को दे मजबूत आधार

धानुका का माइकोर सुपर खाद हर बार

मैं प्रदीप लोधी, ग्राम भेसरा, तहसील-सिलवानी एवं जिला-रायसेन का मूल निवासी हूँ। मेरा मुख्य कार्य खेती है। मेरे पास लगभग 30 एकड़ खेती है, जिस पर मैं धान की खेती करता हूँ। मैं विगत 3 वर्षों से लगातार धान की फसल में धानुका कम्पनी के 'माइकोर सुपर' जो कि एक माइकोराइजल बायोफर्टिलाइजर है, का उपयोग कर रहा हूँ। इसका उपयोग रोपाई के 20-30 दिनों बाद 4 किग्रा./एकड़ की मात्रा में करने पर धान की फसल में जड़ों का अच्छा विकास हुआ तथा उसमें कल्लों की संख्या अधिक मात्रा में हुई, जिससे मुझे अच्छा उत्पादन प्राप्त हुआ।

परिणामों को देखते हुए मैं सभी किसान भाईयों से अनुरोध करता हूँ कि आप भी धान की फसल में धानुका एग्रीटेक लि. के उत्पाद माइकोर सुपर का उपयोग करें। अधिक जानकारी के लिए मेरे मो.: 83570 76119 पर संपर्क कर सकते हैं।

कृषक जगत की सदस्यता हेतु संपर्क करें

अनिल सुराना, सुराना इंजीनियरिंग, दलौदा, जिला- मन्दसौर, मो. : 9424034220
शरद पाटीदार, मे. पाटीदार एग्रीको दख प्लाजा, नीमच जिला- नीमच, मो. : 9425949500
विशाल पाटीदार, मे. गायत्री कृषि एवं बीज भंडार, शुजालपुर मंडी, मो. : 8120700900

जिला रिसोर्स पर्सन के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित

आलीराजपुर (कृषक जगत)। उप संचालक उद्यानिकी ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के तहत जिला रिसोर्स पर्सन (डीआरपी) के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयनित डीआरपी योजना के लाभार्थियों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, डीपीआर तैयार करने, बैंक ऋण, लाइसेंस एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं में तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करेंगे।

इच्छुक अभ्यर्थी 22 जुलाई 2026 तक कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, संयुक्त जिला कार्यालय भवन, आलीराजपुर में आवेदन जमा कर सकते हैं।

TerraGlebe Farmers Producer Company Limited
NIMADFRESH

यूरोप में मिर्च निर्यात (एक्सपोर्ट) करने वाला मध्यप्रदेश का पहला किसान उत्पादक संगठन बना 'टेराग्लेब'
अब उसी की तर्ज पर नाबार्ड से गठित FPO निमाड़फ्रेश FPO रसायन मुक्त मसाले का बना मैन्युफैक्चर
ODOP - मिर्च-खरगोन
जुलाई 26

निमाड़फ्रेश FPO (JV) हरिओम भुरे 8964087240
टेराग्लेब FPO बालकृष्ण पाटीदार 9575524408

पटवारी एग्रो एजेन्सी

:: वितरक ::

◆ कलश सीड्स लि. ◆ बायोस्टेट इंडिया लि. ◆ बॉयर कॉप साइंस ◆ धानुका एग्रीटेक लि. ◆ एफ.एम.सी. इंडिया प्रा.लि. ◆ घरड़ा केमिकल्स लि. ◆ अतुल एग्रीटेक लि. ◆ रामा फॉस्फेट्स लि. ◆ जी.एन.एफ.सी. ◆ इंसेक्टीसाइड्स इंडिया लि. ◆ बीएएसएफ ◆ डयूपॉन्ट इंडिया लि. ◆ क्रिस्टल क्राप साइंस ◆ डाउएग्रो साइंसेस ◆ एग्री सर्च इंडिया ◆ मंशा इंडिया लि. ◆ स्वाल कार्पोरेशन लि. ◆ मेघमनी आर्गेनिक्स ◆ अदामा इंडिया लि.

17, विशाल टॉवर, इंदिरा काम्पलेक्स, नवलखा चौराहा, इन्दौर (म.प्र.)
फोन : 2403694, 2400412, मो. : 9425077083

छोटा विज्ञापन बड़ा लाभ

व्यक्तिगत क्लासीफाइड

विज्ञापन के लिए निर्धारित कैटेगरीज-
- बेचना/खरीदना- ट्रैक्टर, ट्राली, थ्रेशर, खेत, मकान, मोटरसाइकल, पशु, मोटर, जनरेटर आदि ▪ बीज ▪ औषधीय फसल

विज्ञापन दर - मात्र रु. 600/- प्रति संस्करण लगातार 4 सप्ताह तक ▪ अधिकतम 25 शब्द
- अतिरिक्त शब्द- 2 रु. प्रति शब्द, अधिकतम 40 शब्दों तक

डिस्प्ले क्लासीफाइड

विज्ञापन दर : रु. 800/- प्रति अंक, प्रति संस्करण जीएसटी 5%अतिरिक्त
साइज : फिक्स साइज- 8 × 5 = 40 वर्ग से.मी.
कैटेगरीज- बीज, कीटनाशक, जैविक खाद, ट्रैवल्स, तीर्थ यात्राएं, आवश्यकता, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कृषि सेवा केन्द्र, शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण, बारदाने, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, होस्टल, वित्तीय संस्थाएं, चिकित्सक, एग्री क्लीनिक आदि।

कृषक जगत की सदस्यता एवं विज्ञापन के लिए हेल्पलाइन नं.
62 62 166 222
www.krishakjagat.org @krishakjagatindia
@krishakjagat @krishak_jagat

म.प्र. में वर्षा की स्थिति (मि.मी. में) 1 से 15 जुलाई 2026 तक

जिला	वास्तविक वर्षा	सामान्य वर्षा	सामान्य से अधिक या कम %
म.प्र.	**241.8**	**270.3**	**-11**
पूर्वी म.प्र.			
अनूपपुर	237.5	314.0	-24
बालाघाट	304.5	379.0	-20
छतरपुर	296.4	299.2	-1
छिंदवाड़ा	285.3	312.0	-9
दमोह	289.9	315.1	-8
डिंडोरी	291.3	370.0	-21
जबलपुर	222.2	316.4	-30
कटनी	198.2	286.2	-31
मैहर	118.0	277.7	-57
मंडला	230.8	362.1	-36
मऊगंज	221.3	270.8	-18
नरसिंहपुर	178.0	299.5	-41
निवाड़ी	212.3	184.3	15
पाण्डुर्ना	261.9	267.8	-2
पन्ना	259.4	291.5	-11
रीवा	111.17	267.1	-58
सागर	225.8	322.5	-30
सतना	330.1	271.7	-15
सिवनी	289.4	336.4	-14
शहडोल	175.4	276.1	-35
सीधी	186.8	304.7	-39
सिंगरौली	161.8	249.2	-35
टीकमगढ़	178.1	260.0	-33
उमरिया	225.6	290.3	-22
उपसंभागीय वर्षा	**232.8**	**305.0**	**-24**
पश्चिम म.प्र.			
आगर मालवा	310.6	233.0	38
अलीराजपुर	59.4	247.9	-76
अशोकनगर	245.3	237.9	3
बड़वानी	195.9	205.8	-5
बैतूल	289.4	302.3	-4
भिंड	216.5	161.2	34
भोपाल	327.4	276.8	18
बुरहानपुर	316.9	234.8	35
दतिया	139.1	186.8	-26
देवास	454.3	251.3	81
धार	180.5	231.5	-22
गुना	270.8	262.4	3
ग्वालियर	189.0	172.9	9
हरदा	379.4	296.5	28
इंदौर	353.4	258.3	48
झाबुआ	163.1	245.1	-33
खंडवा	279.8	242.7	15
खरगोन	255.9	222.2	15
मंदसौर	256.7	207.3	24
मुरैना	129.2	163.3	-21
नर्मदापुरम	210.3	363.1	-42
नीमच	258.3	196.1	32
रायसेन	224.2	311.7	-28
राजगढ़	286.6	243.0	18
रतलाम	230.9	221.6	4
सीहोर	354.9	296.6	24
शाजापुर	244.8	234.9	4
श्योपुर	171.6	176.8	-3
शिवपुरी	158.3	206.1	-27
उज्जैन	296.4	244.5	21
विदिशा	248.3	292.4	-15
उपसंभागीय वर्षा	**248.7**	**243.7**	**2**

स्त्रोत: भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केन्द्र, भोपाल

इंडोगल्फ के एमडी श्री अग्रवाल 'विज़नरी लीडर अवॉर्ड' से सम्मानित

नई दिल्ली (कृषक जगत)। इंडोगल्फ क्रॉपसाइंसेज़ लि. के प्रबंध निदेशक श्री संजय अग्रवाल को कृषि क्षेत्र में उनके नेतृत्व और योगदान के लिए 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवॉर्ड्स 2026 में 'विज़नरी लीडर अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली मेंआयोजित समारोह में प्रदान किया। कार्यक्रम का आयोजन एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा किया गया।

यह सम्मान कृषि क्षेत्र में नवाचार, उद्योग विकास तथा किसानों के हित में किए गए उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। समारोह में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े नीति-निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों की उपस्थिति रही।

इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा, 'इंडोगल्फ क्रॉपसाइंसेज़ में हमारा उद्देश्य केवल कृषि आदानों का विकास करना नहीं, बल्कि ऐसे नवाचार-आधारित समाधान उपलब्ध कराना है जो किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, कृषि को अधिक टिकाऊ बनाने और भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सहायक हों। यह सम्मान हमें अनुसंधान, गुणवत्ता और किसान-केंद्रित नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करने की प्रेरणा देता है।' उन्होंने कहा कि कंपनी भविष्य में भी अनुसंधान एवं विकास पर विशेष ध्यान देते हुए आधुनिक कृषि के लिए प्रभावी समाधान विकसित करने तथा भारतीय कृषि को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में कार्य करती रहेगी।

HDFC ERGO एचडीएफसी इर्गो ने खरीफ सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की

नई दिल्ली (कृषक जगत)। भारत में निजी क्षेत्र की अग्रणी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ, 2026 सीजन के लिए अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खंडवा (पूर्वी निमाड़) और खरगोन जिलों में ऋणी और गैर-ऋणी किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) लागू करने के लिए अधिकृत किया है। इन जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन मप्र सरकार द्वारा योजना के तहत अधिसूचित निम्नलिखित फसलों के लिए किया जाएगा, जिनके लिए फसलों के अनुसार अंतिम तिथियाँ भी दी गई हैं- किसान का हिस्सा (रू./हेक्टेयर) अलीराजपुर जिला- उड़द 526.00, कपास 2860.00, मूंग 506.00, मूंगफली 728.00, मक्का 604.00, धान - आरएफ (यूएनआईआर) 596.00, ज्वार 476.00, अरहर/तुअर 680.00, सोयाबीन 758.00, बाजरा 450.00, बड़वानी जिला - उड़द 486.00, कपास 3500.00, मूंग 506.00, मूंगफली 728.00, मक्का 680.00, ज्वार 396.00, अरहर/तुअर 736.00, सोयाबीन 758.00, बाजरा 450.00, बुरहानपुर जिला - कपास 3000.00, मक्का 740.00, अरहर/तुअर 778.00, सोयाबीन 926.00, धार जिला - कपास 3375, मूंग 506.00, मक्का 656.00, ज्वार 440.00, अरहर/तुअर 652.00, सोयाबीन 862.00, बाजरा 450.00, खंडवा (पूर्वी निमाड़) जिला- कपास 3000, धान - आरएफ (यूएनआईआर) 630.00, मक्का 740.00, अरहर/तुअर 778.00, सोयाबीन 926.00, झाबुआ जिला- कपास 2860, धान - आरएफ (यूएनआईआर) 596.00, मक्का 604.00, सोयाबीन 758.00, मूंगफली 728.00, ज्वार 476.00, खरगोन जिला- कपास 3500, मक्का 680.00, अरहर/तुअर 736.00, सोयाबीन 758.00, किसान के खाते से प्रीमियम कटने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026, पीएमएफबीवाई योजना में किसानों को सूखा, बाढ़, अकाल, लैंडस्लाइड, चक्रवात, तूफान, तूफानी बारिश, सैलाब, कीटों, बीमारियों और अन्य बाहरी खतरों के कारण फसल को होने वाले नुकसान से बीमा की सुरक्षा मिलती है। फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए, राज्य सरकार इस योजना के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों पर फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) की योजना बनाकर उसका संचालन करेगी। यदि सीसीई में पैदावार के आँकड़े कम पाए गए, तो माना जाएगा कि किसान को फसल का नुकसान हुआ है, और इस नुकसान के लिए उसे क्लेम दिया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत फसल चक्र के हर चरण के लिए बीमा कवर मिलेगा, जिसमें बुआई से पहले, कटाई और कटाई के बाद के जोखिम भी शामिल हैं। पीएमएफबीवाई योजना के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पाद मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग से अनुमोदित हैं। अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खंडवा (पूर्वी निमाड़)और खरगोन जिलों के किसान अपने जिले के बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या अधिकृत एचडीएफसी इर्गो एजेंट से ऊपर सूचीबद्ध फसलों के लिए पीएमएफबीवाई योजना के अंतर्गत बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं। बीमा कवर प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं अन्य विवरण कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह योजना किसान ऐप पर लॉगऑन करके या वेबसाइट https://pmfby.gov.in/farmerLogin पर सेल्फ-एनरोलमेंट कराके भी प्राप्त की जा सकती है।

फ्युजिफ्लेक्स : खरपतवारों के खात्मे के साथ मिले फुर्तीली फसल

इंदौर (कृषक जगत)। देश की प्रतिष्ठित कंपनी सिंजेंटा इंडिया लि. का खरपतवारनाशी उत्पाद फ्युजिफ्लेक्स, पिछले एक दशक से किसानों का भरोसा जीतकर हर सीजन में खरा उतरा है। फ्युजिफ्लेक्स चौड़ी और संकरी पत्ती वाले दोनों प्रकार के खरपतवारों पर न केवल तेज़ी से नियंत्रण करता है, बल्कि फसल को भी फुर्ती से बढ़ाता है।

फ्युजिफ्लेक्स की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए डिवीजनल मार्केटिंग मैनेजर श्री सचिन उपाध्याय ने बताया कि खरीफ में सोयाबीन और मूंगफली की फसल में चौड़ी और संकरी पत्ती वाले खरपतवारों पर फ्युजिफ्लेक्स प्रभावी नियंत्रण करता है। यह 3-4 घंटे में ही खरपतवार की बढ़वार को रोकता है और एक-दो दिन में ही खरपतवार के खत्म होने के लक्षण दिखाई देते हैं। तेज़ गति से खरपतवार का नियंत्रण होता है। फ्युजिफ्लेक्स के छिड़काव के बाद फसल की वृद्धि नहीं रूकती है और फसल फुर्तीली हो जाती है। फसल भी स्वस्थ और हरी भरी रहती है।

फ्युजिफ्लेक्स करे इन खरपतवारों का खात्मा - फ्युजिफ्लेक्स चौड़ी और संकरी पत्ती वाले सभी खरपतवारों को नियंत्रित करता है। यह डिगेरा अर्वेंसिस, एकिनोक्लोआ कोलोना, ट्रायंथेमा एसपीपी, डिजिटारिया एसपीपी, पिलैंथस निरूरी, एकालिफा इंडिका, एल्युइसिन इंडिका, ब्रैंकारिया रैप्टन्स, डैक्टिलोकटेनियम इजिप्टिकम, कमेलिना बेंघालेंसिस नामक खरपतवारों का शीघ्रता से खात्मा करता है।

प्रयोग का समय और मात्रा- खरपतवारों की 3-4 पत्ती अवस्था अर्थात् 12-18 दिन की फसल पर इसका प्रयोग करना चाहिए। इसकी 400 मिली लीटर मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के साथ अनुशंसित की गई है। प्रयोग के समय और उसके बाद मिट्टी में नमी होना ज़रूरी है। ध्यान रहे फूल आने से पहले इसका उपयोग करना चाहिए।

क्रिस्टल ने लॉन्च किए छह नए उत्पाद

नई दिल्ली (कृषक जगत)। क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन ने खरीफ 2026 सीजन के लिए छह नए उत्पाद लॉन्च किए हैं। इनमें खरपतवारनाशी, फफूंदनाशी, कीटनाशी और फसल पोषण से जुड़े उत्पाद शामिल हैं। कंपनी के अनुसार, ये उत्पाद विभिन्न फसलों में खरपतवार, रोग और कीट प्रबंधन की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किए गए हैं।

खरपतवारनाशी: कंपनी ने सोयाबीन के लिए समोरियन (Quizalofop-ethyl 3.6% + Fomesafen 12% + Imazethapyr 7% SC) और मक्का के लिए टाकुरो (Mesotrione 7.5% + Atrazine 60% + Halosulfuron-methyl 3.7% WG) लॉन्च किया है।

कंपनी के अनुसार, समोरियन का उपयोग सोयाबीन में घास एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किया जाएगा, जबकि टाकुरो में HPPD, PSII और ALS तीनों मोड ऑफ एक्शन का संयोजन है, जिसे मक्का में खरपतवार प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है।

फफूंदनाशी: धान के लिए कंपनी ने दो नए फफूंदनाशी मैक्सेंट्रा (Azoxystrobin 18.75% + Tricyclazole 37.5% WG) और ज़ेबेरिया (Validamycin 2.8% + Propiconazole 6% EW) पेश किए हैं। कंपनी का कहना है कि मैक्सेंट्रा का उपयोग धान में विभिन्न अवस्थाओं पर रोग प्रबंधन के लिए किया जा सकता है, जबकि ज़ेबेरिया को फफूंद एवं जीवाणुजनित रोगों के नियंत्रण के लिए विकसित किया गया है।

कीटनाशी: कपास के लिए कंपनी ने वाल्टुवा (Flonicamid 18% + Spirotetramat 13.5% SC) लॉन्च किया है। कंपनी के अनुसार, यह उत्पाद कपास में रस चूसने वाले प्रमुख कीटों के नियंत्रण के लिए तैयार किया गया है और अवशिष्ट प्रभाव के कारण छिड़काव की संख्या कम करने में मदद कर सकता है।

फसल पोषण: क्रिस्टल ने KGR-T भी लॉन्च किया है, जो एक फसल पोषण उत्पाद है। इसमें रोडोफाइट्स से प्राप्त प्राकृतिक पोटाश (20%) तथा प्राकृतिक सल्फर (1.5%) शामिल है। यह उत्पाद इफर्वेसेंट टैबलेट डिलीवरी सिस्टम और एक्सटेंडेड न्यूट्रिएंट रिलीज़ तकनीक पर आधारित है।

कंपनी के अनुसार, KGR-T का उद्देश्य पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता बढ़ाना तथा फूल, फल और फसल के विकास को समर्थन देना है।

क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अंकुर अग्रवाल ने कहा कि बदलती जलवायु परिस्थितियों और कीट एवं रोगों के बदलते स्वरूप को देखते हुए कृषि क्षेत्र की आवश्यकताएं भी बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी का उद्देश्य इन चुनौतियों के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध कराना है।

कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर (ब्रांड्स बिजनेस) श्री सोहित सत्यवाली ने कहा कि इन सभी उत्पादों का विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में परीक्षण किया गया है। उनके अनुसार, नए उत्पादों के साथ कंपनी का पोर्टफोलियो खरपतवार, रोग, कीट प्रबंधन और फसल पोषण के क्षेत्रों में और विस्तृत हुआ है।

ट्रैक्टर बाजार 2026 : कृषि यंत्रीकरण के दम पर नई रफ्तार

मध्य प्रदेश बना विकास का नया इंजन

(विशेष विश्लेषण, कृषक जगत)

भारतीय कृषि में ट्रैक्टर अब केवल खेत जोतने की मशीन नहीं, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने, लागत घटाने और समय पर कृषि कार्य पूरा करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। वर्ष 2026-27 की शुरुआत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय ट्रैक्टर उद्योग एक नए विकास चरण में प्रवेश कर चुका है। मानसून को लेकर अनिश्चितताओं के बावजूद ट्रैक्टरों की मांग मजबूत बनी हुई है। जून 2026 में पहली बार देश में एक ही महीने में एक लाख से अधिक ट्रैक्टरों की खुदरा बिक्री दर्ज हुई, जबकि अप्रैल-जून तिमाही में उद्योग ने लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की। यह संकेत है कि ट्रैक्टर बाजार अब केवल मानसून पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था में हो रहे संरचनात्मक बदलाव इसकी गति तय कर रहे हैं।

मांग बढ़ने के प्रमुख कारण

ट्रैक्टरों की बढ़ती बिक्री के पीछे कई मजबूत कारण हैं। रबी फसलों से किसानों को अपेक्षाकृत बेहतर आय मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी और मजदूरी में लगातार वृद्धि के कारण मशीनों की आवश्यकता बढ़ी है। कृषि यंत्रीकरण को सरकारी प्रोत्साहन, ट्रैक्टर ऋण की आसान उपलब्धता तथा 2018-20 के दौरान खरीदे गए ट्रैक्टरों के रिप्लेसमेंट चक्र में आने से भी बाजार को मजबूती मिल रही है। साथ ही किसान अब खेती को अधिक व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखते हुए समय, श्रम और लागत बचाने वाले उपकरणों में निवेश कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश क्यों बना आकर्षण का केंद्र?

देश के अग्रणी कृषि राज्यों में शामिल मध्य प्रदेश इस समय ट्रैक्टर कंपनियों के लिए सबसे संभावनाशील बाजारों में है। राज्य में सोयाबीन, गेहूं, मक्का, चना, मसूर, सरसों तथा उद्यानिकी फसलों का लगातार विस्तार हो रहा है। सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि, कृषि यंत्रीकरण पर सरकारी निवेश और आधुनिक खेती के प्रति किसानों का बढ़ता रुझान ट्रैक्टरों की मांग को नई गति दे रहा है।

मालवा, निमाड़, नर्मदापुरम, भोपाल, सीहोर, विदिशा, देवास, उज्जैन, शाजापुर और राजगढ़ जैसे जिलों में 40 से 60 हॉर्सपावर श्रेणी के ट्रैक्टरों की मांग सबसे अधिक है। वहीं बुंदेलखंड, चंबल और बघेलखंड क्षेत्रों में मध्यम क्षमता वाले ट्रैक्टरों के साथ कृषि उपकरणों की बिक्री भी लगातार बढ़ रही है।

किस क्षमता के ट्रैक्टर सबसे लोकप्रिय?

मध्य प्रदेश सहित देशभर में 40-50 हॉर्सपावर श्रेणी ट्रैक्टर बाजार की सबसे मजबूत श्रेणी बनी हुई है। ये ट्रैक्टर रोटावेटर, सीड ड्रिल, कल्टीवेटर, मल्चर, ट्रॉली तथा अन्य कृषि यंत्रों के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

बड़े किसानों, कृषि सेवा केंद्रों और कस्टम हायरिंग सेंटरों में 50 एचपी से अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टरों की मांग तेजी से बढ़ रही है, जबकि छोटे और मध्यम जोत वाले किसानों में 35-40 एचपी मॉडल अभी भी लोकप्रिय हैं।

किसानों की बदलती सोच

कुछ वर्ष पहले तक ट्रैक्टर को केवल बड़े किसानों की जरूरत माना जाता था, लेकिन अब यह धारणा तेजी से बदल रही है। छोटे और मध्यम किसान भी ट्रैक्टर को खेती की लागत कम करने और उत्पादकता बढ़ाने का प्रभावी साधन मान रहे हैं। अनेक किसान स्वयं ट्रैक्टर खरीदकर कस्टम हायरिंग के माध्यम से अतिरिक्त आय भी अर्जित कर रहे हैं। इससे ट्रैक्टर केवल कृषि उपकरण नहीं, बल्कि ग्रामीण उद्यमिता का भी महत्वपूर्ण आधार बनता जा रहा है।

यंत्रीकरण का नया दौर

आज ट्रैक्टर केवल खेत की जुताई तक सीमित नहीं है। किसान इसके साथ लेजर लैंड लेवलर, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, मल्चर, स्ट्रॉ रीपर, बेलर, ड्रोन तथा अन्य आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग बढ़ा रहे हैं। इससे खेती की लागत घटाने, समय बचाने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल रही है। इसी कारण अधिकांश ट्रैक्टर कंपनियां अब केवल मशीन नहीं, बल्कि संपूर्ण कृषि समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही हैं।

प्रमुख कंपनियां

भारतीय ट्रैक्टर बाजार में महिंद्रा समूह अग्रणी बना हुआ है। इसके बाद स्वराज, सोनालिका, टैफे (मैसी फर्ग्यूसन एवं आयशर), एस्कॉर्ट्स कुबोटा, जॉन डियर तथा सीएनएच (न्यू हॉलैंड एवं केस IH) प्रमुख कंपनियां हैं। जून 2026 में अधिकांश कंपनियों ने दोहरे अंक की बिक्री वृद्धि दर्ज की, जो बाजार में व्यापक मांग का संकेत है।

चुनौतियां भी बनी हुई हैं

हालांकि बाजार पूरी तरह जोखिममुक्त नहीं है। मानसून का असमान वितरण, खरीफ उत्पादन में संभावित कमी, कृषि जिंसों की कीमतों में उतार-चढ़ाव तथा स्टील, टायर और अन्य कच्चे माल की बढ़ती लागत ट्रैक्टर उद्योग को प्रभावित कर सकती है। फिर भी अब मांग का आधार पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यापक हो चुका है, जिससे उद्योग की दीर्घकालिक संभावनाएं मजबूत दिखाई देती हैं।

आगे का रास्ता

भारतीय ट्रैक्टर उद्योग अब केवल अच्छे मानसून का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि कृषि के आधुनिकीकरण का सूचक बन चुका है। कृषि यंत्रीकरण, श्रम संकट, कस्टम हायरिंग, फसल विविधीकरण, उद्यानिकी तथा किसानों की व्यावसायिक सोच इस बाजार को नई दिशा दे रहे हैं।

मध्य प्रदेश के पास देश के अग्रणी कृषि यंत्रीकरण राज्य बनने का मजबूत अवसर है। यदि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि ड्रोन की उपलब्धता, यंत्रों पर सरकारी प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, मरम्मत सेवाएं और कस्टम हायरिंग केंद्र समान गति से विकसित होते रहे, तो राज्य का ट्रैक्टर बाजार राष्ट्रीय औसत से भी तेज गति से आगे बढ़ सकता है।

ट्रैक्टर बिक्री में आई तेजी केवल उद्योग की व्यावसायिक सफलता नहीं, बल्कि भारतीय कृषि के बदलते स्वरूप का संकेत है। किसान अब केवल उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि लागत कम करने, समय बचाने और अधिक लाभ अर्जित करने के लिए यंत्रीकरण को अपना रहे हैं। मध्य प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य इस परिवर्तन का नेतृत्व करने की स्थिति में हैं। आने वाले वर्षों में जिन राज्यों में कृषि यंत्रीकरण तेज होगा, वहीं कृषि उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और किसानों की आय में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी।

मध्य प्रदेश के संदर्भ में

यदि अल नीनो के कारण सोयाबीन और मक्का की फसल प्रभावित होती है, तो मालवा और निमाड़ क्षेत्र में ट्रैक्टर खरीद की गति कुछ धीमी पड़ सकती है। लेकिन गेहूं आधारित सिंचित क्षेत्रों, उद्यानिकी बेल्ट और कृषि सेवा केंद्रों (कस्टम हायरिंग) में मांग अपेक्षाकृत मजबूत रहने की संभावना है।

निष्कर्ष

अल नीनो ट्रैक्टर बाजार की गति को धीमा कर सकता है, लेकिन उसे रोक नहीं सकता। आज ट्रैक्टर बाजार केवल मानसून पर आधारित नहीं है। कृषि यंत्रीकरण, सिंचाई का विस्तार, कस्टम हायरिंग, फसल विविधीकरण और किसानों की बदलती व्यावसायिक सोच इसे दीर्घकालिक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसलिए यदि अल नीनो का प्रभाव बहुत गंभीर नहीं होता और सरकार समय पर राहत, फसल बीमा तथा कृषि ऋण जैसी सहायता उपलब्ध कराती है, तो ट्रैक्टर बाजार में केवल अल्पकालिक नरमी आएगी, दीर्घकालिक विकास की दिशा बनी रहेगी।

किसानों की शिकायत पर डबल लॉक केंद्रों का औचक निरीक्षण

अनियमितताओं की जांच शुरू

पांढुर्णा (कृषक जगत)। जिले में उर्वरक वितरण को लेकर किसानों की शिकायतों के बाद नवागत उप संचालक कृषि श्री मोरिस नाथ ने पांढुर्णा एवं सौसर स्थित मार्कफेड के डबल लॉक उर्वरक वितरण केंद्रों का संयुक्त टीम के साथ औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उर्वरक स्टॉक, वितरण व्यवस्था एवं अभिलेखों की जांच की गई।

किसानों का आरोप था कि शासन द्वारा हाल ही में उर्वरकों की नई दरें घोषित किए जाने के बावजूद डबल लॉक केंद्र पर उपलब्ध पुराना स्टॉक निर्धारित पुरानी दरों पर देने के बजाय पोटाश एवं एनपीके कॉम्प्लेक्स उर्वरक नई और अधिक कीमतों पर बेचे गए। किसानों ने यह भी शिकायत की कि उर्वरक वितरण के समय उन्हें बिल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा थ्द्य ।

शिकायतों में यह मुद्दा भी सामने आया कि केंद्र पर डिजिटल भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे किसानों को नकद भुगतान के लिए विवश होना पड़ रहा था। किसानों का कहना है कि इससे पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े होते हैं।

निरीक्षण के दौरान उपसंचालक कृषि ने उपलब्ध उर्वरकों की भौतिक स्थिति एवं वितरण अभिलेखों का परीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डबल लॉक केंद्रों पर उपलब्ध उर्वरकों का शत-प्रतिशत विवरण ई-विकास पोर्टल पर समय पर दर्ज किया जाए तथा वितरण से संबंधित सभी अभिलेखों का नियमित संधारण सुनिश्चित किया जाए।

श्री मोरिस नाथ ने कृषक जगत को बताया कि किसानों की शिकायतों की गंभीरता से जांच की जाएगी और यदि किसी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उर्वरक वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना तथा किसानों को निर्धारित दरों पर समय पर उर्वरक उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है।

नई यूरिया निवेश नीति से किसानों को मिलेगी समय पर खाद

नई दिल्ली (कृषक जगत)। किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध कराने और आयात पर देश की निर्भरता कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस नीति को स्वीकृति दी गई।

नई नीति के तहत देश में नई गैस आधारित यूरिया निर्माण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी और भविष्य में किसानों को उर्वरक की उपलब्धता और बेहतर हो सकेगी।

सरकार का कहना है कि नई नीति निवेशकों के लिए अधिक पारदर्शी और व्यावहारिक होगी। इसमें स्थायी और परिवर्ती लागत को अलग-अलग रखा गया है, निवेश पर 12 से 16 प्रतिशत तक प्रतिफल (Return on Equity) का प्रावधान किया गया है तथा विदेशी मुद्रा विनिमय दर के जोखिम को कम करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। इन प्रावधानों से प्रत्येक नई परियोजना पर लगभग 250 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होने का अनुमान है।

किसानों को क्या होगा लाभ ?

देश में यूरिया की मांग लगातार बढ़ रही है, जबकि घरेलू उत्पादन अभी भी पूरी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसके कारण हर वर्ष बड़ी मात्रा में यूरिया का आयात करना पड़ता है। नई उत्पादन इकाइयों के स्थापित होने से भविष्य में देश में यूरिया की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे किसानों को बुवाई और फसल की महत्वपूर्ण अवस्थाओं में खाद मिलने में होने वाली कठिनाइयों में कमी आने की उम्मीद है।

वर्तमान स्थिति

वर्तमान में देश में 33 यूरिया उत्पादन इकाइयां संचालित हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 269.42 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी)है। इसके बावजूद मांग और उत्पादन के बीच अंतर बना हुआ है, जिसकी पूर्ति आयात के माध्यम से की जाती है।

फोटो गैलरी

बलराम कृषि महोत्सव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में राज्य स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ करते हुए वर्ष 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' के रूप में समर्पित किया। इस अवसर पर नगरीय आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय एवं जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट भी उपस्थित थे।

ICAR-CSR कॉन्क्लेव-2026

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित CSR कॉन्क्लेव-2026 का नई दिल्ली में उद्घाटन करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्रीद्वय श्री रामनाथ ठाकुर, श्री भागीरथ चौधरी एवं ICAR के महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट, कृषि विशेषज्ञ, कॉर्पोरेट प्रतिनिधि और किसान संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

आभार

प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्नत किए जाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हुए राजपत्रित अधिकारी संघ जिला इंदौर के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र कुमार सिंह (संयुक्त संचालक कृषि इंदौर संभाग)।

फसल के 3 पक्के यार
उपज बनाएंगे दमदार
स्वस्थ मिट्टी, सम्पूर्ण पोषण व तेज बढ़वार का नंबर 1 पैकेज
KRISHAJ
जड़ों से जुड़ी... एक सोच नई
पौषक सुपर स्टार
• संपूर्ण विकास
• अधिक फूल-फल
• बेहतर उपज
PATENTED
PAUSHAK SUPER STAR
Yield Enhancer
K MAX ENERGY
KRI-CalMax
के-मैक्स एनर्जी
• स्वस्थ मिट्टी
• मजबूत-विकसित जड़ें
• गुणवत्तापूर्ण फसल
क्रि-कैलमैक्स
• फसल को संपूर्ण पोषण
• ज्यादा फूल-फल व फलियाँ
• 18-20% अधिक उपज
KRISHI RASAYAN EXPORTS PVT. LTD.
स्कैन करें और हमारे अन्य उत्पादों को देखें।
Cultivating Prosperity
कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1115, हेमकुंट टावर, 98, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली , 110019 (भारत)
वेबसाइट: www.krepl.in । टोल फ्री नंबर: 1800 572 5065
*अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-572-5065 पर संपर्क करें
Follow us on: @krishirasayan73

FMC An Agricultural Sciences Company
ज़ेडेलिस™ की शक्ति,
जिद्दी कीटों से मुक्ति
ज़ेडेलिस™
कीटनाशक
FMC
Zedelis
Insecticide
CYANTRANILIPROLE 28.30% w/w OD
Cyazypyr
80ml
फसल की
Z+ सुरक्षा
चबाने और चूसने वाले कीटों पर क्रॉस स्पेक्ट्रम नियंत्रण
Z+ लक्षित फसल में जिद्दी कीटों का प्रभावी नियंत्रण
Cyazypyr® सक्रिय तत्व द्वारा संचालित
FMC, the FMC logo, Zedelis, Cyazypyr and ज़ेडेलिस are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate. © 2026 FMC Corporation. All rights reserved.
Customer Care No.: 1800 102 6545